लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड ३२, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXXII, 1964/1886 (Saka)

[२७ मई से ५ जून, १९६४/६ ज्येष्ठ से १५ ज्येष्ठ, १८८६ (शक)]

(May 27 to June 5, 1964/Jyaistha 27 to Jyaistha 15, 1886 (Saka))

आठवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

(Eighth Session, 1964/1886 (Saka)

(खण्ड ३२ में अंक १ से ७ तक हैं)

(Volume XXXII contains Nos. 1 to 7)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक–सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची

अंक ७—शुक्रवार, ५ जून, १९६४ १५/ज्येष्ठ, १८८६ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ५३१–५८

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१७२	मेंगनीज़ अयस्क उद्योग	५३१–३२
१७३	उत्तर प्रदेश में निर्वाचन–क्षेत्रों का परिसीमन	५३२–३५
१७४	खेत्री तांबा परियोजना	५३५–३६
१७५	केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी में प्रकाशन	५३६–३९
१७६	न्यू यार्क विश्व मेले में भारतीय वस्तुयें	५३९–४१
१७७	इस्पात के मूल्य	५४१–४३
१७८	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	५४३–४४
१७९	टायरों का निर्माण करने वाली फर्म	५४४–४६
१८१	कोयले का नदी द्वारा परिवहन	५४६–४७
१८२	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची	५४७–४९
१८३	उदयपुर में जस्ता संयंत्र	५४९–५०
१८४	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	५५०–५३
१८५	विधि शिक्षा संबंधी पृथक् परिषद्	५५३–५४
१८६	टायरों और ट्यूबों की कमी	५५४–५५

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या		
३	लाओस के लिये भारतीय डाक्टरों का दल	५५५–५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर — ५५९–९१

तारांकित प्रश्न संख्या		
१८०	पटसन का मूल्य	५५९
१८७	अभ्रक का निर्यात	५५९
१८८	कारों की चोर बाजारी	५५९
१८९	वस्त्रों का निर्यात	५६०
१९०	अमरीका से सूती कपड़ा करार	५६०–६१
१९१	संसद् तथा राज्य विधान मंडलों के चुनाव	५६१
१९२	सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता	५६१–६२
१९३	निर्यात-आयात स्थिरीकरण निधि	५६१–६३

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 7 *Friday, June 5, 1964/Jyaistha 15, 1886 (Saka)*

Oral Answers to Questions 531—58

Starred Question Nos.	Subject	Page
172	Manganese Ore Industries	531—32
173	Delimitation of Constituencies in U.P.	532—35
174	Khetri Copper Project	535—36
175	Publication of Central Acts in Hindi	536—39
176	Indian Goods at the New York World Fair	539—41
177	Steel Prices	541—43
178	Durgapur Steel Plant	543—44
179	Tyre Manufacturing Firms	544—46
181	Transport of Coal by River	546—47
182	Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi	547—49
183	Zinc plant at Udaipur	549—50
184	Iron Ore Export to Japan	550—53
185	Separate Council of Legal Education	553—54
186	Shortage of Tyres and Tubes	554—555
Short Notice Question No.		
3	Indian Medical Team for Laos	555—58

Written Answers to Questions 559—91

Starred Question Nos.		
180	Price of Jute	559
187	Export of Mica	559
188	Black-marketing in Cars	559
189	Export of garments	560
190	Cotton Textile Agreement with U.S.A.	560—61
191	Elections to state Legislature and Parliament	561
192	D.A. for Public Sector Employees	561—62
193	Export-Import Stabilisation Fund	562—63

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the Floor of the House by that Member.

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
४३५	औद्योगिक लाइसेंस का हस्तान्तरण	५६३
४३६	सूडान के साथ व्यापार	५६३
४३७	सेना के लिये 'प्रेशर कुकर'	५६४
४३८	बम्बई में कपूर बनाने का कारखाना	५६४
४३९	मैसूर में अखबारी कागज का कारखाना	५६४–६५
४४०	फाउन्ड्री उद्योग	५६५–६६
४४१	छोटे ट्रैक्टर	५६६
४४२	पटसन से बनी चीजों का अफ्रीका को निर्यात	५६७
४४३	खादी –ग्रामोद्योग बोर्ड, उड़ीसा	५६७
४४४	आयातित कारों की बिक्री	५६७–६८
४४५	सरकार तथा सम्भरणकर्ताओं के बीच झगड़ों का निपटारा	५६८
४४६	भिलाई सीमेंट कम्पनी	५६८
४४७	दर्शन यंत्रों के शीशे तैयार करने की परियोजनायें	५७९
४४८	उड़ीसा में अम्बर चर्खा केन्द्र	५६९
४४९	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, रूपनारायणपुर	५६९
४५०	पैंसिल उत्पादन	५७०
४५१	उड़ीसा में छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग	५७०
४५२	उड़ीसा में साइकल और घड़ी निर्माण एकक	५७०–७१
४५३	सरकारी उपकमों से सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थायें	५७१
४५४	कागज उद्योग	५७१
४५५	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, मध्य प्रदेश	५७१
४५६	इस्पात उद्योग के लिये चूने का पत्थर	५७२
४५७	आसाम में लौह अयस्क के निक्षेप	५७२
४५८	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के सहयोग से औद्योगिक परियोजनायें	५७२–७३
४५९	बिहार में सूती कपड़ा मिल	५७३
४६०	हिमाचल प्रदेश में सूती कपड़े के कारखाने	५७३
४६१	लौह अयस्क के मूल्य	५७३–७४
४६२	हथकरघा उद्योग	५७४–७५
४६३	पंजाब के लिये नालीदार लोहेकी चादरें	५७५
४६४	राजस्थान में जिप्सम निक्षेप	५७५–७६
४६५	उड़ीसा में मेंगनीज, क्रोमाइट और लौह अयस्क	५७६–७७
४६६	गिरदिह कोयला खानों में मजदूरों की छंटनी	५७७–७८
४६७	नागपुर के निकट कोयले के निक्षेप	५७८
४६८	बिहार में खानें	५७८

Unstarred Question Nos.	Subject	Page
435.	Transfer of Industrial Licence	563
436	Trade with Sudan	563
437	Pressure Cookers for Army	564
438	Camphor Plant in Bombay	564
439	Newsprint Factory, Mysore	564—65
440	Foundry Industries	565—66
441	Small Tractors	566
442	Export of Jute Products to Africa	567
443	Khadi and Village Industries Board, Orissa	567
444	Sale of Imported Cars	567—68
445	Resolving Disputes between Government and Suppliers	568
446	Bhilai Cement Factory	568
447	Optical Glass Projects.	569
448	Ambar Charkha Centres in Orissa	569
449	Hindustan Cables Ltd., Rupnarainpur	569
450	Pencil Production	570
451	Small Scale Handloom Industries in Orissa	570
452	Cycle and Watch Manufacturing Units in Orissa	570—71
453	Training Institutes attached to Public Undertakings	571
454	Paper Industry	571
455	Khadi and Village Industries Board, Madhya Pradesh	571
456	Lime Stone for Steel Industry	572
457	Iron Ore Deposits in Assam	572
458	Industrial Projects with German Democratic Republic Collaboration	572—73
459	Cotton Textile Mill in Bihar	573
460	Cotton Mill in Himachal Pradesh	573
461	Rates for Iron Ore	573—74
462	Handloom Industry	574—75
463	Corrugated Iron Sheets for Punjab	575
464	Gypsum Deposits in Rajasthan	575—76
465	Manganese, Chromite and Iron ore in Orissa	576—77
466	Retrenchment of Workmen at Giridih Collieries	577—78
467	Coal Deposits near Nagpur	578
468	Mines in Bihar	578

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
४६६	चाय बागान	५७६
४७०	उड़ीसा के मुख्य मंत्री	५७६–८०
४७१	जयपुर में 'ट्रांसमिशन टावर' कारखाना	५८०
४७२	सीमेन्ट कारखाने	५८०–८१
४७३	केरल में सीमेन्ट कारखाना	५८१
४७४	मद्रास में सीमेंट की कमी	५८१
४७६	तिलहन का निर्यात	५८२
४७८	चाय बोर्ड के अधिकारियों का विदेशों में दौरा	५८२
४७६	इंडिया स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन और इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन	५८२–८३
४८०	नेपाल को व्यापार पारगमन सुविधायें	५८३
४८१	आसाम में सीमेंट की कमी	५८३–८४
४८२	आसाम के लिये लोहेकी नालीदार चादरें	५८४
४८३	एल्यूमीनियम के बर्तनों का निर्यात	५८५
४८४	जंगली जीवों का निर्यात	५८५
४८५	चाय उद्योग के लिये उर्वरक	५८६
४८६	जस्ती सादी चादरें	५८६–८७
४८७	ईरान को चाय का निर्यात	५८७
४८८	अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार	५८७–८८
४८६	पंजाब में भूमिगत जल के संसाधनों का सवक्षण	५८८
४६०	हिमाचल प्रदेश और पंजाब में खनिज सवक्षण	५८८–८६
४६१	कोयले का श्रेणीकरण	५८६
४६२	लौह अयस्क का निर्यात	५८६
४६३	नरम इमारती लकड़ी की कमी	५६०
४६४	इंधन क्षमता संबंधी समिति	५६०
४६५	कृषि सम्बन्धी औजारों का निर्माण	५६०–६१
४६६	चावल के चौकर का तेल	५६१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		५६१–६३,६२६–२७
(१)	प्रीमियम इनामी बौंडों के इनामों में कथित हेर फेर	५६१
	श्री हरि विष्णु कामत	५६१
	श्री ति० त० कृष्णमाचारी	५६१–६३

Unstarred Questions Nos.	Subject	Page
469	Tea Plantations	579
470	Chief Minister of Orissa	579—80
471	Transmission Tower Factory in Jaipur	580
472	Cement Factories	580—81
473	Cement Factory in Kerala . . .	581
474	Cement Shortage in Madras	581
476	Export of Oilseeds	582
478	Tea Board Officials' Visit Abroad . . .	582
479	I.S.D., London and I.S.M., Washington . . .	582—83
480	Trade Transit Facilities to Nepal . .	583
481	Cement Shortage in Assam .	583—84
482	C.I. Sheets for Assam . .	584
483	Export of Aluminium Utensils	585
484	Export of Wild Life	585
485	Fertilisers for Tea Industry . . .	586
486	Galvanised Plain Sheets . .	586—87
487	Export of Tea to Iran . . .	587
488	Trade with African Countries . . .	587—88
489	Survey of ground water resources in Punjab . .	588
490	Mineral survey of Himachal Pradesh and Punjab	588—89
491	Grading of Coal.	589
492	Export of Iron Ore .	589
493	Shortage of Soft Timber	590
494	Fuel Efficiency Committee	590
495	Manufacture of Agricultural Implements . . .	590—91
496	Rice Bran, Oil	591
Calling attention to Matters of Urgent Public Importance		591—93,626—27
(*i*)	Reported rigging of draw of prizes of Premium Prize Bonds	591
	Shri Hari Vishnu Kamath	591
	Shri T.T. Krishnamachari	591—93

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--जारी	
(२) दिल्ली में उत्तर रेलवे के खोई सम्पत्ति कार्यालय में कथित नग्नि कांड	६२६–२७
श्री हुक्म चन्द कछवाय . . .	६२६
श्री स० वें रामस्वामी	६२६–२७
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न) . . .	५९३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५९३–९४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
कार्यवाही-सारांश . .	५९५
राज्य सभा से सन्देश	५९५
सदस्य द्वारा वक्तव्य के बारे में	५९५
खादी की वस्तुओं के निर्यात सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या ६९४ के उत्तर में शुद्धि	५९५–९६
भारतीय वायु सेना के लापता इल्युशिन विमान के बारे में वक्तव्य	
श्री दा० रा० चव्हाण	५९६–९७
अन्य देशों के संसदों से शोक सन्देश	५९७
स्वर्ण नियंत्रण विधेयक	५९७–६०२
संयुक्त समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव . . .	५९७
श्री ब० रा० भगत	५९८–६०२
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक	६०२–१२
विचार करने का प्रस्ताव	६०२
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	६०२–०४
श्री प्रभातकार	६०४–०५
श्री रघुनाथ सिंह	६०५–०६
श्री व० बा० गांधी	६०६
श्री गौरी शंकर कक्कड़	६०६–०७
श्री जोकीम आल्वा	६०७
श्री वारियर	६०७
खंड २ से १८ और १	६०९–१२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	६०७
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	६०७–११
श्री अ० ना० विद्यालंकार	६१२

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*Contd.*

Subject	Page
(*ii*) Reported fire in the lost Property Office, Northern Railway, Delhi	626—27
Shri Hukam Chand Kachhavaiya	626
Shri S.V. Ramaswamy	626—27
Re: Calling Attention Notice	593
Papers Laid on the Table	593—94
Committee on Private Member's Bills and Resolutions—	
Minutes	595
Massages from Rajya Sabha	595
Re. : Statement by Member	595
Correction of Answer to Starred Question No. 694 Re : Export of Khadi Goods	595—96
Statement or : Missing I.A.F. Ilyushin	
Shri D.R. Chavan	596—97
Condolence Messages from Foreign Parliaments	597
Gold Control Bill	597—602
Motion to refer to Joint Committee :	597
Shri B.R. Bhagat	598—602
State Bank of India (Amendment) Bill	602—12
Motion to consider :	602
Shri T.T. Krishnamachari	602—04
Shri Prabhat Kar	604—05
Shri Raghunath Singh	605—06
Shri V.B. Gandhi	606
Shri Gauri Shankar Kakkar	606—07
Shri Joachim Alva	607
Shri Warior	607
Clauses 2 to 18 and 1	609—12
Motion to pass, as amended :	608
Shri T.T. Krishnamachari	607—11
Shri A.N. Vidyalankar	612

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . ६१२–१५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चालीसवां तथा पैंतालीसवां प्रतिवेदन . . . ६१५

शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के बारे में संकल्प . . . ६१६–२३

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद ६१६

श्री ही० ना० मकर्जी ६१६–१७

श्री अ० ना० विद्यालंकार ६१७

श्री मुथिया ६१७–१८

श्री नरसिम्हा रेड्डी ६१८

श्री मानसिंह पु० पटेल ६१८–१९

श्री बड़े ६१९

श्री हनुमन्तैया ६१९–२०

श्री बालगोविन्द वर्मा ६२०

श्री शिव नारायण ६२०–२१

श्री मु० क० चागला ६२१–२३

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में संकल्प . ६२४–२६

श्री स० मो० बनर्जी . . . ६२४–२६

श्री मलाइच्छामी . . . ६२६

Subject	Page
Short Notice Question No. 4	612—615
Committee on Private Members' Bills and Resolutions	
Forty-fourth and Forty-fifth Reports—adopted .	615
Resolution Re : National Policy in Education . .	616—23
Shri Siddheshwar Prasad . . .	616
Shri H.N. Mukerjee	616—17
Shri A.N. Vidyalankar	617
Shri Muthiah	617—18
Shri Narasimha Reddy	618
Shri Man Sinh P. Patel	618—19
Shri Bade	619
Shri Hanumanthaiya	619—20
Shri Balgovind Varma	620
Shri Sheo Narain	620—21
Shri M.C. Chagla	621—23
Resolution Re : Rise in prices of Essential Commodities . .	624—26
Shri S.M. Banerjee	624—26
Shri Malaichami	626

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, ५ जून, १९६४/१५ ज्येष्ठ, १८८६ (शक)

Friday, June 5, 1964/Jyaistha 15, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

{ **अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए }
{ **Mr. Speaker** *in the chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मैंगनीज अयस्क उद्योग

*१७२. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री, १० अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मैंगनीज अयस्क उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बनाई गई समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : समिति ने अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।

श्रीमती सावित्री निगम : समिति के निर्देश-पद क्या थे तथा कब उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

श्री मनुभाई शाह : समिति के निर्देश-पद यह थे :—सभी क्षत्रों में मैंगनीज खनन उद्योग की वर्तमान स्थिति का पुर्नविलोकन करना तथा उसे बताना ; आगामी पांच वर्षों में निर्यात में वृद्धि करना ; विभिन्न देशों की मण्डियों का अध्ययन करना ; वर्तमान खनन को अधिक प्रतिस्पर्द्धी, आधुनिक तथा सुव्यवस्थित बनाना ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस प्रतिवेदन के आने तक क्या मैं जान सकती हूं कि इस उद्योग की सहायता करने और निर्यात के लिये नई मण्डियों की खोजने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मनुभाई शाह : हाल के वर्ष में बहुत से सुधार हुए हैं। गत वर्ष, वास्तव में, हमारी बिक्री १२ लाख टन से भी अधिक हुई थी और सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि इस समय और बिक्री करने के लिये हमारे पास मैंगनीज का पर्याप्त स्टाक नहीं है। इस्पात के बदले में वस्तु-विनिमय पद्धति प्रारम्भ की गई थी जिससे कि नई मण्डियों में इसका व्यापार किया जा सके, परन्तु असली बात तो यही है कि जब तक लागत कम न हो जाये तब तक हम मैंगनीज अयस्क को प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्यों पर नहीं बेच सकते।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : श्रीमन्, एक औचित्य प्रश्न है। यह प्रश्न इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय से सम्बन्धित हैं। अन्तर राष्ट्रीय व्यापार मंत्री किस प्रकार इसका उत्तर दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : श्री महरोत्रा।

Shri Brij Behari Mehrotra : Has there been any increse in the production of manganese ore and if so, its percentage?

Shri Manubhai Shah : The production has increased by 11% and export by 24%.

श्री कपूर सिंह : अब तक हमारे देश में मैंगनीज अयस्क के जिन निक्षेपों का सर्वेक्षण किया गया है उनकी मात्रा कितनी है ?

श्री मनुभाई शाह : निक्षेप बहुत बड़े हैं। यद्यपि सारे निक्षेपों का कुल मिलाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया है, परन्तु मोटे तौर पर अनुमान यह है कि यह अनेक वर्षों तक चलेंगे।

Shri Sheo Narain : May I know the number of members and specialists in the Committee?

Shri Manubhai Shah : There are 6 members and 3 specialists.

Delimitation of Constituencies in U.P.

***173. Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(*a*) when the work of delimitation of constituencies in U.P. is ilikely to begin ;

(*b*) the names of States in which this work has been completed so far and

(*c*) when this work will be completed in all the States?

विधि तथा संचार मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) उत्तर प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का काम परिसीमन आयोग द्वारा अगस्त, १९६४ में लिया जाना सम्भाव्य है। आयोग को कुछ मानचित्र और सांख्यिकी सामग्री अभी राज्य से प्राप्त होनी है।

(ख) परिसीमन का काम केरल और मध्य प्रदेश और गोआ, दमन और दीव और पांडिचेरी के राज्य क्षेत्रों में सम्पन्न हो चुका है।

(ग) परिसीमन आयोग सब राज्यों और राज्य क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का काम १९६५ के अन्त तक समाप्त करने की आशा रखता है।

Shri Mohan Swarup : May I know whether, while delimiting the constituencies, any change will be made in the Scheduled Caste constituencies? Another point which I wanted to know is, whether the constituencies in U.P. will undergo a great change as has been the case in Madhya Pradesh?

Shri A. K. Sen : The matter is still under discussion; all the maps and statistical data have not so far been received by the Commission. When they receive it, they are supposed to express their opinion after giving due consideration to every thing.

Shri Onkar Lal Berwa : Will the increase or decrease in the number of constituencies be based on the population of the area?

Shri A. K. Sen : Constituencies will be decided after giving due thought to every important point.

Shri Rameshwaranand : Is it a fact that this time Karnal constituency is also being made a reserved scheduled caste constituency while previously only Ambala constituency was kept a reserved one in that area of Punjab?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Why the changes made out in the constituencies for Lok Sabha in Madhya Pradesh have not been notified in the Gazette so far? Has there been any specific difficulty in its way?

Shri A. K. Sen : A due notice may be given to me for this. The required information is not available with me at present.

श्री हरि विष्णु कामत : अब जब कि केरल राज्य से सम्बन्धित कार्य समाप्त हो गया है, क्या हम यह समझ लें कि वहां पर अगले वर्ष आम चुनाव करने के लिये तैयारियां की जा रही हैं अथवा यह मामला अभी तक भी परिवर्तनमयता की स्थिति में है ?

श्री अ० कु० सेन : यह एक भिन्न प्रश्न है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह भिन्न प्रश्न किस प्रकार है ? इसे इस तरह टाला क्यों जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल परिसीमन के सम्बन्ध में है, । एक पृथक प्रश्न पूछा जा सकता है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Has the fact been kept under consideration that village areas have been divided into many parts and inclued in urban constituencies fecause of which villagers are put to a great loss and the area of their constituency is reduced?

Shri A.K. Sen : I hope so.

श्री अ० प्र० जैन : जब यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था तो मैं ने एक संशोधन प्रस्तुत किया था कि एक प्रकार की क्रमिक पद्धति अपनाई जाये अर्थात् अब रक्षित निर्वाचन क्षेत्र भविष्य में रक्षित न समझे जायें और मंत्री महोदय ने एक प्रकार का आश्वासन भी दिया था । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन के बारे में इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है ?

श्री अ० कु० सेन : मैं इस बारे में तत्काल कुछ नहीं कह सकता मुझे याद है कि सभा में इस मामले पर विचार किया गया था और श्री जैन ने कुछ सुझाव दिये थे । मैं उनसे निवेदन करता हूं कि या तो वे मुझे एक पत्र लिखें या एक पृथक प्रश्न पूछें ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में उन निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित वर्तमान सदस्यों से परामर्श लिया जायेगा और यदि हां, तो किस प्रक्रम पर तथा किस समय ?

श्री अ० कु० सेन : मैं समझता हूं कि परिसीमन आयोग द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया सर्वविदित है और वह प्रत्येक निहित हित वाले दल की बात सुन रहा है । प्रस्तावों का प्रारूप तैयार होने पर जो कोई भी इसके पक्ष में अथवा विपक्ष में कुछ कहना चाहता है उसकी बात सुनी जाती है ।

Shri Yashpal Singh: Has the attention of the Government been drawn to the scheme of the Election Commission that there should not be more than two districts in a constituency? What would be of those constituencies which have three districts?

Shri A. K. Sen: I require separate notice for that.

Mr. Speaker: Hon. Member may send his proposals to the hon. Minister. Here he is only expressing his views.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस बारे में कई प्रश्न उठे हैं और विचार व्यक्त किये गये हैं जो कि सामान्य हित के हैं और मार्ग दर्शन कर सकते हैं । अतः क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आयोग ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की जांच करने से पूर्व इन सभी प्रश्नों की स्वयं जांच की और सभी जगह समान रूप से अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों के बारे में कोई निर्णय किया और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री अ० कु० सेन : जहां तक मुझे पता है वे राज्यों को बारी बारी से लेते हैं और जहां तक निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में सिद्धान्तों के अपनाये जाने का प्रश्न है, समान सिद्धान्त अपनाये जाते हैं । अर्थात् किसी निर्वाचन क्षेत्र की जन संख्या, पिछले परिसीमन के बाद से यदि उस में कोई परिवर्तन हुआ है, तो वह और जन संख्या में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए वर्तमान निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनर्गठन की आवश्यकता, यदि कोई है तो ।

Shri Tulshidas Jadhav: May I know whether the reserved constituencies will be on the population basis or a change will be effected after every five years? What is the policy of the Government in this respect?

श्री अ० कु० सेन : अधिनियम में इस बारे में परिनियत व्यवस्था की गई है ।

Shri Y. S. Chaudhury: Is the work of the Delimitation Commission going on according to the scheduled programme or there has been any time lag?

Shri A. K. Sen: I think they have not taken much time.

श्री बूटा सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आयोग जानकारी अथवा सुझाव प्राप्त करने के लिये कोई प्रश्नावली जारी करेगा ?

श्री अ० कु० सेन : मैं समझता हूं कि जहां कहीं आवश्यक होता है वह ऐसा करते हैं।

खेत्री तांबा परियोजना

+
*१७४. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में खेत्री तांबा परियोजना के लिए ऋण की व्यवस्था हो गई है, और यदि हां, तो कितने की तथा वह कहां से प्राप्त किया जा रहा है ; और

(ख) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) खेत्री तांबा परियोजना के विदेशी मुद्रा के व्यय को पूरा करने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात आयात बैंक को सितम्बर, १९६३ में ९ करोड़ रुपये के ऋण के लिये आवेदन पत्र दिया गया था। वह आवेदन-पत्र बैंक के विचाराधीन है।

(ख) परियोजना को यथासम्भव शीघ्र पूरा करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : पिछले हमें विदेशी सहायता के रूप में ५० प्रतिशत सशर्त ऋण और ५० प्रतिशत बिना किसी शर्त का ऋण मिला था। इस वर्ष भी हमें ६० प्रतिशत मिल रहा है। कल वित्त मंत्री महोदय ने बताया था कि काफी रकम बिना खर्च की हुई बची है क्योंकि परियोजनायें स्वयं पूरी नहीं थीं और इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस परियोजना को जिसको कि सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है धन क्यों नहीं मिला ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : वास्तव में यह वित्त मंत्रालय और सरकार इस परियोजना की क्रियान्विति पर विचार करते रहे हैं। हमें निर्यात आयात बैंक से आवेदन करने को कहा गया और यदि यह बैंक ऋण देने को तैयार नहीं होगा तो सहायता संगठन ऋण देने को तैयार है और यह बात उस बैंक को भी बता दी गयी है। हमें आशा है कि सहायता मिल जायेगी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह बताया गया है कि आवेदन-पत्र सितम्बर में दिया गया था। इस में पर्याप्त समय लग गया है। वे प्रमुख मामले कौन से हैं जिन पर अभी विचार किया जा रहा है और जिन के बारे में अभी निर्णय किया जाना है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : उन्हें इस परियोजना की सम्भावनाओं की जांच करने के लिये एक दल यहां भेजना था और इसकी जांच कर ली गई है तथा प्रतिवेदन भी दिया जा चुका है अतः

अब इस मामले में सामान्य रूप से कार्यवाही हो रही है । इसके अतिरिक्त, हम भी तांबे के गलाने के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में परिवर्तन करने की सम्भावना पर विचार कर रहे हैं ताकि इसकी आर्थिक लाभप्रदायकता में सुधार हो सके। गलाये जाने की प्रक्रिया के बारे में हाल ही में मैं ने यह निर्णय किया है ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : देश में अलौह धातुओं, विशेषत: तांबा, की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार विदेशों और सहायता देने वाले देशों से ऋण मांगना छोड़ने को तैयार है, और क्या सरकार अन्यत्र किसी स्थान साधन से धन की व्यवस्था करेगी ताकि इस उद्योग को यथा सम्भव शीघ्र स्थापित किया जा सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : निश्चित ही वित्त मंत्रालय इन विभिन्न परियोजनाओं की प्राथमिकता के बारे में विचार करता है उस आधार पर ही उपलब्ध विदेशी मद्रा का आवंटन किया जाता है । अत: किसी अन्यत्र किसी साधन से किसी भी प्रकार कोई धन लेने का प्रश्न ही नहीं उठता । यह तो एक विशेष साधन से धन लेने का प्रश्न है और हम उसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Y. S. Chaudhury : How far the transport facilities are being developed to complete this Khetri Copper Project and what is the programme for linking it with Narnaul rail-link ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां । सभी आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है और इमारतें भी बनाई जा रही हैं ।

श्री कपूर सिंह : क्या भारत के कई भागों में तांबा अयस्क की मात्रा वाणिज्यिक स्तर पर निकाली जा सकती है और यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : भारत के कई भागों में नहीं । अभी तो खोज ही की जा रही है ; जहां तक उन भण्डारों का सम्बन्ध है जिन से कि यह धातु निकाली जा सकती है उनका केवल इसी क्षेत्र में ही पता चला है । तथापि, अन्य क्षेत्रों में भी तांबा मिलने की सम्भावना है ।

केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी में प्रकाशन

+

*१७५. **श्री यशपाल सिंह :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दाजी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राम हरख यादव :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने केन्द्रीय अधिनियम हिन्दी में प्रकाशित किये गये हैं ;

(ख) आगामी वर्ष के लिये क्या कार्यक्रम है ; और

(ग) क्या राज्यों को उन की विधियों के अनुवाद के लिए कोई सहायता प्रदान करने का विचार है ?

विधि मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री अ० कु० सेन): (क) २२२ केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किये गये हैं ।

(ख) अनुमान है कि निम्नलिखित छ केन्द्रीय अधिनियमों के अधिकृत हिन्दी रूपान्तर अगले वर्ष प्रकाशित किये जायेंगे :—

१. भारतीय दंड संहिता

२. भारतीय साक्ष्य अधिनियम

३. सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम

४. दंड प्रक्रिया संहिता

५. व्यवहार प्रक्रिया संहिता

६. भारतीय संविदा अधिनियम

(ग) राज्य सरकारों के परामर्श से इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

Shri Yashpal Singh : When each state Government's representative is there in the Commission and is doing his work, on what matter State Governments are then being consulted? Is it only to delay the matter?

Shri A. K. Sen : The hon. member has enquired about financial assistance. The Language Commission has no authority to give any opinion in regard to financial assistance.

Shri Yashpal Singh : Last year an assurance was given that Bills both in English and Hindi version would simultaneously be supplied in Parliament but we find that Hindi version of amending Bills has not been supplied. I would,t herefore, like to know when the arrangements for supplying the Hindi transla tion of Bills which has been demanded several times and an assurance for which has also been given, would be completed.

Shri A.K. Sen : It would not be possible to publish Hindi translation of Central Acts until extra staff is given for that purpose.

Shri Yashpal Singh : How much time it would take?

श्रीमती सावित्री निगम : यह प्रश्न ही क्यों उत्पन्न हुआ है, क्योंकि भाषा आयोग यह काम कर रहा है ? राज्यों को रुपया देने का सवाल कैसे पैदा अ ा ?

श्री अ० कु० सेन : अपने निजी कानूनों के हिन्दी अनुवाद के लिए, ताकि प्रत्येक राज्य के कानूनों के हिन्दी अनुवाद मुहैया हों ।

Shri Prakash Vir Shastri : As the hon. Minister has stated extra staff is required to avoid the difficulty of translating Central Acts into Hindi and to facilitate the publication of Hindi translation of all Bills and Acts. I would like to know whether any scheme for appointing this extra staff is under consideration of Government and if so, when this extra staff would be appointed?

Shri A.K. Sen : I have replied that extra staff has been demanded for that puepose but it is difficult to say when we would get it. For this, the hon. member may enquire from the Finance Minister as to when he would give sanction and I would like that he may on his own urge the Finance Minister for this.

Shri M.L. Dwivedi : Are Government taking any steps to recognise the Hindi translation of those Central Acts and Rules, so that along with English version Hindi translation thereof may also be considered authentic? I would like to know from the hon. Minister what is being done in this connection.

Shri A. K. Sen : A commission has been set up to authenticate Hindi translation of Central Acts. Draft Acts would be sent to them and when they would anthenticate it, it would be published as an authoritative text.

श्री कंडप्पन : क्या केन्द्रीय अधिनियमों का भारत की अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद कराने की कोई योजना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री अ० कु० सेन : उसके लिए व्यवस्था करना हमारा अन्तिम उद्देश्य है लेकिन हम पहले उपस्थित लक्ष्य तो प्राप्त करें ।

श्री कंडप्पन : उसमें कितना समय लगेगा ?

श्री अ० कु० सेन : सारे केन्द्रीय अधिनियम का हिन्दी में अनुवाद पूरा हो जाने के बाद हम दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद कार्य आरम्भ कर सकते हैं ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सहायता गैर हिन्दी राज्यों को या हिन्दी जानने वाले राज्यों को दी जायगी ?

श्री अ० कु० सेन : गैर हिन्दी भाषी राज्यों के अधिनियमों का अनुवाद करने की आवश्यकता हिन्दी भाषी राज्यों के कानूनों का अनुवाद करने की अपेक्षा अधिक है क्योंकि हिन्दी भाषी राज्यों के कानूनों का अनुवाद पहले ही हो चुका है ?

श्री स० चं० सामन्त : माननीय मंत्री ने बताया कि अनुवाद के लिए अधिकारियों की कमी है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय कितने काम कर रहे हैं और कितनों की जरूरत है ?

श्री अ० कु० सेन : मुझे अलग से सूचना चाहिये ।

श्री रें० वेंकटासुब्बय्या : जिस प्रविधिक शब्दों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करना है उनके बारे में क्या कोई प्रमापीकरण हुआ है और यदि नहीं, तो जो आयोग नियुक्त किया गया है, वह क्या करने वाला है ?

श्री अ० कु० सेन : विधि मंत्रालय का हिन्दी अनुभाग अंग्रेजी शब्दों के लिए एक हिन्दी शब्द-कोष पहले ही तैयार कर चुका है । विभिन्न अधिनियमों का अनुवाद करने में उसी शब्दकोष का अनुसरण किया गया है लेकिन हर बार भाषा आयोग के सामने कोई विशिष्ट अधिनियम प्रस्तुत किये जाने पर वह उस विशिष्ट अधिनियम के लिए प्रयोग में लायी गयी शब्दावली को जांचता है ताकि आवश्यक होने पर उसमें सुधार किया जा सके ।

श्री कपूर सिंह : इन प्रकाशनों के लिए विधि शब्दावलि तैयार करने और उसके प्रमाणीकरण की क्या प्रणाली है और मूल शब्दों के संदर्भ में विधि शब्दावलि का क्या स्थान है ?

श्री अ० कु० सेन : वह प्रणाली विशेषज्ञों की एक टोली के द्वारा सामूहिक कार्य की प्रणाली है । ये विशेषज्ञ नियुक्त किये जा चुके हैं । वास्तविक तरीके के बारे में मैं उतना ही जानता हूं जितना माननीय सदस्य जानते हैं ।

Shri Rameshwaranand : May I know whether there is any Central Ministry where work is disposed of in Hindi and if so, the name of that Ministry and if not when it is likely to be done?

Mr. Speaker : It does not arise out of this.

Shri Vishram Prasad : The Minister of Law has stated that Hindi translations are being made. I would like to know whether the Law Ministry in collaboration with the Ministry of Education propose to prepare law books so that students of LL.B. Examination may be able to study law in Hindi from the beginning.

Shri A.K. Sen : Education Ministry is always consulted for the purposes of translation whenever Education Ministry's help is required in connection with fixing equivalent for any particular term, we immediately seek their help.

Indian Goods at the New York World Fair

\+

*176. { **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri D.C. Sharma :

Will the Minister of **International Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the sale of Indian goods in the World Fair at New York has not been very encouraging so far ;

(b) if so, whether the reasons for the same have been ascertained; and

(c) whether any special efforts are now being made to promote sales and obtain orders?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). न्यूयार्क मेले में बिक्री तथा व्यापार सम्बंधी जो पूछताछ अब तक हुई है वह बहुत ही उत्साहवर्धक है। जवाहरात तथा हथकरघे के कपड़ों सहित दस्तकारियों के लिये २५ मई, १९६४ तक जो आर्डर प्राप्त हुए हैं उनका मूल्य 29,14,562 रु० के बराबर है जिसमें से 11,14,562 रु के मूल्य का माल भेज भी दिया गया है। मिलों द्वारा तैयार किये गये कपड़े से बने माल का संभरण करने के सम्बंध में 45 लाख रु० के एक आर्डर पर भी बड़ी तत्परता से विचार किया जा रहा है इसके साथ ही साथ साइकिलें, खरादें, पंखों, सिलाई की मशीनों, डीज़ल जनरेटिंग सेट, कटाई की मशीनों, ढलाई घरों में प्रयुक्त ढलाई की मशीनों, बेदाग इस्पात का सामान, जूट, काफी, चाय, अभ्रक, काजू, खाद्य सामग्री, गरम मसालों चमड़े का माल, रेयन, सिगरेटों आदि का संभरण करने के सम्बंध में गम्भीरता से 33 व्यापारिक पूछताछें की गई और उन पर भारत उनसे सम्बद्ध निर्माताओं और सं० रा० अमरीका के व्यापारियों व न्यूयार्क विश्व मेले में स्थित 'भारत मंडप' को देखने आने वाले अन्य देशों के व्यवसायियों के मध्य बातचीत चल रही है। कुल 'टर्न ओवर' 1.25 करोड़ रुपये से अधिक का है।

बिक्री के जो आंकड़े अब तक प्राप्त हुए हैं वे यद्यपि उत्साहवर्धक है, फिर भी बिक्री और भी बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : What percentage of total goods which were sent by India to the World Fair, has already been sold, was the sale of goods other than jewellery and handloom was equally encouraging?

Shri Manubhai Shah : There is no question of any percentage therein. Goods worth Rs. 20 lakhs were sent there while the turnover is of the value of Rs.1¼ crores.The goods sent there are in the form of samples. On that basis, orders are booked. No ratio thereof is maintained. Goods are being sold in large quantities.

Shri Prakash Vir Shastri : The main object of sending our goods in such kinds of world Fairs is to make our position in world market. May I therefore know whether the success achieved so far is commensurate with the estimates framed by the Ministry of International Trade in this connection?

Shri Manubhai Shah : Sale has been more than what was anticipated; but we want goods to be sold in still larger quantity.

श्री दी० चं० शर्मा : 1 1/4 करोड़ रुपये के जो आर्डर मिले हैं क्या वे सभी अमरीका से मिले हैं या वे दूसरे देशों से भी हैं और यदि हां, तो किन किन देशों से हैं ?

श्री मनुभाई शाह : यद्यपि उसे विश्व मेला कहा जाता है फिर भी सामान्यतया जिन बाजारों को हमेशा ढूंढा जाता है वे उस जगह के जहां मेला होता है, स्थानीय बाजार ही होते हैं । इसका यह मतलब नहीं कि जिन्होंने पूछताछ की है वे निश्चित रूप में अमरीका में ही खपत करेंगे । बहुत सा माल दूसरे देशों में भी जा सकता है ।

Shri Raghunath Singh : May I know the amount of expenditure incurred by us so far on this world Fair and Whether Banarasi goods, like silk, brocades, and brass wares were sent there and how they are being sold?

Shri Manubhai Shah : The expenditure amounts to Rs. 1·75 crores. It includes all exependiture. This Fair would continue for another two years and we think the estimated sale would amount to Rs. 10 crores. As regards Banarasi Goods are concerned, a good deal of it is being sent there but its statistics would be compiled later on, because we do not maintain figures statewise.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि जब कि विश्व मेले में प्रदर्शित भारतीय वस्त्रों ने अमरीकी महिलाओं को विशेष रूप से आकृष्ट किया है, व्यापारी लोग भारतीय वस्त्रों को मंगाने के लिए उत्सुक नहीं हैं और यदि हां, तो इस विरोध को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ।

श्री मनुभाई शाह : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बंध है, हमें ऐसे किसी विरोध के बारे में जानकारी नहीं है । वास्तव में, गत वर्ष हमने अमरीका में लगभग २½ करोड़ रुपये का ज्यादा माल बेचा है । भारत का अधिकाधिक माल अमरीका में बिक रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं जो सभा को मालूम है ।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya : May I know whether any favouritism has been done in regard to selection of those girls who have been sent to this fair, and whether they include daughters of relations of some of the Members of Parliament?

Mr. Speaker : They have now reached. We have to proceed further.

Shri Hukum Chand Kachhavaiya : Has any partiality been done in this regard?

अध्यक्ष महोदय : मैं उसके लिए अनुमति नहीं देता । उस पर पहले ही चर्चा हो चुकी हैं ।

Shri Bade : As the hon. Minister is aware, the export of textiles is on the decrease. Has anything been done so as to boost up exports of textiles for this Fair and to secure an increased demand from several new countries?

Shri Manubhai Shah : As regards textile exports, I have stated several times in this House that it has increased last year in comparison to that in the previous years but it is certain that as textile industry makes progress in other countries of the world, our goods would sell less. But in this fair only Cotton textile garments and pillow covers worth Rs. 50 lakhs have been sold. Every effort is being made to sell our good in larger quantities.

इस्पात के मल्य

*१७७. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के मूल्यों में तब से कोई परिवर्तन हुआ है जब से कि इस्पात पर से नियंत्रण हटा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) क्या खुली बिक्री के लिए इस की निकासी से पहिले इस का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था ?

इस्पात खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २६४७/६४]।**

(ग) खुली बिक्री वाले इस्पात की किस्मों के मूल्य उसी समय निर्धारित तथा घोषित किये गये थे जिस समय १–३–१९६४ को अपनियंत्रण की घोषणा की गयी थी।

श्री सुबोध हंसदा : विवरण से पता चलता है कि इस्पात की विभिन्न किस्मों के मूल्य ३० रुपये प्रति टन तक बढ़ गये हैं। क्या यह वृद्धि निर्माण लागत के कारण की गयी है या उत्पादन शुल्क के कारण ?

श्री प्र० चं० सेठी : मूल्य कई अन्य कारणों से भी बढ़े हैं। उत्पादन शुल्क, भाड़े आदि में वृद्धि भी इसके कारण है।

श्री सुबोध हंसदा : क्या मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये खुले बाजार में इस्पात का पर्याप्त सम्भरण है ?

श्री प्र० चं० सेठी : १२ एम एम से कम किस्म के अतिरिक्त, अपनियंत्रित माल की सम्भरण स्थिति अधिक अच्छी है।

Shri Vishram Prasad : The hon. Minister has pointed out that the prices were announced simultaneously with the announcement of decontrol on 1-3-64. Has he tried to ascertain that steel is selling at a much higher price than the declared one and, if so, the action that the Government propose to take against those responsible for it?

Shri P.C. Sethi : The Joint Plant Committee has fixed the prices of only those categories of steel which have been decontrolled. It is being sold at a bit higher price than the fixed one, in a State or two. But decontrol has been effected with the hope that the prices would settle down ultimately.

Shri Vishram Prasad : What action is being taken against those who are selling it at higher prices than the fixed ones ?

Shri P.C. Sethi : There is no point in taking any action since decont rol has been effected.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण से पता चलता है कि इस्पात की बहुत ही किस्मों के मूल्य अपनियंत्रण के बाद दुगुने बढ़ा दिये गये हैं फरवरी में जो मूल्य थे वह पहली बार मार्च तथा अप्रैल के बीच बढ़ाये गये और फिर वह १३ अप्रैल को बढ़ाये गये और हर बार बढ़ौत्री काफी मात्रा में हुई । इस प्रकार मूल्यों के बार बार बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या इस प्रवृत्ति से अपनियंत्रण का यह उद्देश्य निष्फल नहीं हो जाता कि चोरबाजार के मूल्यों पर प्रतिबन्ध बना रहे ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : १-३-१९६४ को मूल्यों में परिवतन केवल बढ़े हुए उत्पादन शुल्क की दृष्टि से किया गया था, न कि उत्पादकों को अधिक मूल्य देने की दृष्टि से ; चूंकि वह यह देखना चाहते थे कि उस स्थिति के अनुसार कितना मूल्य बढ़ाया जाना आवश्यक था, विशेष कर सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में जोकि अलाभप्रद मूल्य के कारण घाटे में चल रही थीं । इसी कारण संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा, सभी पहलुओं पर विचार कर के, विभिन्न परियोजनाओं में निर्मित इस्पात के मूल्य औसतन ३० रुपये प्रति टन मूल्य बढ़ा कर मूल्य निर्धारित किये गये ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : राज समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार द्वारा जो कायवाही की गई क्या उसे आंका गया है या विशेष कर इस दृष्टि से निरन्तर आंका जाता है कि मूल्य अग्रेतर न बढ़ें और यह वस्तुयें अविलम्ब और खुले तौर पर उपलब्ध हो सकें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस प्रश्न के दो पहलू हैं : एक यह कि उत्पादक किस मूल्य पर बेचेगा । अधिकतर आवश्यक माल सीधे उत्पादकों से खरीदा जाता है । इसीलिए, वह उसी मूल्य पर बेचेंगे जो संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित किया गया है । जहां तक फुटकर मूल्य का सम्बन्ध है, निस्सन्देह, किसी एक समय मांग तथा सम्भरण की स्थिति के अनुसार इस में उतार-चढ़ाव होता है । अपनियंत्रण की स्थिति में ऐसा होना स्वाभाविक है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार को ज्ञात है कि अपनियंत्रण के उपरान्त इस्पात की विभिन्न किस्में बाजार में उपलब्ध नहीं हैं ? क्या अपनियंत्रण के परिणामों को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था की है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य का यह कथन है कि इस्पात की कई किस्में बाजार में उपलब्ध नहीं हैं गलत है कि ऐसी स्थिति का कोई कारण नहीं है । केवल नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था में वस्तुएं उपलब्ध नहीं हुआ करतीं । मुझे यह बताया गया है कि जो किस्में पहले उपलब्ध नहीं थीं अब वह भी उपलब्ध हो रही हैं ।

Shri Achal Singh : Is the whole demand of steel products in India being met?

Shri P. C. Sethi : Except for the item like 12 mm. round, all the demand for other items that have been decontrolled is being met.

श्री दी० चं० शर्मा : यदि इस्पात की कुछ किस्मों के आंशिक अपनियंत्रण के परिणाम अच्छे निकले हैं तो क्या सरकार इस्पात की सभी किस्मों का धीरे धीरे अपनियंत्रण करने के लिये तैयार होगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कुछ किस्मों का अपनियंत्रण इन की पर्याप्त उपलब्धता के आधार पर किया गया था । दुर्भाग्यवश कुछ उत्पादों की अभी कमी है । जब इन किस्मों की सम्भरण स्थिति में सुधार होगा तो इन का अपनियंत्रण करने के बारे में भी विचार किया जायगा ।

Shri Kashi Ram Gupta : Has any change been effected in the method of supply of the decontrolled items of steel to the retailers, ever since their decontrol?

Shri P.C. Sethi : The decontrolled items were previously supplied through the stockists appointed by the Government. But now there is no necessity of that procedure.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों की कच्चे लोहे की मांग पूर्णतया पूरी नहीं हुई और यह काफी ऊंचे मूल्यों पर चोर बाजार में बिक रहा है और, यदि हां, तो देश में कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह पूर्णतया असंगत प्रश्न है ।

Shri Onkar Lal Berwa : Previously iron was selling freely. Thereafter Control was introduced. Why was the control price fixed so high as compared to the one at which it was sold in the free market?

Shri P. C. Sethi : As the hon. Minister said just now, the prices of the items that were decontrolled were increased due to excise duty and freight element.

Shri Onkar Lal Berwa : Excise duty and freight element were there previously also.

Mr. Speaker : They have been increased now.

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

*१७८. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के प्राधिकारियों ने उत्पादिता बढ़ाने की दृष्टि से कोक भट्टी गैस का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने की एक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो वे विशेष बातें कौन सी हैं जिन से कि कोक के उपभोग की दर कम हो जायेगी ;

(ग) क्या संयंत्र प्राधिकारियों ने इस्पात कार्यशाला में एक 'सिन्टरिंग प्लान्ट' स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो 'सिन्टरिंग प्लान्ट' के चलाने से उत्पादन की लागत में कितनी कमी होने का अनुमान है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) तथा (ख). दुर्गापुर की विभिन्न भट्टियों में कोक भट्टी गैस का ईंधन के रूप में पहले ही प्रयोग हो रहा है। फालतू कोक भट्टी गैस को कम्प्रेस करने और इसे धमन भट्टी में पहुंचाने के लिए एक नया उपाय किया जा रहा है। इस से कोक के कुछ कम इस्तेमाल होने की सम्भावना है।

(ग) तथा (घ). जी हां। 'सिन्टरिंग प्लान्ट' से उत्पादन लागत में कमी होने की आशा नहीं है परन्तु इस से काफी मात्रा में महीन लौह अयस्क तथा कोक कचरे का प्रयोग करने में सहायता मिलेगी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि दुर्गापुर से बंगाल को ५० लाख क्यूबिक फीट गैस प्रतिदिन सम्भरित की गई जबकि आरियन्टेल गैस कम्पनी का कहना है कि उन्हें ३० प्रतिशत कम प्राप्त हुई है ? हाल ही में बाल्ली में जो जांच हुई थी उस का परिणाम क्या है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: हम बाहर के अभिकरणों को अपने इस्पात संयंत्रों से गैस का सम्भरण नहीं करते।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : रूस तथा अमरीका की पद्धतियों का उन्हें यहां पर लागू करने की दृष्टि से जो अध्ययन किया गया क्या परिणाम निकला ? उत्पादन में कुशलता बढ़ाने में वह कहां तक सहायक सिद्ध होंगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: कोक भट्टी गैस जो कभी कभी फालतू होती है अब बेकार जाती है। इसे कम्प्रेस करने और धमन भट्टी तक पहुंचाने की प्रक्रिया से इस का पूर्णतया प्रयोग हो सकेगा और किसी सीमा तक कोक का उपयोग भी कम होगा। इसलिये, आर्थिक दृष्टि से यह हितकर होगा। चूंकि अभी यह प्रयोगावस्था ही है इसलिये ठीक ठीक आंकडे नहीं दिये जा सकते।

श्रीमती सावित्री निगम : नये तरीके अपनाने से वास्तविक बचत कितनी होगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं पहले ही बता चुका हूं कि चूंकि यह अभी प्रयोगावस्था है इसलिए ठीक ठीक आंकड़े बताना सम्भव नहीं है।

टायरों का निर्माण करने वाली फर्में

*१७९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में टायरों का निर्माण करने वाली विदेशी फर्मों को प्रसार के लिए अग्रेतर लाइसेन्स दिया गया है ;

(ख) क्या इस से भारतीय फर्मों की टायरों का निर्माण करने की क्षमता की वृद्धि पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय टायर उद्योग को क्या संरक्षण प्रदान किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) विदेशी टायर कम्पनियों को विस्तार के लिए हाल ही में कोई लाइसेंस जारी नहीं किये गये ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री स० मो० बनर्जी : भारतीय साथों को ब्रिटिश एवं अन्य विदेशी साथों की स्पर्धा में टायरों का निर्माण करने के लिये क्या विशेष संरक्षण दिया गया है ?

श्री कानूनगो : ब्रिटिश सार्थ कोई नहीं है । पिछले कुछ वर्षों में कुछ नयी कम्पनियां टायरों का निर्माण करने लगी हैं । उन्हें उत्पादन शुल्क में ५ प्रतिशत की छूट दी गयी है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यदि कोई ब्रिटिश कम्पनी नहीं है तो डनलप और फायरस्टोन जैसी विदेशी कम्पनियां तो हैं? क्या यह सच है कि भारतीय साथों द्वारा निर्मित टायरों के मूल्य अन्य विदेशी साथों द्वारा निर्मित माल के मूल्यों को दृष्टि में रख कर निर्धारित किए जाते हैं और भारतीय साथों को कोई वित्तीय सहायता या संरक्षण नहीं दिया जाता ?

श्री कानूनगो: मूल्य निर्धारित नहीं किये जाते । प्रत्येक निर्माता जो मूल्य चाहे निर्धारित कर सकता है । जो नये उपक्रम हाल ही में इस क्षेत्र में आये उन्होंने इस आधार पर रियायत मांगी थी कि उन की उत्पादन लागत तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है और माल बेचने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है । इसी कारण उन्हें उत्पादन शुल्क में छूट दे कर रियायत दी गई है ।

Shri Kashi Ram Gupta : Is it a fact that the retail dealers are charging much higher prices than the prices fixed by companies due to the fact that the demand for tyres of trucks and buses is more than their supply?

Shri Kanungo : The demand for tyres has come down considerably. There are no buyers at present.

Shri Rameshwaranand : The tyres are selling in black-market at certain places, because the Government have not given licences. Do Government propose to give licences there?

Shri Kanungo : No licence is required.

Shri K. N. Tiwary : What is the difference in prices prevailing today as compared to those prevalent in the year 1960-61 ?

श्री कानुनगो : अपनियंत्रण के पश्चात् मूल्य में वद्धि हुई है । ठीक ठीक आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि आपात के उपरान्त बहुत से यान चलने बन्द हो गये हैं । इस विशेष स्थिति का क्या कारण है ?

श्री कानूनगो : चूंकि बहुत से यान असैनिक एवं सैनिक प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त कर लिये गये थे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: यह प्रश्न तो टायरों के बारे में है । यान प्राप्त कर लेने पर भी उन्हें चलाने के लिये टायर आवश्यक होंगे ।

श्री कानूनगो : परन्तु उन्हें इतना प्रयोग में नहीं लाया जाता जितना कि पहले लाया जाता था ।

कोयले का नदी द्वारा परिवहन

+

*१८१. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले के वहन के लिये नदियों का उपयोग करने सम्बन्धी योजना अब छोड़ दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस असफल योजना के लिये जलयान तथा नौकायें प्राप्त करने में कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) अप्रैल १९६३ में योजना त्याग दी गई क्योंकि परिवहन की लागत अधिक थी और खुश्क मौसम आरम्भ होने के साथ गंगा नदी में पानी की गहराई काफी कम हो गई थी ।

(ग) विशेष रूप से इस योजना के लिये जलपोत और नावें नहीं ली गई । जो जहाज गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड के पास पहले से थे उनको ही उपयोग में लाया गया ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच नहीं है कि कोई मिशन भी विदेश में भेजा गया था, मेरा विचार है, पश्चिम जर्मनी को, इस योजना के लिये नावें लेने और खरीदने के लिये ? उसका क्या परिणाम निकला ? हमने इसके बारे में पहले भी प्रश्न पूछा था और उत्तर दिया गया था ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): इस योजना के लिये कोई बजरे नहीं खरीदे गये । क्योंकि यह योजना संभव नहीं पाई गई । अतः योजना के लिये कुछ नहीं खरीदा गया ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या योजना मुख्यत : आर्थिक ृष्टिकोण के लिये छोड़ दी गई थी या संचालन सम्बन्धी कारणों से ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : आर्थिक कारनों से, क्योंकि लागत बहुत अधिक थी । प्रति टन वास्तविक लागत नदी परिवहन से ७७ रुपये आती थी, जब कि रेल परिवहन के द्वारा लागत केवल ३८ रुपये थी, अर्थात् प्रति टन ४० रुपये का अन्तर था । अतः यह नहीं की जा सकती थी ।

श्री बड़े : सरकार द्वारा छोड़ी गई इस योजना पर कितनी राशि खर्च की गई ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसका उत्तर दिया जा चुका था। सरकार को कोई हानि नहीं हुई क्योंकि वास्तविक व्यय इस कोयले को ढोने वाले पक्षों द्वारा वहन किया गया था।

श्री स० चं० सामन्त : प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने कहा है कि कोई धन खर्च नहीं किया गया। क्या सरकार ने गैर सरकारी टीम नौवहन हितों को इन बजरों और अन्य चीजों को कोयला ढोने के हेतु लेने के लिये प्रोत्साहित किया ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : नहीं, एक अग्रिम योजना गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड के पास पहले से उपलब्ध जहाजों के साथ आरम्भ की गई थी। यह अनुभव किया गया कि योजना व्यावहारिक नहीं, अतः छोड़ दी गई।

श्री काशी राम गुप्त : क्या योजना हमेशा के लिये छोड़ दी गई है अथवा केवल अस्थायी तौर पर इस समय छोड़ी गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम वर्तमान में रहते हैं। यदि अगली योजना अवधि में, जैसाकि मुझे विश्वास है जलमार्गों आदि को सुधारने के लिये अग्रेतर कार्यवाही की जाती है और किसी स्तर पर जल परिवहन के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है।

श्री दी० चं० शर्मा : इस योजना को बनाने में कितना समय खर्च किया गया था, सरकार को यह पता लगाने में कितना समय लगा कि योजना आर्थिक दृष्टि से सभव नहीं है और योजना को बनाने तथा उसे छोड़ देने में कितने जन-दिनों की हानि हुई इसका सरकार किस प्रकार हिसाब रखेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पहला सफर २७ दिसम्बर, १९६२ को आरम्भ किया गया था और अन्तिम सफर ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुआ। मैं मानता हूं कि उससे पहले हमें योजना तैयार कर लेनी चाहिये थी। योजनायें अव्यावहारिक हो सकती हैं और यदि हम ऐसी योजनाओं से डरते रहेंगे तो किसी भी नई योजना का विचार नहीं किया जा सकता। नई योजनाएं आरम्भ करने में ऐसा साधारणतः होता है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची

\+

*१८२. **श्री मुहम्मद इलियास** :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री राम हरख यादव :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची, ने कलकत्ता पत्तन प्राधिकारियों को अपने उन बंडलों के न उठाये जाने पर, जो कि वहां १२ से १४ मास तक पड़े रहे, ३६.२६ लाख रुपया किराया तथा दण्ड के रूप में दिया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस लापरवाही के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है और उपयुक्त कार्यवाही की गयी है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). यह सच है कि भारी इंजीनियरिंग निगम समिति को, जनवरी, १९६१ से सितम्बर, १९६३ तक की अवधि में रूस से प्राप्त संयंत्र और उपकरणों के कुछ खेपों को उठाने में विलम्ब के कारण, कलकत्ता पत्तन प्राधिकारियों को 'एकल' किराया और 'दंड किराया' के कारण ३६.२६ लाख रुपये देने पड़े । नौवहन दस्तावेजों के देर से आने, दोषपूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति, परिमाण से अधिक खेपों और पत्तन आयुक्तों के द्वारा सर्वेक्षण और मापने में विलम्ब जैसे संचालनात्मक कारणों और सीमा शुल्क द्वारा मूल्यांकन, रेलवे बकिंग आदि पर प्रतिबन्ध इसके प्रमुख कारण थे ।

नौवहन दस्तावेजों आदि को भेजने की प्रक्रिया को सुधारने के प्रश्न पर सम्भरणकर्ताओं के साथ पहले उठाया जा चुका है । खेपों को शीघ्र तथा तुरत उठाने के लिये, दो और क्लियरिंग एजेंट लगाये गये हैं । इसके अतिरिक्त, उन परिस्थितियों की जांच करने का विचार है, जिनके कारण निगम को इतना भारी हरजाना देना पड़ा, ताकि उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके और जहां सुधारने के उचित उपाय उठाने की आवश्यकता हो, वहां वे कदम उठाये जाएं ।

श्री मुहम्मद इलियास : विवरण से पता चलता है कि सारा उत्तरदायित्व कलकत्ता पत्तन आयुक्तों पर नियत किया गया है । किन्तु यह सूचना मिली है कि कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने भारी इंजीनियरी निगम रांची को कई अनुस्मारक भेजे, परन्तु उसने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की । विवरण में यह आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी । क्या कार्रवाई की जा चुकी है अथवा क्या अब निगम द्वारा कोई जांच की जा रही है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : दस्तावेजों आदि को पेश करने में सुधार लाने के लिये कार्रवाई की जा चुकी है । मुझे इसके हो जाने का खेद है ; किन्तु हम अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी बातें न हों ।

श्री मुहम्मद इलियास : इस जांच को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यहां कठिनाई इस कारण हुई क्योंकि उन कागजों को जो रूस द्वारा भेजे जाने थे, यहां पहुंचने में कुछ समय लगा और कुछ कागज दोषयुक्त भी थे । हमने यह मामला रूस के साथ उठाया है और उन्होंने भी इन बातों को ठीक करना स्वीकार कर लिया है । अतः वह ठीक हो जाएगा । जहां तक निकासी का प्रश्न है, हमने अधिक निकासी अधिकारी नियुक्त किये हैं और मुझे आशा है कि इसके पश्चात् ये अनावश्यक विलम्ब नहीं होंगे ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस विलम्ब के लिये कितना हर्जाना दिया गया है और क्या यह निर्णय किया गया है .....

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तथा विवरण में बताया जा चुका है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : विवरण में बताई गई बातें इस मामले में बड़े घटाले का कारण हैं । क्या सरकार संसद सदस्यों अथवा विशेषज्ञों की एक समिति, उनके द्वारा दिये गये हर्जाने की राशि की जांच करने और यह सोचने के लिये कि वर्तमान प्रक्रियाओं को ठीक करने के लिये, जो विलम्ब के लिये उत्तरदायी हैं, क्या उपाय किये जाने चाहियें, नियुक्त करने के लिये तैयार होगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह संसदीय समिति है जिसने इस पर विचार किया है, अर्थात् प्राक्कलन समिति । माननीय सदस्य का यह विचार कैसे बना कि दूसरी स्थिति इसमें सुधार लाएगी ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : उन्होंने केवल इसको मालूम करने में सहायता दी ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : वहां १२ से १४ तक तो पैकेज हैं उन का रुपयों का वास्तविक मूल्य क्या है ?

श्री प्र० चं० सेठी : १८ करोड़ रुपये ।

जयपुर में जस्ता संयंत्र

+

*१८३. **श्री हेम बरुआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री रामपुरे :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री राम हरख यादव :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार उदयपुर (राजस्थान) में जस्ता पिघलाने के संयंत्र की स्थापना में भागीदार बनने के बारे में सोच रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) और (ख). भारत धातु निगम के मामलों की जांच की जा रही है और सरकार इस मामले में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची ।

श्री काशी राम गुप्त : इस मामले को अन्तिम रूप देने में और कितना अधिक समय लगेगा और क्या दोनों सरकारें भागीदार होंगी अथवा क्या यह काम केवल राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाएगा ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यह सक्रिय रूप से विचाराधीन है । मैं इस मामले में शीघ्र निर्णय लिये जाने की आशा करता हूं । केवल राज्य सरकार ने इसमें भाग लिया है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : केन्द्रीय सरकार की भागिता के प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : परियोजना की लागत अब काफी बढ़ गई है । यद्यपि यह गैर-सरकारी क्षेत्र में है, मैं देखता हूं कि यह प्रायः दुगनी हो गई है । मूल प्राक्कलन ६७० लाख रुपये था और वर्तमान अनुमान ११६३ लाख रुपये का है, अर्थात् लगभग दुगना । यह गैर-सरकारी क्षेत्र में

है अतः आप दोष नहीं दे सकते और यह नहीं कह सकते कि ऐसी बात केवल सरकारी क्षेत्र में ही होती है। वे उसके लिये पर्याप्त धन जुटाने में असमर्थ हैं। अतः अब हमें इस परियोजना की संभाव्यता पर विचार करना होगा और देखना होगा कि क्या केन्द्रीय सरकार को इस योजना को अपने अधिकार में ले लेना उचित होगा।

Shri Onkar Lal Berwa : As the hon. Minister has told an amount of rupees twenty laks is inested in it. How much many will be given by the Centre for the project and how much by the State Government ? Has any such demand been made to the State Government also ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : राजस्थान सरकार ने इक्विटी भागिता में लगभग २५ लाख रुपये दिये हैं। केन्द्रीय सरकार ने ईक्विटी भागिता में कोई धन नहीं लगाया, किन्तु वित्त निगम ने १ करोड़ रुपये का ऋण दिया है जिसमें से ७५ लाख रुपये उन्होंने ले लिये हैं।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

+

*१८४. { **श्री गोकुलानन्द महन्ती :**
श्री शिवमूर्ति स्वामी : }

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६४-६५ में मद्रास, गोआ, मालपे, बम्बई और पश्चिम तट के अन्य बन्दरगाहों से कितना लौह-अयस्क निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) १९६२-६३ और १९६३-६४ में कितना निर्यात किया गया था ;

(ग) प्रत्येक बन्दरगाह पर कितने एफ० ओ० बी० टी० का भुगतान किया गया ; और

(घ) क्या यह सच है कि जापान ने पहले ही यह चेतावनी दे दी है कि यदि मशीनों के जरिये माल का लदान न हुआ तो लौह-अयस्क का व्यापार रद्द किया जा सकता है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). लौह-अयस्क के निर्यात के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २९४८/६४]।**

(ग) अनुमान है कि माननीय सदस्य विभिन्न पत्तनों पर लोहा-अयस्क के दिये गये एफ० ओ० बी० टी० प्रशुल्क के बारे में पूछ रहे हैं। सभी प्रभारों समेत इसको दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २९४८/६४]।**

(घ) जी, नहीं।

श्री गोकुलानन्द महन्ती : इन में से प्रत्येक पत्तन पर कितना लोह-अयस्क जमा पड़ा है जिसका निर्यात करना है ?

श्री मनुभाई शाह: लगभग १०० लाख टन की तुलना में इसकी मात्रा कम है। पत्तनों पर ५ लाख टन से कम माल है।

श्री गोकुलानन्द महन्ती : क्या हम व्यापार करार में उपबन्धित मात्रा को भरने में असमर्थ हैं, यदि हां, तो क्यों ?

श्री मनुभाई शाह : नहीं, यह व्यापार करार से कम नहीं है ; बल्कि कुछ मामलों में उससे अधिक है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि पत्तनों का मशीनीकरण अवधि अनुसूची के अनुसार नहीं हो रहा और यदि हां, तो सरकार समूचे मामले को शीघ्रतापूर्वक करने में क्या कार्यवाही करने तथा लोहा अयस्क का निर्यात यथा शीघ्रतापूर्वक करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

श्री मनुभाई शाह: जहां तक मद्रास पत्तन का सम्बन्ध है, मशीनीकरण का काम ठीक समय पर पूरा हो गया । विशाखापटनम में एक बुरी घटना होने के कारण काम में छः महीने का विलम्ब हो गया । अन्य पत्तनों की बृहद् योजनाएं लगातार क्रियान्वित की जा रही हैं ।

श्री जोकीम आल्वा : यहां जो विवरण रखा गया है उससे पता चलता है कि वर्ष १९६२–६३ और १९६३-६४ में मंगलौर पत्तन क्रमशः १.८९ लाख टन और २ लाख टन अयस्क का निर्यात कर रहा था या इसकी आशा है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तीनों पत्तन, अर्थात् कारवार, बेलीखेरी और होनावर की क्षमता ४.८८ लाख टन और ६.५० लाख टन है जो मंगलौर पत्तन से प्रायः दुगनी अथवा तिगुनी है । क्या मंत्री ने सिफारिश की है कि कारवार के पत्तन का यथाशीघ्र मशीनीकरण किया जाये और हुबली से कारवार तक रेल लाइन बनाई जाये ।

श्री मनुभाई शाह : इसमें बहुत सी बातें हैं । परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि प्रत्येक पत्तन का मशीनीकरण करने का हमारा कार्यक्रम है ।

अध्यक्ष महोदय : उनके निर्वाचन क्षेत्र पर उचित ध्यान दिया जाये ।

श्री नाथ पाई : विवरण में बताया गया है कि रेडी के पत्तन से १९६३-६४ में प्रत्याशित निर्यात ३.५० लाख टन होगा । क्या मंत्री को मालूम है कि रेडी के पत्तन में २ बड़ी खानें बन्द कर दी गई हैं क्योंकि उनमें खनिज समाप्त हो चुके हैं ? क्या यह इरादा है कि नवीन पट्टे दिए जायेंगे या वर्तमान पट्टाधारियों को इस स्थान के समीप काम करने की अनुमति दी जायेगी ?

श्री मनभाई शाह : वास्तव में स्थिति यह है कि पोतावरोहण पत्तन का इसके क्षेत्र में खानों से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसकी समीपता तथा पृष्ठ प्रदेश के लिये रेडी पत्तन का इस्तेमाल किया जा रहा है । जो खानें अब समाप्त प्रायः हो चुकी हैं उन्हें दुबारा खोला नहीं जा सकता । और पट्टे दिये जाते रहेंगे ।

श्री नाथ पाई : जिस किसी को कुछ पता नहीं है उसको यह उत्तर बड़ा सुन्दर लगेगा । वहां पर पत्तन पर स्थित खानों के अलावा कोई खान नहीं है । मैं उस स्थान से आया हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : वह मंत्री महोदय को यह जानकारी दे दें । मंत्री महोदय को जो कुछ पता है, उन्होंने बता दिया है । यदि माननीय सदस्य को कुछ ज्यादा पता है तो वह मंत्री महोदय को जानकारी दे दें ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत को बड़ी मात्रा में लोहे की आवश्यकता है, क्या सरकार लौह-अयस्क को निर्यात करने की बजाय भारत में ही इसका इस्तेमाल करने के लिए धमन भट्टियां बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : यह राष्ट्रीय नीति है । बोकारो संयंत्र और अन्य कई नये संयंत्र इस की बात का प्रमाण हैं ।

श्री बूटा सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन परिस्थितियों में उड़ीसा सरकार मांग पर प्रदीप पत्तन के निर्माण में योग देने को सहमत है?

श्री मनुभाई शाह : प्रदीप पत्तन के निर्माण के बारे में सिद्धान्त रूप से मान लिया गया है । पत्तन का विकास हो रहा है । सड़क बन रही है और देमी–टोमका तथा तल्चर के अयस्क निक्षेपों का विकास किये जाने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

श्री बूटा सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार राज्य सरकार की मांग पर प्रदीप पत्तन के निर्माण में योग देने को सहमत है ।

श्री मनुभाई शाह : प्रदीप पत्तन के निर्माण का कार्य हस्तान्तरित कर दिया गया है अर्थात् राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की अनुमति पर यह काय किया जा रहा है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह स्पष्ट नहीं है । वह यह जानना चाहते हैं कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदीप पत्तन के निर्माण के लिए कोई सहायता दी गयी है ?

श्री मनुभाई शाह: यह इस प्रश्न से नहीं उठता ।

विधि शिक्षा सम्बन्धी पृथक परिषद्

*१८५. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि शास्त्रज्ञों तथा विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया है कि विधि शिक्षा का स्तर सुधारने और पाठ्यक्रम में एकरूपता और समन्वय स्थापित करने के लिए एक पृथक विधि शिक्षा परिषद् स्थापित की जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस विषय में सरकार की क्या राय है ?

विधि मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) ऐसे किसी सुझाव के बारे में सरकार को पता नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मी मल्लसिंघवी : क्या सरकार को इन गर्मियों में कसौली में हुई एक गोष्ठी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के उद्घाटन भाषण में विहित स्थिति का पता है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि इस देश में कानूनी शिक्षा का समन्वय करना और इसको समान बनाना आवश्यक है और इसके लिए राष्ट्रीय विधि स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

श्री अ० कु० सेन : कसौली की गोष्ठी में मुख्य न्यायाधीश के भाषण के बारे में मैंने कुछ रिपोर्ट पढ़ी है । मुझे वहां स्वयं जाना चाहिये था लेकिन मैं वहां जा नहीं सका । मुझे अभी तक मुख्य न्यायाधीश के भाषण की पूरी प्रति नहीं मिली है । मैं उनके सुझावों पर पूरी तरह विचार करूंगा । उनका भाषण पढ़ने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया बता सकता हूं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को देश के विभिन्न विधि स्कूलों में कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक भिन्नता, समन्वय के अभाव और समानता और विशेषज्ञता के अभाव का पता है और यदि हां, तो क्या सरकार स्थिति का अध्ययन करने और राष्ट्रीय विधि स्कूल स्थापित करके आवश्यकता पूरी करने को तैयार है ?

श्री अ० कु० सेन : मै माननीय सदस्य से पूर्णत: सहमत हूं कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कानूनी शिक्षा का समन्वय करने की काफी आवश्यकता है । विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्तर भिन्न हैं । यह मामला विचाराधीन है और विधिजीवी परिषद् की संविहित विधि शिक्षा समिति, जिसके महा-न्यायवादी अध्यक्ष हैं, द्वारा भी इस बारे में विचार किया जा रहा है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of Law benefit from the Mitakshra Commentary of the Yojnavalkya Smriti while seeking to raise the standard of education?

Shri A. K. Sen : This question relates to the teaching of substantive law and hence Mitakshra Code does not apply here.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : The teaching of different laws is also dis cussed in the Mitakshra Commentary.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । तर्क की आवश्यकता नहीं है ।

श्री ड० मू० त्रिवेदी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नया विधिजीवी परिषद् अधिनियम लागू कर दिया गया है और समय-समय पर उसका विस्तार किया गया है, क्या सरकार भारत में विधि शिक्षा के प्रश्न पर तत्काल विचार करने और विधिजीवी परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक विभिन्न परीक्षा निकाय स्थापित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करती ?

श्री अ० कु० सेन : अधिवक्ता अधिनियम की धारा १० के अन्तर्गत विधिजीवी परिषद् की एक स्थायी विधि शिक्षा समिति स्थापित की जायेगी और यह विधि शिक्षा समिति स्थापित की जा चुकी है और इसके सदस्यों का चयन हो चुका है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : लेकिन इसमें शैक्षणिक विधिवेत्ताओं[1] का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं है ।

श्री अ० कु० सेन : यह तो विधिजीवी परिषद् पर है । उन्होंने एक स्वायत्त निकाय स्थापित किया है । हम परिषद् से बाहर के लोगों को शामिल करने में हस्तक्षेप नहीं करते । मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि यदि इसमें अच्छे शैक्षणिक शास्त्रियों को शामिल किया जाये तो यह अधिक लाभदायक हो सकता है । लेकिन मैं देखता हूं कि इसमें कुछ व्यक्तियों को शामिल किया गया है जैसे जयपुर विश्वविद्यालय के डा० शर्मा और अन्य लोग ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : केवल एक ।

श्री अ० कु० सेन : दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति डा० देशमुख भी इसमें हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं शैक्षणिक विधिवेत्ताओं के बारे में पूछ रहा हूं ।

[1]Academic lawyers.

श्री अ० कु० सेन : आप को केवल विधिवेत्ताओं की ही बात नहीं करनी चाहिये। यह निर्णय करना तो विधिजीवी परिषद् पर है कि वे परिषद् में अधिक संख्या में शैक्षणिक विधिवेत्ता रखें या नहीं।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या विधि मंत्रालय भारत में विधि शिक्षा के बारे में विश्वविद्यालयों को परामर्श अथवा निदेश दे सकती है और यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में उन्होंने विश्वविद्यालयों को क्या परामर्श दिया है ?

श्री अ० कु० सेन : विधि मंत्रालय विश्वविद्यालयों को परामर्श नहीं देता है। यह सरकार को परामर्श देता है और विधि शिक्षा के बारे में नीति बनाने में सरकार की सहायता करता है। विधि शिक्षा के मामले पर सरकार विधिजीवी परिषद् की विधि शिक्षा समिति के परामर्श से सक्रिय रूप से विचार कर रही है और हमें आशा है कि हम भारत भर में कोई समान स्तर निर्धारित कर सकेंगे। लेकिन यह कब तक हो सकेगा और कितनी जल्दी हम अपने प्रस्ताव बना सकते हैं, यह विभिन्न मामलों पर निर्भर है।

टायरों और ट्यूबों की कमी

\+

*१८६. **श्री श्याम लाल शर्राफ :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बाजार में मोटर, ट्रक तथा बाइसिकल के टायरों और ट्यूबों की कमी है ;

(ख) क्या देश में उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन किया गया है और यह वास्तविक आवश्यकता से कितनी कम है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी कमी है और इसको किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). बाजार में मोटरों, ट्रकों और बाईसिकल के टायरों और ट्यूबों की कोई कमी नहीं है। वास्तव में मोटरों तथा ट्रकों के टायर-मार्केट में माल जमा हो गया है क्योंकि उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो रहा है। तत्काल मांग को पूरा करने के लिए साइकिल के टायरों और ट्यूबों की वर्तमान उत्पादन-क्षमता पर्याप्त हैं। तथापि, उपभोक्त एक विशेष ब्रांड को अधिक प्राथमिकता देते हैं लेकिन बाजार में साइकिल के टायरों के कम संभरण का कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि अन्य ब्रांडों के टायर सरलता से मिल जाते हैं।

श्री श्याम लाल सर्राफ : कुछ समय पहले एक प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने बताया था कि सरकार ने ट्यूबों और टायरों के निर्माण के लिए एक अन्य कारखाने को लाइसेंस दिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि जबकि बाजार में इनकी कोई कमी नहीं है, तो इस कम्पनी की स्थापना के लिए लाइसेंस देने के क्या कारण हैं ?

श्री कानूनगो : मैंने बताया कि वितरण के लिए अधिक लाइसेंस आवश्यक हैं। इन पर कोई मूल्य-नियन्त्रण नहीं है और इसलिये उत्पादन पर भी नियंत्रण नहीं है।

श्री श्याम लाल सर्राफ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मुझे पता है और अन्य भी बहुत से लोग जानते हैं कि देश में कुछ विशिष्ट ब्रांडों के टायरों तथा ट्यूबों की कमी है। इसीलिए मैंने यह प्रश्न पूछा था।

श्री कानूनगो : पिछला प्रश्न मोटर और ट्रकों के टायरों के बारे में था। वर्तमान प्रश्न सभी प्रकार के टायरों के बारे में है। इस बारे में मैंने बताया है कि साइकिल के टायरों की कोई कमीनहीं है, मोटरों और ट्रकों के टायरों की भी कोई कमी नहीं है। जहां तक बाईसिकल के टायरों क सम्बन्ध है, यद्यपि इसकी कोई कमी नहीं है। विशेष बांडों की मांग है कुछ स्थानों पर इन ब्रांडों की कमी हो सकती है।

माना शिविर में स्थिति के बारें में

RE : CONDITIONS IN MANA CAMP

श्री मुहम्मद इलियास : श्रीमन्, अल्प सूचना प्रश्न लेने से पहले मैं एक जानकारी चाहता हूं। कल आपने माना शिविर में स्थिति के बारे में यह आश्वासन दिया था कि यदि हम अल्प सूचना प्रश्न की सूचना दें तो आप उसकी अनुमति देंगे, लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी गयी है। फिर हमने एक ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव की सूचना दी और उसकी भी अनुमति नहीं दी गयी है। आपने हमें आश्वासन दिया था...

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी मन्त्री महोदय से पूछता हूं कि क्या वह सायंकाल में इस प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इसका उत्तर देने को तैयार हैं और उनके पास आवश्यक जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे पूछा था और यदि वह अल्प-सूचना पर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार नहीं हैं तो इसमें मेरा कुसूर नहीं है...

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपका या मन्त्री महोदय का कोई दोष नहीं बता रहा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि कल मन्त्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर देने को तैयार थे। यदि वह अल्प-सूचना प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहते थे तो मैं इस बात को समझ सकता था। लेकिन हमें एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा और मन्त्री महोदय को इसका उत्तर देने को विवश करने का काम आपका है। शिविर में स्थिति बड़ी खराब है।

अध्यक्ष महोदय : विवश करने का कोई प्रश्न नहीं है लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

लाओस से के लिए भारतीय डाक्टरों का दल

+

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ३

श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से कोई डाक्टरों का दल लाओस भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह किसके अनुरोध पर भेजा गया ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) चिकित्सा दल लाओस के प्रधान मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्री, हिज हाइनेस प्रिंस सुवन्ना फूमा, की प्रार्थना पर भेजा गया था जिन्होंने लाओस में वर्तमान लड़ाई में नागरिकों के द्वारा उठाये गये कष्टों के बारे में भारत के प्रधान मन्त्री को एक तात्कालिक सन्देश भेजा था ।

(ग) चिकित्सा दल में छः चिकित्सा अधिकारी और ३७ अन्य श्रेणियों के कर्मचारी हैं ।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि पैथेट लाओस की सेनाओं ने हमारे सैनिक सर्जन तथा सैनिक चिकित्सक यूनिट भेजने पर आपत्ति की है, और इस चिकित्सा दल को वापिस बुलाने की मांग की है क्योंकि यह जेनेवा समझौते के प्रतिकूल है ?

श्री दिनेश सिंह : जी नहीं ।

श्री बड़े : लाओस के बारे में रूस के वे प्रस्ताव क्या हैं जिनका श्री लाल बहादुर शास्त्री ने हाल में उल्लेख करते हुए कहा था कि सरकार उन प्रस्तावों पर विचार कर ही है ?

श्री दिनेश सिंह : इस प्रश्न का चिकित्सा दल भेजे जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह एक आम प्रश्न है ।

श्री बड़े : प्रधान मन्त्री अथवा वैदेशिक-कार्य मन्त्री अथवा वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री को इस मामले में कुछ प्रकाश डालना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय उपमन्त्री ने माननीय सदस्य के प्रश्न पर आपत्ति करते हुए कहा है कि वर्तमान प्रश्न आम प्रश्न है यह केवल लाओस के लिए चिकित्सा दल के बारे में है । यदि माननीय सदस्य इससे सम्बन्धित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं ।

श्री बड़े : वहां एक चिकित्सा दल भेजा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इससे सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री बड़े : माननीय मन्त्री कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है किन्तु ३ जून, १९६४ के "टाइम्स आफ इण्डिया" में समाचार है कि न्यू चाइना . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मन्त्री महोदय से उत्तर चाहते हैं या "टाइम्स आफ इंडिया" से ?

श्री बड़े : इस बारे में समाचार प्रकाशित हुआ है । क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर गया है; यदि हां, तो सरकार ने इस समाचार का खण्डन क्यों नहीं किया ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य इसे लाओस में नहीं अपितु "न्यु चाइना एजेन्सी" के समाचार के आधार पर पूछ रहे हैं । चीनियों ने इस पर टिप्पण की है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या लाओस के मामलों में लाओस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन के सदस्य एक मत होकर कार्य कर रहे हैं या उनमें आपस में मतभेद है ?

श्री दिनेश सिंह : सभा को विदित है कि पोलिश प्रतिनिधि मण्डल इस समय कमीशन में काम नहीं कर रहा है क्योंकि पोलैण्ड ने अपने प्रतिनिधि को परामर्श के लिए वार्सा वापिस बुला लिया है।

अध्यक्ष महोदय : उपमन्त्री महोदय ने श्री बड़े के अनुपूरक प्रश्न पर आपत्ति की थी कि इसका वर्तमान प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु अब यह श्री हरि विष्णु द्वारा पूछे गये उसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यह भी श्री बड़े द्वारा पूछे गये प्रश्न की तरह असंगत प्रश्न है।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं उपमन्त्री द्वारा दिये गये उत्तर का अन्तिम भाग नहीं सुन सका।

अध्यक्ष महोदय : उपमन्त्री महोदय उत्तर का अन्तिम भाग दोहरा सकते हैं।

श्री दिनेश सिंह: मैंने इसका उत्तर इसलिए दिया कि माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या वहां पर कोई अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन कार्य कर रहा है। पोलैण्ड के प्रतिनिधि को परामर्श के लिए वार्सा वापिस बुलाया गया है इसलिए वह कमीशन में काम नहीं कर रहा है।

श्री बड़े : जब श्री हरि विष्णु कामत के प्रश्न का उत्तर दिया गया है तो मेरे प्रश्न का उत्तर भी दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को बाद में प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निस्सन्देह मानवीय आधार पर चिकित्सा दल भेजना सराहनीय बात है। किन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लाओस ; हाल में उत्पन्न राजनैतिक स्थिति से विभिन्न पक्ष सरकार का गठन करने के लिए वहां पर लड़ रहे हैं, क्या सरकार के लिए यह निर्णय करना उचित था कि लाओस में सरकार बनाने के लिए लड़ने वाले केवल एक पक्ष के लिए ही चिकित्सा मिशन भेजा जाये ?

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में इस समय नहीं पूछा जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उत्तर के (ख) भाग में उपमन्त्री महोदय ने बताया है कि प्रिंस सुवन्नफूमा की सरकार की प्रार्थना पर चिकित्सा दल भेजा गया है। क्या मैं जान सकता हूं...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल यह पूछ सकते हैं कि चिकित्सा दल भेजा गया है या नहीं। वह यह नहीं पूछ सकते कि क्या उन्हें भेजना बुद्धिमानी का काम है या नहीं।

Shri Onkar Lal Berwa : How many doctors were there in mission? Was any understanding to the effect that the mission would not carry any arms was reached with Laos?

Shri Dinesh Singh : It was a medical mission. They have not gone for fight.

Shri Onkar Lal Berwa : The mission has been compelled to come back because of so many difficulties having been created for them. Was there any prior condition with regard to the sending of this mission?

Shri Dinesh Singh : The mission did not carry any arms with them. They have gone there for medical aid. They are not experiencing any such difficulties as have been referred to by the Member.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the number of doctors sent?

Shri Dinesh Singh : I have already given this information.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि यद्यपि यह टुकड़ी सैनिक चिकित्सा टुकड़ी कहलाती है किन्तु इस के पास हथियार नहीं थे और क्या यह बिल्कुल शान्ति मिशन है ?

श्री दिनेश सिंह : यह सेना की एक चिकित्सा टुकड़ी है किन्तु यह सशस्त्र चिकित्सा टुकड़ी नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : उप मंत्री महोदय ने बताया है कि पैथेट लाओस सेनाओं ने हमारे चिकित्सा दल भेजने पर कोई आपत्ति नहीं की है । किन्तु समाचार पत्रों में छपी खबर के अनुसार उन्हों ने मांग की है कि भारतीय चिकित्सा दल वापिस बुलाया जाये । क्या सरकार का ध्यान इस विशेष समाचार की ओर गया है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका प्रत्युत्तर दिया है अथवा सारी स्थिति स्पष्ट की है ?

श्री दिनेश सिंह : हमारे लिये प्रत्येक समाचार पत्र को प्रत्युत्तर देना कठिन काम है । हमें इस संबन्ध में पैथेट लाओस से कोई विरोध-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । मैं बता चुका हूं कि हम ने यह मिशन लाओस के वैध प्रधान मंत्री की प्रार्थना पर भेजा है ।

श्री बड़े : मनोनीत प्रधान मंत्री महोदय ने संवाददाता सम्मेलन में बताया था कि हाल में रूस से कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं । ये प्रस्ताव क्या हैं तथा सरकार की इन के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं नहीं जानता हूं कि माननीय सदस्य किस वक्तव्य विशेष की चर्चा कर रहे हैं । कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर विभिन्न अवस्थाओं में विचार किया जा रहा है । ब्रिटेन, पोलैंड, आदि देशों के अलग अलग प्रस्ताव हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है । ये सब विस्तृत प्रश्न है । इस समय इन का उत्तर देना संभव नहीं है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या चिकित्सा मिशन भेजे जाने का निर्णय करने से पहले सरकार ने इस बात का निश्चय कर लिया था कि इस समय लाओस में जो अशान्ति का वातावरण है उस के अन्दर मिशन का भेजा जाना समझौते में रुकावट डालने के स्थान पर समझौता लाने में सहायक होगा, यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय उस निश्चय पर पहुंचने के कारणों का संक्षिप्त विवरण देंगे ।

श्री दिनेश सिंह : यह समझौता करने की दृष्टि से नहीं भेजा गया है किन्तु मुझे विश्वास है कि इस से समझौते में किसी प्रकार की बाधा नहीं आयेगी । यह केवल मानवीय आधार पर शरणार्थियों तथा अन्य असैनिक जनता को चिकित्सा संबंधी सहायता देने की दृष्टि से किया गया है ।

श्री कृष्णपाल सिंह : इस मिशन पर होने वाले व्यय को कौन देश वहन करेगा, मिशन के सदस्यों को क्या वेतन भत्ते दिये जाते हैं, और यदि कोई मिशन का सदस्य मर जाये या जख्मी हो जाय तो इस के लिए क्षति पूर्ति कौन करेगा ?

श्री दिनेश सिंह : व्यय हम वहन करते हैं ।

श्री जोकीम आल्वा : लाओस में चिकित्सा मिशन केवल भारत द्वारा ही भेजा गया है या ब्रिटेन और कनाडा ने, जो उस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, वहां अपने चिकित्सा मिशन भेजे हैं ।

श्री दिनेश सिंह : अन्य किसी देश द्वारा वहां पर मिशन भेजने के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है । हमें मिशन भेजने के लिए प्रार्थना की गई थी सो हम ने मिशन भेज दिया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Price of Jute

*180. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Maheswar Naik :

Will the Minister for **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Jute Mill-owners have urged upon Government to reduce the minimum price fixed for Assam bottom Jute at Calcutta; and

(b) the reaction of Government thereto?

The Minister of Industry (Shri Kanungo) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Export of Mica

*187. **Shri Y. D. Singh :** Will the Minister of **International Trade** be pleased to state :

(a) the value of mica exported to foreign countries during 1963 ; and

(b) the cost of production of mica in this country and the price at which it is exported?

The Minister of International Trade (Shri Manubhai Shah) : (a) about Rs. 9 crores.

(b) Cost of production of mica in India varies widely.

A statement indicating the floor prices of various exportable grades of mica is placed on the Table of the House. [*Placed in Library . See No. LT-2949/64*].

कारों की चोरबाजारी

*१८८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान दिनांक १८ मई, १९६४ के "स्टेट्समैन" में "नई कार लेने का सुगम मार्ग" नामक शीर्षक से प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह शिकायत की गयी है कि कारों में चोर बाजारी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो कारों की चोरबाजारी रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). यह समाचार जो सरकार की सूचना में है। कारों की चोरबाजारी रोकने के लिए सरकार मोटर कार (वितरण और विक्रय) नियंत्रण आदेश, १९५९ को प्राख्यापत कर चुकी है। इस समाचार में निर्देशित किस्म के सौदे इस नियंत्रण आदेश के उपबन्धों के विरुध हैं और अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। तथापि, जब तक सरकार को विशिष्ट मामले न बतायें जायें, स्पष्टत: अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। चोरबाजरी के सौदे में खरीदार विक्रेता से गुप चुप बात करता है और कानूनी आसरा लेने के पक्ष में कोई भी नहीं होता। ऐसी स्थिति में सरकार कुछ भी नहीं कर सकती ।

बस्त्रों का निर्यात

*१८६. श्री यशपाल सिंह :
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री महेश्वर नायक :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्रों के निर्यात की गुंजाइश का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है:

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला; और

(ग) वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, तैयार पोशाकों के निर्यात की काफी गंजाइश है।

(ग) अपने प्रदर्शन-कक्षों में और विदेशों में प्रदर्शनियों में प्रचार के अतिरिक्त तैयार पोशाकों के निर्यात को सभी सुविधायें दी जाती हैं ताकि वे विश्व मंडी में प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें।

अमरीका से सूती कपड़ा करार

*१९०. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री न० प्र० यादव :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री प्र० के० देव :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री हेडा :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री १ मई, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७८३-ख के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका के साथ सूती कपड़ा करार की शर्तें क्या हैं; और

(ख) इस करार के लागू हो जाने से उल्लिखित वर्गों के कपड़े के निर्यात पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) अमरीका को सूती कपड़े के निर्यात के मामले में भारत से मुकाबला करने वाले देशों के नाम क्या हैं और भारत के व्यापार की अन्य देशों के मुकाबले में क्या स्थिति है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २६५०/६४]

संसद् तथा राज्य विधान मंडलों के चुनाव

***१६१. श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि संसद् तथा राज्य विधान-मंडलों के चुनावों पर बहुत ही अधिक खर्च होने लग गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यय को कम करने की दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) यह सच है कि राज्य विधान मंडलों और संसद् के लिये निर्वाचन पर होने वाला व्यय बहुत अधिक होता है। वास्तव में, दूसरे सामान्य निर्वाचन पर प्रशासनिक व्यय ६ करोड़ रुपये हुआ जब कि पहले सामान्य निर्वाचन पर १० करोड़ रुपये व्यय हुआ था। तीसरे सामान्य निर्वाचन पर हुए व्यय के आंकड़े अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किये गये हैं।

(ख) निर्वाचन में होने वाले प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिये बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता

***१६२. श्रीमती सावित्री निगम** :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नाम्बियार :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ा दिये हैं यदि हां, तो वे उपक्रम कौन कौन से हैं;

(ख) क्या हैवी इलक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के प्रबन्धकों ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है;

(ग) क्या सामान्य स्थिति पुनःस्थापित करने तथा औद्योगिक संबंध सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) क्या कर्मचारियों की मुख्य मांगों पर विचार किया गया है ?

इस्पात, खान और थारी भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां। निम्नलिखित उपक्रमों ने मंहगाई भत्ते की दरों में परिवर्तन कर दिया है :

(१) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

(२) हैवी इलक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड

(३) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन

(४) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन

(५) नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

(६) नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन

(ख) हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड भोपाल के प्रबन्धकों ने अपने कर्मचरियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ता मंजूर किया है। इस के दर और लागू होने की तिथी वही है जिस की भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये फरवरी, १९६४ और मई, १९६४ में घोषणा की थी।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रतिनिधि संघों द्वारा भेजी गयी मांगों पर विचार किया जा रहा है।

निर्यात-आयात स्थिरीकरण निधि

*१९३. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रामस्वामी मुदालियर समिति की सिफारिश के अनुसार निर्यात-आयात स्थिरीकरण विधि बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) मुदालियर और माथरानी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में निर्यातकों को कच्चे माल, हिस्से और अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा की अधिक उपलब्धि के लिये एक योजना मंजूर की गयी है।

(ख) बैंकों के हाथ परामर्श दिया जा रहा है और आवेदन पत्रों की पड़ताल करने के लिये एक अन्तर्मंत्रालय समिति बनायी गयी है। योजना की रूप रेखा सभा पटल पर रखे विवरण में दी गयी है।

विवरण

प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत, विदेशी मुद्रा का काम करने वाले वाणिज्यिक बैंक भारत के रक्षित बैंक के आश्वासन पर एक निर्धारित तिथि तक ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा दी जायेगी, अपने विदेश स्थित मुख्यालयों, शाखाओं अथवा संवाददाताओं से ऋण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋण की इस जानकारी के आधार पर मंजुरशुदा वस्तुओं के निर्यात के निर्यातकों को जिन की सम्बन्धित बैंक द्वारा सिफारिश की गई हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की जाने वाली एक समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने पर, कच्चे माल, हिस्सों और फालतू पुर्जों के आयात के लिये लाइसेंस दिये जायेंगे।

२. निर्यातक को एक निर्धारित अवधि में विशिष्ट निर्यात करने के लिये एक बाण्ड भरना होगा। आयात लाइसेंस केवल उपयुक्त निर्यात संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत स्वीकार और निर्यात किये जाने वाले सामान के उत्पादन के लिये अपेक्षित कच्चे माल / हिस्सों के मूल्य के लिये ही दिये जायेंगे।

३. अतिरिक्त आयात करने के वचन को पूरा करने में असफल रहने वाले निर्यातकों के मामले में उतनी ही विदेशी मुद्रा की रकम वास्तविक उपभोक्ता के रूप में उस के नाम में लिख दी जायेगी। यह कार्य योजना के अन्तर्गत अन्य दण्ड के अतिरिक्त होगा।

४. यह सुविधा विशिष्ट उद्योगों में निर्माता–निर्यातकों को दी जायेगी। आरम्भ में, केवल गैरपरम्परागत निर्यात वस्तुओं, जैसे वे वस्तुयें जो इंजीनियरिंग और रसायन निर्यात संवर्द्धन परिषदों के अन्तर्गत आते है, के निर्माता निर्यातकों के आवेदन-पत्रों पर विचार किया जायेगा।

५. आवेदन पत्रों की अन्तमंत्रालय समिति द्वारा पड़ताल की जायेगी और इन का निर्णय अन्तिम होगा। निर्यातक को इस योजना के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिये स्वीकृत बैंक के जरिये काग-जात लेने देने पड़ेंगे ।

इस कार्य के लिये अभिकरण निर्यात ऋण और प्रत्याभूति निगम होगा ।

औद्योगिक लाइसेंस का हस्तान्तरण

४३५. **श्री सोनावने :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत किस तरीके से और किन शर्तों पर औद्योगिक लाइसेंस का हस्तान्तरण किया जाता है और उसे मान्यता दी जाती है ; और

(ख) किन परिस्थितियों में एक मौजूदा उद्योग को कोई नई वस्तु के निर्माण के लिये दिये गये औद्योगिक लाइसेंस के हस्तान्तरण को मान्यता नहीं दी जाती है और हस्तान्तरण से लाइसेंस प्राप्त करने वाले को नया लाइसेंस लेने को कहा जाता है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) उद्योग (विकास तथा विनियम) अधि-नियम, १९५१ अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये औद्योगिक उपक्रमों का पंजीयन और लाइसेंस देना नियमों में इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये लाइसेंसों के हस्तान्तरण की कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे वे 'नये उपक्रमों' के लिये हों या 'नयी वस्तुओं' के लिये। तथापि, नियमों में स्थापित किये जा चुके उन औद्योगिक उपक्रमों के नाम अथवा स्वामित्व में ,परिवर्तन को मान्यता देने का उपबन्ध है, जोकि लाइसेंस दी गयी और क्रियान्वित न की गयी योजनाओं से भिन्न हो।

सूडान के साथ व्यापार

४३६. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में सूडान के साथ भारत के व्यापार में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं और उस को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाईशाह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकाला में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० २९५१/६४]**

सेना के लिए 'प्रेशर कुकर'

४३७. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९६२ में एक विशेष फर्म को, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नियुक्त सैनिक कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिये, लगभग ३ लाख प्रेशर कुकरों का क्रयादेश दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कुकरों के संभरण के लिये निम्नतम टेंडर स्वीकार किये गये ;

(ग) क्या इस फर्म द्वारा बताये गये मूल्य बाजार-मूल्य से अधिक हैं ; और

(घ) यदि हां, तो फर्म का क्या नाम है और उस को इतना बड़ा क्रयादेश देने के क्या कारण हैं ?

संभरण विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) से (घ) दिसम्बर, १९६२ में मेसर्ज प्रेशर कुकर्स एण्ड एप्लायन्सेज (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई को २.२५ लाख रुपये मूल्य के केवल तीन हजार प्रेशर कुकरों का क्रयादेश दिया गया । यह ठेका ७५ रुपये प्रति कुकर की दर से दिया गया जबकि बाजार मूल्य ९० रुपये प्रति कुकर है ।

Camphor Plant in Bombay

438. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the first Indian Plant to produce Camphor from indigenous terpentine oil has been commissioned in Bombay ; and

(*b*) if so, whether this plant is in the private sector or public sector ?

The Minister of Industry (Shri Kanungo) : (*a*) Yes; but while the head Office of the company to which the plant belongs is at Bombay, the plant itself is in Bareilly District of Uttar Pradesh.

(*b*) Private Sector.

मैसूर से अखबारी कागज का कारखाना

४३९. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री षवन :
श्री बिशन चन्द्र सेंठ :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर में गैर-सरकारी क्षेत्र में एक अखबारी कागज का कारखाना स्थापित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसमें वार्षिक कितना उत्पादन होगा :

(ग) कारखाने की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जायेगी ;

(घ) क्या इस की स्थापना के लिये कोई विदेशी मुद्रा अपेक्षित होगी ; और

(ङ) यदि हां, तो किस देश से और किस हद तक ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां। एक प्रस्ताव है जिसे सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है।

(ख) प्रतिवर्ष ३०,००० टन।

(ग) से (ङ) यह परियोजना बहुत ही प्राथमिक स्तर पर है। आयातित और देशीय संयंत्र और मशीनों के समाहार के बारे में अभी बातचीत को अन्तिम रूप दिया जाना है। इस फर्म का कनाडा की एक फर्म के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव है।

फाउन्ड्री उद्योग

४४०. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री ब० कु० दास :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फाउन्ड्री उद्योगों को कच्चे लोहे की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या इस बारे में भारत के फाउन्ड्री संघ ने एक शिकायत की है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) जी, हां। देश में कच्चे लोहे (फाउंड्री की श्रेणी का) की सभी जगह कमी है। कच्चे लोहे की कुल उपलब्धता का अनुमान १२ लाख टन लगाया गया है जबकि मांग प्रतिवर्ष लगभग २० लाख टन है। अतः सभी प्रयोक्ताओं की केवल कुछ ही मांग पूरा करना संभव है। जो भी मात्रा उपलब्ध है, वह समान रूप से सभी फाउंड्रियों में वितरित की जा रही है।

(ग) कच्चे लोहे की उपलब्धता बढ़ाने के लिये विभिन्न दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपाय विचाराधीन हैं :—

(१) सरकार अगले २–३ वर्षों में भारत-रूस व्यापार करार और रुपये में भुगतान वाले क्षेत्र में अन्य देशों के साथ हुए करारों के अन्तर्गत प्रति वर्ष डेढ़ लाख टन कच्चा लोहा आयात करने पर विचार कर रही है और इस बारे में बातचीत की जा रही है।

(२) रत्नगिरि, महाराष्ट्र में २ लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता का एक कच्चा लोहा संयंत्र और गोआ में ३ लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता का एक कच्चा लोहा संयंत्र स्थापित करने के लिये स्वीकृत पत्र दिये गये हैं।

(३) लाइसेंस समिति ने बिहार में ३ लाख टन क्षमता वाले कच्चा लोहा उत्पादन कारखाने की एक योजना स्वीकार कर ली है।

(४) गैर-सरकारी क्षेत्र में कच्चा लोहा उत्पादन कारखानों को दिये जाने वाले लाइसेंसों की क्षमता की अधिकतम सीमा १ लाख टन से बढ़ा कर ३ लाख टन कर दी गई है। गैर-सरकारी क्षेत्र में अन्य कारखाने स्थापित करने के आवेदन पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है।

(५) मैसूर आइरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती के कच्चे लोहे के उत्पादन में काफी वृद्धि करने का लाइसेंस दिया गया है।

(६) चौथी योजना में इस्पात के विस्तार कार्यक्रम की प्रत्याशा में दुर्गापुर में पांचवीं और भिलाई में छठी धमन भट्टी शीघ्र लगाई जा रही है।

(७) टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड और इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को भी चौथी योजनावधि में उनके इस्पात विस्तार कार्यक्रम की प्रत्याशा में प्रत्येक में एक धमन भट्टी पहले से चालू करने की संभावना पर विचार करने के लिये कहा गया है।

(८) गोआ-हास्पत में और बेलाडिल्ला-विशाखापटनम क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में ४ लाख टन क्षमता को दो नई धमन भट्टियों की स्थापना के लिए एक तकनीकी समिति संभाव्यता प्रतिवेदनों का अध्ययन कर रही है।

छोटे ट्रैक्टर

४४१. श्री हरिश चन्द्र माथुर : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे ट्रैक्टरों के उत्पादन का कार्यक्रम निश्चित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) १९६४–६५ और १९६५–६६ में मांग और पूर्ति की स्थिति क्या होगी और वह किस प्रकार सन्तुलित की जायेगी ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) लाइसेंससुदा तीन योजनाओं और सिद्धान्त रूप से मंजूर की गई और तीन योजनाओं में से सिर्फ एक लाइसेंससुदा योजना की प्रगति हुई है और अनुमान है कि १९६५ में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। बाकी दो लाइसेंससुदा योजनाएं असफल हो गई हैं। सिद्धान्त रूप में मंजूर की गई तीन योजनाओं के मामले में परियोजना अधिकारी अब भी विदेशी सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अभी पूंजीगत माल के आयात, निर्माण कार्यक्रम और सहयोग की शर्तों के संबंध में सरकार को अपने प्रस्ताव भेजने हैं। इस बीच, लाइसेंस के लिए काफी नये आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अनुमानित आवश्यकताओं को देखते हुए अतिरिक्त क्षमता का लाइसेंस देने के उद्देश्य से उनकी छानबीन हो रही है।

(ख) देश में बिजली के हल एक आधुनिक खोज है चूंकि ये काफी अधिक संख्या में उपलब्ध नहीं किये गये हैं इसलिए १९६४-६५ और १९६५-६६ में उन की मांग क्या होगी यह बताना संभव नहीं है। सारे देश में प्रदर्शनों के जरिए धीरे धीरे मांग उत्पन्न करनी होगी। यह तभी किया जा सकता है जबकि काफी तादाद में हल उपलब्ध हों। मोटे तौर पर, खेतिहर वर्ग में इन दो वर्षों में ५,००० से १०,००० के बीच हलों की खपत हो सकती है अगर वे उपलब्ध कर दिये जायें।

पटसन से बनी चीजों का अफ्रीका को निर्यात

४४२. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीका को पटसन से बनी चीजों का निर्यात बढ़ाने के लिए जहाज मालिकों का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले अप्रैल में उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका के बाजारों में गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रतिनिधिमंडल ने इन देशों की आवश्यकताओं का पूरा पूरा अध्ययन किया है ; और

(ग) इन देशों को पटसन से बनी चीजों का निर्यात बढ़ाने के लिए अब तक क्या कदम बढ़ाये गये हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) सभी स्थानों को निर्यात किये गये माल की किस्म सुनिश्चित करने के लिये ऐच्छिक आधार पर किस्म नियंत्रण और जहाज पर माल लादने से पहले निरीक्षण आरम्भ किया गया है।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उड़ीसा

४४३. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उड़ीसा के बिक्री और उत्पादन केन्द्रों में गबन की रकम (२८८७२२ रु० १८ न०पै०) वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या इस गबन के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

आयातित कारों की बिक्री

४४४. **श्री यशपाल सिंह** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मिशनों द्वारा समर्पित और राजकीय व्यापार निगम द्वारा अधिग्रहीत आयातित कारों के निपटान के मामले में महत्वपूर्ण व्यक्तियों और सरकारी विभागों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री (मनुभाई शाह) : (क) और (ख). राजकीय व्यापार निगम द्वारा ली गई आयातित कारों के आवंटन के लिये निम्न क्रम से प्राथमिकता का निर्णय किया जाता है :

(१) पर्यटक संवर्धन
(२) राष्ट्रपति भवन

(३) राज भवन
(४) प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं
(५) केन्द्रीय/राज्य सरकारें
(६) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम
(७) मुहरबन्द टैण्डरों के द्वारा जनता को बिक्री ।

सरकार तथा सम्भरण कर्ताओं के बीच झगड़ों का निपटारा

४४५. **श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्भरण तथा निपटान निदेशालय तथा सम्भरण कर्ताओं के बीच के विवादों को कार्यालय से बाहर ही, निपटाने के लिये कोई तंत्र स्थापित किये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का अन्तर्निहित विचार क्या है और उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

सम्भरण विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख). सम्भरण तथा निपटान निदेशालय द्वारा किये गये ठेकों पर इस समय लागू होने वाली ठेकों की सामान्य शर्तों में, विधि मंत्रालय के एक अफसर द्वारा, जो सम्भरण तथा निपटान के महानिदेशक द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जायेगा, एकल मध्यस्थता के द्वारा झगड़ो के हल किये जाने की व्यवस्था है। जहां सम्भरणकर्ता ठेके की सामान्य शर्तों में उपबंधित मध्यस्थता को, स्वीकार नहीं करता, देने के समय, विवाद का निपटान, यदि उस समय प्रचलित विधियों के द्वारा विनियमित होगा। तथापि सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि ऐसे विवादों को हल करने के लिये एक दावा समिति नियुक्त की जाये, यदि यह पाया जाये कि प्रस्ताव को सामान्यतः स्वीकार कर लिया जायेगा। उद्देश्य यह है कि दावा समिति में एक ऐसा व्यक्ति हो, जो वित्त तथा विधि मंत्रालयों से संबंधित उच्च व न्यायिक पद धारण किये हो, या जिसने उस प्रकार का पद पहले धारण किया हो। समिति बातचीत के लिये पेश किये गये दावों का परीक्षण करेगी और सर्व-सम्मत समझौता कराने का प्रयत्न करेगी।

भिलाई सीमेंट कम्पनी

४४६. **श्री पू० ना० खां** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित भिलाई सीमेंट फैक्टरी तीसरी योजना अवधि में स्थापित की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना का प्लान और प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं; और

(ग) यदि है, तो किनके द्वारा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग). हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की भिलाई सीमेंट फैक्टरी की १९६७–६८ अर्थात् चौथी योजना अवधि के दूसरे वर्ष में स्थापित होने की आशा है। भिलाई इस्पात संयंत्र का डिजाइन एवं योजना विभाग परियोजना रिपोर्ट और प्राक्कलन तैयार कर रहा है।

दर्शन यंत्रों के शीशे तैयार करने की परियोजनाएं

४४७. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय दर्शन यंत्रों के शीशे तैयार करने की परियोजनाएं राज्यवार कितनी हैं;

(ख) १९६३-६४ में परियोजनाओं को कुल कितनी राशि दी गई; और

(ग) १९६४-६५ में उन परियोजनाओं को कितनी राशि दी गई है या देने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) इस समय देश में, केन्द्रीय शीशा और मिट्टी बर्तन अनुसन्धान संस्था, कलकत्ता में केवल एक दर्शन यंत्रों के शीशे का कारखाना है।

(ख) १९६३–६४ में कारखाने पर वास्तव में २.९ लाख रुपये खर्च किये गये।

(ग) वर्ष १९६४–६५ के लिये संयंत्र के लिये ५.० लाख रुपये का आवंटन किया गया है।

उड़ीसा में अम्बर चर्खा केन्द्र

४४८. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अप्रैल, १९६४ के अन्त तक कितने अम्बर चर्खा केन्द्र खोले गये; और

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भुवनेश्वर (उड़ीसा) को केन्द्र खोलने के लिये १९६२–६३, १९६३–६४ और १९६४–६५ में कितनी राशि का अनुदान दिया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्दस्तान केबलस लिमिटेड, रुपनारायणपुर

४४९. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, रूपनारायणपुर, पश्चिम बंगाल में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हैं; और

(ग) १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में केन्द्रीय सरकार के द्वारा हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को कितनी राशि का ऋण और अनुदान दिया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) २०६९.

(ख) अनुसूचित जातियां २५५
अनुसूचित आदिम जातियां . . . १३८

(ग) १९६३–६४ में ७५ लाख का ऋण और १९६४–६५ में नई परियोजनाओं की सामान्य अंश पूंजी में १९ लाख रुपये।

पैंसिल उत्पादन

४५०. श्री मलाईछामी :
श्री पें० वेंकटा सुब्बया :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा एरेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में पैंसिलों का उत्पादन आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो आन्तरिक मांग क्या है और मांग को पूरा करने के लिये कितने संयंत्र स्थापित करने पड़ेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में छोटे पैमान के हथकरघा उद्योग

४५१. **श्री मोहन नायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में सहकारिता के आधार पर उड़ीसा में छोटे पैमाने के कितने हस्त करघा उद्योग स्थापित किये गये; और

(ख) इस अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्योगों के विकास के लिये ऋणों और अनुदानों के रूप में कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) १९६३-६४ में सहकारिता के आधार पर उड़ीसा में आरम्भ किये गये छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योगों की संख्या जिलावार नीचे दी गयी है :—

बालगीर	३
संबलपुर	२
मयूरभंज	२
बालासेर	१
पुरी	१
गंजम	१

(ख) १९६३-६४ में हथकरघों के विकास के लिये उड़ीसा राज्य को मंजूर किये गये ऋणों और अनुदानों की राशि नीचे दी जाती है :—

अनुदान	५.६४ लाख रु०
ऋण	७.२९ लाख रु०

उड़ीसा में साइकिल और घड़ी निर्यात एक्क

४५२. **श्री मोहन नायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाइसिकलों और घड़ियों के निर्माण के लिये उड़ीसा राज्य में कितने सहायक एकक काम कर रहे थे:

(ख) इन एककों का वार्षिक उत्पादन कितना है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के द्वारा इन एककों को कितनी सहायता दी गई ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है। उद्योग निदेशक, उड़ीसा को यह सूचना देने के लिये कहा गया है। सूचना प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी उपक्रमों से संबद्ध प्रशिक्षण संस्थाएं

४५३. **श्री अ०सिं० सहगल**: क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उनके मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन सभी सरकारी उपक्रमों में प्रशिक्षण संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और काम कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में कितने लोगों ने अपना प्रशिक्षित क्रम पूरा किया ;

(ग) उनमें से कितने लोग इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ; और

(घ). उनमें से कितने प्रशिक्षण प्राप्त लोग उन उपक्रमों में काम पर लगाये गये ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कागज उद्योग

४५४. **श्री अ० स० सहगल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कागज उद्योग को कच्चे माल की कमी के कारण उत्पन्न हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कारवाई की है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, मध्य प्रदेश

४५५. **श्री अ० सिं० सहगल**: क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को हाल ही में बड़ा धक्का लगा है और धनाभाव के कारण बहुत सी सहकारी संस्थायें बन्द कर दी गई हैं और बहुत से कमचारी बेकार हो गये हैं।

(ख) यदि हां, तो कितनी संस्थाओं और कितने कर्मचारियों को इससे हानि पहुंची है ; और

(ग) सरकार का उन संस्थाओं को जल्दी से पुनः आरम्भ करने के लिये क्या कारवाई करने का विचार है ताकि उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग), अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इस्पात उद्योग के लिये चूने का पत्थर

४५६. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात उद्योग के लिये बढ़िया किस्म के चूने का पत्थर पर्याप्त मात्रा में अभी ढूंढना शेष है, ;

(ख) क्या आसाम के चूने के पत्थर की खोज करने और उसको इस्पात उद्योग के लिये प्रयोग में लाने की सम्भावना की परीक्षा कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अब तक मालूम किये गये चूने के पत्थर के निक्षेप यद्यपि विद्यमान इस्पात सन्यन्त्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं, परन्तु उसमें अग्राह्य तत्व अधिक हैं। कई नये निक्षेपों का पता लगाया गया है और जी० एस० आई० खोज कर रही है। ये वर्तमान इस्पात सन्यन्त्रों के विस्तार तथा स्थापित किये जाने वाले नवीन सन्यन्त्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त होंगे।

(ख) और (ग). चूने के पत्थर की खोज आसाम में नहीं की गई क्योंकि वहां से इस्पात सन्यन्त्रों तक उसको ले जाने का खर्च अधिक होने के कारण यह लाभदायक नहीं रहेगा।

आसाम में लोह अयस्क के निक्षेप

४५७. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में लौह अयस्क के निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने आसाम के कोयले लौह अयस्क तथा चूने के पत्थर के संसाधनों का उपयोग करके वहां छोटी भट्टियां स्थापित करने की सम्भावना का विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). भारत सरकार ने अभी ऐसी संभावना पर विचार नहीं किया। लौह अयस्क मैंगनेहाइट किस्म के हैं। घटिया किस्म का अयस्क होने और उसको साफ करने की पेचीदगी के कारण, आर्थिक दृष्टि से उन निक्षेपों का महत्व नहीं है।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के सहयोग से औद्योगिक परियोजनाएं

४५८. **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री विशन चन्द सेठ :
श्री धवन :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जर्मन प्रजातन्त्रीय गणतन्त्र

द्वारा भारत में औद्योगिक परियोजनाओं के लिये २००० लाख मार्क्स की गई पेशकश के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): जी नहीं। जर्मन प्रजातन्त्रीय गणतन्त्र सरकार की ऋण की पेशकश पर भारत सरकार द्वारा, प्रविधिक तथा अन्य पहलुओं से विचार किया जा रहा है।

Cotton Textile Mill in Bihar.

459. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have given a licence to a party to set up a Cotton Textile Mill at Motihari in District Champaran, North Bihar ;

(b) if so, whether it is a fact that the licencee does not intend to set up the cotton mill ; and

(c) if so, the steps being taken by Government in the matter ?

The Minister of Industry (Shri Kanungo) : (a) Yes, Sir, But the location of the proposed mill has since been changed to Mouza Chakla, Near Ormanjhi, District, Ranchi, Bihar.

(b) No, sir. The party has already taken effective steps.

(c) Does not arise.

हिमाचल प्रदेश में सूती कपड़े के कारखाने

४६०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २३ अगस्त १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८११ के उत्तर के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश में पयोंटा में सूती कपड़े का कारखाना स्थापित करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : हिमाचल प्रदेश में पेयोंटा में सूत कताई कारखाने को २८-४-६४ तक स्थापित करने की जरूरत है। राज्य सरकार ने बताया है कि उस पक्ष ने मिल स्थापित करने के लिये अभी तक कोई कारवाई नहीं की।

लौह अयस्क के मूल्य

४६१. **श्री शिव मूर्ति :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री साधू राम :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लौह अयस्क के अधिमानी मूल्य बेलारी जिले में डालमिया एण्ड सन्स को दिये गये हैं ;

(ख) क्या दूसरे खान मालिकों को उसी क्षेत्र में उसी किस्म के अयस्कों के लिये कम दामों की पेशकश की गई है ; और

(ग) एक ही किस्म के अयस्क को एक कम्पनी को अधिक तथा दूसरी कम्पनियों को कम दाम पेश करने के क्या कारण हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). जी नहीं ।

लौह अयस्क व्यापार में राजकीय व्यापार निगम के प्रविष्ट होने से पूर्व, मैसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, कुद्डा लोर पत्तन पर पत्तन और रेल सुविधाओं के विकास तथा वित्तीय सहायता के बदले में जापान को बेलारी-होस्टपेत क्षेत्र स्थित अपनी खानों से बहुत बढ़िया किस्म के लोहे के अयस्क के निर्यात की परियोजना में सहयोग के लिये जापान में कुछ इस्पात मिलों के साथ बात-चीत कर रहा था । तदुपरान्त रेलवे और पत्तन प्राधिकार जापानी इस्पात मिलों से कोई सहायता लिये बिना ही विकास करने में सफल हुए । लौह अयस्क का निर्यात भी राजकीय व्यापार निगम (अब खनिज तथा धातु व्यापार निगम) के द्वारा हुआ । जापानी इस्पात मिलों और मैसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड के बीच की बातचीत समाप्त हो गई ।

२. लौह अयस्क के सम्भरण के लिये जापानियों के साथ राजकीय व्यापार निगम के द्वारा किये गये बुनियादी करार में बहुत बढ़िया किस्म का लौह अयस्क शामिल नहीं है । तथापि जापानी लोग बेलारी-होसपेत क्षेत्र से, मूल करार के अंतर्गत देय कीमत से अधिक दामों पर बहुत बढ़िया किस्म का लौह अयस्क देने के लिये तैयार हैं, यदि माल मैसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड की खानों से दिया जाए । लाभदायक बिक्री दामों और अधिक विदेशी मुद्रा की कमाई के कारण, निगम ने यह शर्त स्वीकार कर ली । १९५७–५८, १९५८–५९, और १९५९–६० के पहले सम्भरणों के लिये, सम्पूर्ण कर रहित माल मैसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड से प्राप्त किया गया । तथापि निगम ने बातचीत के दौरान प्रति वर्ष जापानी इस्पात मिलों को अपने माल का कुछ अंश मैसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड के अतिरिक्त अन्य खानों से लेने के लिये अनुरोध करने का प्रयत्न जारी रखा । बहुतेरे कठिन सौदे के पश्चात् जापान वालों ने डालमिया से भिन्न खानों से २० प्रतिशत माल उठाना स्वीकार करने का उपबन्ध १९६०–६१ के करार में किया । बाद के वर्ष में, इस मात्रा को ३० प्रतिशत तक बढ़ाया । अब यही स्थिति है ।

३. जापानी और अन्य विदेशी श्रोतागण इस लौह अयस्क के लिये कुछ अधिक दाम देते हैं—इसके मुख्य कारण हैं, गुण-प्रकार, भौतिक गुण स्वरूप, और इस्पात तथा अन्य वस्तुएं बनाने में इन अयस्कों का बेहतर मिश्रण और भारी होना है ।

हथकरघा उद्योग

४६२. **श्री शिव मूर्ति स्वामी :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री साधू राम :

क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में कितने हथकरघे काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार के पास इस उद्योग को बढ़ाने के लिये बाजार आरक्षित करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन आये हैं; और

(ग) क्या १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में हथकरघे के कपड़े के निर्यात के लिये विदेशों में कोई और बाजार मालूम किये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ३२, ००,०००।

(ख) जी हां, हथकरघा द्वारा एकमात्र उत्पादन के लिये धोतियां और साड़ियां आरक्षित करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी हां। कनाडा, आस्ट्रेलिया, कुवैत और संयुक्त राज्य अमरीका।

पंजाब के लिये नालीदार लोहे की चादर

४६३. **श्री हेमराज** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में पंजाब के लिये कितनी नालीदार लोहे की चादरें आवंटित की गई थीं और १९६४–६५ में कितनी चादरें आवंटित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) १९६३–६४ में कितनी नालीदार लोहे की चादरों की निकासी की गई थी; और

(ग) इन वर्षों में राज्य सरकार ने कितनी चादरों की मांग की थी और कितनी चादरें मंजूर की गई थीं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) से (ग). अप्रैल, १९६२ से लेकर जी० सी० चादरों का कोई आवंटन किसी भी राज्य को नहीं किया गया है क्योंकि उत्पादकों के पास बहुत 'आउट स्टैन्डिग्स' हैं। 'आउट स्टैन्डिगग्स' पर ही सम्भरण किया जाता है। जी० सी० चादरों की पंजाब द्वारा की गई मांग तथा 'आउट स्टैन्डिग्स' के विरुद्ध उनको किये गये लदान निम्न प्रकार हैं :—

अवधि	मांग (टनों में)	'आउटस्टैंडिग्स के विरुद्ध लदान (टनों में)
१९६३–६४	३३,५६७	५,१०६
१९६४–६५ का प्रथम वर्षार्द्ध (अप्रैल–सितम्बर, १९६४)	१६,५३०	(अवधि अभी तक समाप्त नहीं हुई है)

Gypsum Deposits in Rajasthan

464. Shri P.L. Barupal : Will the Minister of **Steel, Mines and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have deputed any experts for exploring gypsum for the manufacture of fertiliser in Bikaner division of Rajasthan ; and

(b) if so, the names of the places where they undertook exploration work and the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri P.C. Sethi) : (a) and (b). From 1961 onwards, exploration for gypsite was carried out in the districts of Churu, Bikaner and Ganganagar

in the Bikaner Division by the Geological Survey of India. Geological traverses made in the districts with a view to locate any new deposits and shallow drill holes were put down in the region of Pallu and Suratgarh in Ganganagar. Pitting and trenching operations were also carried out in certain places with a view to determine the extent of the deposits. The total reserves estimated amount to 3.5 million tonnes in Bikaner District and 3,45,000 tonnes in Churu and Ganganagar Districts.

उड़ीसा में मैंगनीज, क्रोमाइट और लौह अयस्क

४६५. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में निजी खान मालिकों द्वारा चलाई जाने वाली खानों से १९५५ से लेकर १९६० तक और १९६१ से लेकर १९६३ तक के वर्षों में मैंगनीज, क्रोमाइट और लौह अयस्क का कितना औसतन वार्षिक उत्पादन हुआ ;

(ख) उड़ीसा राज्य से देश के विभिन्न भागों तथा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रके इस्पात सन्यन्त्रों को उक्त कथित अयस्क प्रतिवर्ष औसतन कितनी कितनी मात्रा में भेजे गये ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क)	१९५५ से १९६० तक के वर्षों में औसत वार्षिक उत्पादन	१९६१ से १९६३ तक के वर्षों में औसत वार्षिक उत्पादन
मैंगनीज अयस्क .	३७८,४०६ मीट्रिक टन	३९६,१२६ मीट्रिक टन
क्रोमाइट .	७१,५९७ मीट्रिक टन	४५,८७४ मीट्रिक टन
लौह अयस्क . .	*२,३७२,००० ,,	४,६१६,००० ,,

(*१९५९ से लेकर बोलान ओर्स लिमिटेड से किये गये लौह अयस्क के उत्पादन को मिला कर, जो कि हिन्दुस्तान स्टील्स लिमिटेड, सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम और गैर-सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम का एक संयुक्त उपक्रम है ।

(ख) निजी खानों से निम्नलिखित को भेज गये अयस्क मैंगनीज अयस्क	मात्रा ,००० मीट्रिक टनों में १९५८	१९५९	१९६०	१९६१	१९६२	१९६३
(१) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र .	@	१६	८०	८६	१३०	१४१
(२) गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात सन्यन्त्र . . .	४४	५९	६४	१०२	९०	९२
(३) लौह और इस्पात सन्यन्त्रों के अतिरिक्त . .	५	१०	१८	२५	३५	३८

@१९५८ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

		१९५८	१९५९	१९६०	१९६१	१९६२	१९६३
लौह अयस्क							
(१) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र .	@	५६०	६३७	१०५६	१५४५	२१५४	
(२) गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात सन्यन्त्र .		१०५८	१२०२	१९३४	२२४७	२१४८	२३२८
(३) लौह और इस्पात सन्यन्त्रों के अतिरिक्त .		९	२५	५८	३८	३२	३३
%आन्तरिक उपभोग के लिये क्रोमाइट के लदान .	@ .	७	१४	२५	२७	३०	

@ १९५८ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।)

% सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात सन्यन्त्रों को भेजी गई क्रोमाइट के पृथक् पृथक् आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।)

टिप्पण :—१९५५ से लेकर १९५७ तक मैंगनीज, क्रोमाइट और लौह अयस्क के लदानों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि खनिज पदार्थ संरक्षण तथा विकास नियम, १९५८, जिनके अधीन कि यह जानकारी खान मालिकों से एकत्रित की जाती है, केवल १ जून, १९५८ से ही प्रभावी हुए थे।

गिरदिह, कोयला खानों में मजदूरों की छंटनी

४६६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गिरदिह कोयला खानों में ३०८ वरिष्ठ मजदूरों की छंटनी की जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह कार्यवाही पहिले किये गये समझौते के विरुद्ध है ;

(ग) क्या इन मजदूरों को किसी विस्तारोन्मुख संस्था, जैसे कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, की अन्य कोयला खानों में खपाने की कोई योजना अथवा प्रस्ताव है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कुरहरबारी कोयला खान (गिरदिह कोयला खान) के सरियाबाद पिट को कोयले के समाप्त होने के कारण बन्द कर दिये जाने पर, इस पिट में कार्य करने वाले सबके सब ३०८ कर्मचारियों को प्रारम्भ में फालतू माना गया था। परन्तु स्थिति का पुर्नमूल्यांकन करने पर यह पाया गया कि विभिन्न प्रवर्गों के केवल २७६ मजदूर फालतू थे। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार अनेकों पिट्स वाली सारी कुरहरबारी कोयला खान को एक उपक्रम के रूप में माना जाता है। तदनुसार इस सारी कोयला खान

के कार्य करने वाले कनिष्ठतम मजदूरों को फालतू घोषित किया गया था। "बाद में आना पहिले जाना" के आधार पर १२१ कोयला खनिकों और ३६ बोझा ढोने वालों, जिनकी नौकरी एक वर्ष से कम की थी, की छंटनी कर दी गई है। शेष १२९ मजदूरों को छंटनी पूर्णतः उक्त सिद्धान्त के अनुसार की जा रही है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि वरिष्ठ मजदूरों की छंटनी की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जितने भी मजदूरों को अन्य कोयला खानों में खपाना सम्भव हो सकता है उसके लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं और वास्तव में उस प्रकार से कुछ मजदूर तो काम पर लग भी गये हैं।

नागपुर के निकट कोयले के निक्षेप

४६७. **श्री क० ना० तिवारी :**
श्री दे० जी० नायक :

क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर के निकट कोयला पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या ब्यौरे हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी हां, नागपुर के निकट कम्पनी, उमरेर तथा बांदर कोयला क्षेत्रों में कोयला पाया गया है। कम्पती कोयला क्षेत्र के क भाग में ४४ करोड़ ५० लाख मीट्रिक कोयले के रक्षित भण्डार होने का अनुमान है और बांदर कोयला क्षेत्रों में १० करोड़ ९० लाख मीट्रिक टन होने का। उमरेर कोयला क्षेत्र में ७ करोड़ मीट्रिक टन कोयले के रक्षित भंडार का अनुमान लगाया गया है।

बिहार में खानें

४६८. **श्री क० ना० तिवारी :** क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बिहार सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई अधिकांश खानों में कार्य इस लिये नहीं किया जा सका है क्योंकि खानों के मुहानों के निकट रेलवे लाइनों की व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो गुम, मनोहरपुर तथा चिरिया रेन्ज पर पट्टे पर दी गई ऐसी खानों की संख्या कितनी है जिनमें खनन कार्य नहीं किया गया है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री श्री प्र० चं० सेठी) : (क) बिहार सरकार द्वारा दिये गये किसी ऐसे खनन पट्टे के सम्बन्ध में कोई समाचार प्राप्त नहीं हुए हैं जिनमें रेलवे लाइनों की व्यवस्था न होने के कारण कार्य न किया जा सका हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चाय बागान

४६९. **श्री रामहरख यादव** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के चाय बागानों का एक बड़ा भाग एकमात्र विदेशी हितों के कब्जे में है, मुख्यत: ब्रिटिश फार्मों के;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बागानों के क्या ब्यौरे हैं; और

(ग) भारत के चाय उद्योग में ब्रिटिश हितों के ब्यौरे क्या हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). भारत में चाय उगाये जाने वाले कुल क्षेत्र के लगभग ४५.१७ प्रतिशत भाग की मालिक गैर-भारतीय कम्पनियां हैं जो कि मुख्यत: ब्रिटिश कम्पनियां हैं। ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

	चाय बगानों की संख्या	३१-३-१९६२ की स्थिति के अनुसार चाय की खेती का क्षेत्र (हैक्टेयरस)
गैर-भारतीय . .	३८५	१५२,०५३.०८
योग	९६५३	३३२,९६१.२९

(ग) चाय उद्योग में विनियोजित (रक्षितियों को मिलाकर) लगभग १४० करोड़ रुपये की कुल पूंजी में से, लगभग ९५ करोड़ रुपये की ब्रिटिश पूंजी है। भारत की चाय तोड़ने वाली फर्मों में से लगभग ५६ प्रतिशत मुख्यत: ब्रिटिश फर्में हैं जो कि भारत में नीलामी का अधिकांश कार्य करती हैं। चाय के कुल निर्यात का लगभग ५३ प्रतिशत निर्यात ब्रिटिश फर्मों द्वारा किया जाता है। ऐसा अनुमान है कि चाय के सम्मिश्रण के कुल कार्य का लगभग ८७ प्रतिशत कार्य ब्रिटिश फर्मों द्वारा किया जाता है।

उड़ीसा के मुख्य मंत्री

४७०. **श्री प्र० के० देव** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या उड़ीसा के वर्तमान मुख्य मंत्री के उड़ीसा विधान सभा के एक सदस्य के रूप में बने रहने के विरुद्ध निर्वाचन आयोग से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो यह शिकायत कब प्राप्त हुई थी तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

विधि मंत्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र) : (क) यह प्रश्न कि क्या श्री बीरेन मित्र, उड़ीसा के वर्तमान मुख्य मंत्री, राज्य विधान सभा के सदस्य होने के लिये अनर्ह हो गये हैं; राज्यपाल को भेजी गई एक याचिका में उठाया गया था जिसने कि उसे निर्वाचन आयोग को अपनी राय देने को भेज दिया था ;

(ख) राज्यपाल ने जो मामला भेजा था वह आयोग को २३ दिसम्बर, १९६३ को प्राप्त हुआ था और दोनों दलों को नोटिस जारी करने के पश्चात् आयोग ने इस की जांच की थी। आयोग ने ३० मई, १९६४ को अपनी राय व्यक्त की तथा १ जून, १९६४ को उसे राज्यपाल को भेज दिया है।

जयपुर में "ट्रांसमिशन टावर" कारखाना

४७१. **श्री रामपुर :**
श्री द्वारकादास मंत्री :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि जयपुर में एक बड़े ट्रान्समिशन टावर कारखाने के स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक कार्य के कब प्रारम्भ होने की संभावना है; और

(ग) कारखाने की क्षमता कितनी होगी ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां, ट्रांसमिशन टावर्स और कुछ अन्य वस्तुओं का निर्माण करने के हेतु जयपुर में एक औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन एक लाइसेंस दिया गया है।

(ख) आशा की जाती है कि तृतीय योजना काल के अन्त तक कारखाने में उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा।

(ग) इस औद्योगिक उपक्रम की अनुज्ञप्त क्षमता निम्नलिखित है :—

	(टन प्रति वर्ष)
(१) ट्रांसमिशन टावर्स	२४,०००
(२) भारी ढांचे	६,०००
(३) एच० टी० काबले और ढिबरियां	६,०००

सीमेंट कारखाने

४७२. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र में सीमेंट कारखाने को खोलने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किये गये तीन सीमेंट कारखाने तो चल रहे हैं, राज्य सरकारों द्वारा सीमेंट कारखानों को स्थापित करने की आठ और योजनाओं के लिये लाइसेंस दे दिये गये हैं अथवा दिये जा रहे हैं। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर, लिमिटेड, जोकि केन्द्रीय सरकार के उपक्रम हैं, के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। ये प्रस्ताव क्रमशः भिलाई (मध्य प्रदेश)

में धमन भट्टी स्लैग से सीमेंट बनाने के ६,००,००० टन की वार्षिक क्षमता वाले एक सीमेंट कारखाने को स्थापित करने तथा कैल्शियम कारबोनाइट स्लज से सीमेंट बनाने के दूसरे १,००,००० टन क्षमता वाले कारखाने को अलवाये (केरल में) स्थापित करने के हैं।

एक सीमेंट निगम स्थापित करने का निर्णय किया गया है। निगम को जो मुख्य उद्देश्य सौंपे जायेंगे उनमें से एक सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के निर्माण के लिये पर्याप्त क्षमता का अधिष्ठापन करना है जिस से कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये जाने की संभावना है उनको प्राप्त करने में सहायता मिले। निगम कितनी कितनी उत्पादन क्षमता अपने हाथ में लेगा यह अभी निश्चय नहीं किया गया है।

केरल में सीमेंट कारखाना

४७३. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या चूना-पत्थर के निक्षेपों का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) क्या औद्योगिक स्तर पर इन निक्षेपों पर कार्य करने की सम्भावना की जांच की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, द्वारा अलवाये, केरल, में १,००,००० टन वाले एक सीमेंट कारखाने को स्थापित करने की एक योजना मंजूर कर ली गई है। सीमेंट का निर्माण अलवाये के उर्वरक कारखाने के कैल्शियम कार्बोनेट स्लज से किया जायेगा, चूना पत्थर से नहीं।

मद्रास में सीमेंट की कमी

४७४. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में सीमेंट का कारखाना है; और

(ख) यदि हां, तो उस राज्य को सीमेंट के पर्याप्त सम्भरण को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) मद्रास राज्य को मिलाकर सम्पूर्ण देश में ही सीमेंट की कमी है।

(ख) १ करोड़ ६ लाख टन की अतिरिक्त क्षमता की योजनाओं को लाइसेंस दे दिये गये हैं/ मंजूरी दे दी गई है और उस क्षमता को शीघ्रतापूर्वक स्थापित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। विद्यमान क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

तिलहन का निर्यात

४७६. { श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दस वर्षों अथवा इस के लगभग अवधि में प्रतिवर्ष तिलहन का निर्यात कम होता गया है और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या देशी मण्डी में तिलहनों के मूल्य में सर्वदा वृद्धि ही होती रही है और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं। उत्पादन में कमी के कारण १९५६ से ले कर १९५८ की अवधि में एच० पी० एस० मूंगफली का निर्यात कम हो गया था परन्तु बाद में वह कमी दूर हो गई थी।

(ख) एच० पी० एस० मूंगफली जो कि ऐसा तिलहन है जिस का देश से मुख्य रूप से निर्यात किया जाता है--के मूल्यों में गत दस वर्षों में भारी वृद्धि हुई है मूल्य में वृद्धि इस कारण हुई है कि देश में इस की बढ़ती हुई मांग के साथ साथ इस के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है।

चाय बोर्ड के अधिकारियों का विदेशों में दौरा

४७८. **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया जाय कि (१) उन्नति तथा अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में १ अप्रैल, १९६३ से ले कर ३० अप्रैल, १९६४ तक की अवधि में चाय बोर्ड के जिन अधिकारियों ने विदेशों का दौरा किया उन के ब्यौरे क्या हैं; (२) जिन देशों का दौरा किया गया उन के नाम क्या हैं, (३) प्रत्येक मामले में कितना रुपया व्यय हुआ; और (४) उन दौरों से क्या परिणाम प्राप्त हुआ ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--२९५२/६४]**

इंडिया स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन और इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन

४७९. **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या **सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मूल नियुक्ति वाले प्रथम श्रेणी के अधिकारी (प्रविधिक तथा गैर-प्रविधिक दोनों ही) जोकि ३० अप्रैल, १९६४ को (१) इंडिया स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन और (२) इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन में कार्य कर रहे थे, उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) उन देशों में उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि कितनी है ;

(ग) विभिन्न अध्ययन दलों द्वारा उन के प्रतिवेदनों में दिये गये सुझावों की दृष्टि में इन मिशनों में अधिकारियों और कर्मचारियों पर होने वाले व्यय में कमी करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) १९६३-६४ में व्यय में कितनी वास्तविक बचत की गई है और १९६४-६५ में कितनी की जाने की आशा है ?

सम्भरण विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—२९५३/६४]

नेपाल को व्यापार पारगमन सुविधायें

४८०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भारतीय राज्य-क्षेत्र में होकर नेपाल और पाकिस्तान के बीच व्यापार किये जाने के सम्बन्ध में हाल ही में सुविधायें प्रदान की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ;

(ग) क्या इन सुविधाओं को देते समय भारत सरकार ने पाकिस्तान राज्य-क्षेत्र में हो कर भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार चलाये जाने के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सुविधाओं के दिये जाने की मांग की थी ; और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या ब्यौरे हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). भारत सरकार और नैपाल सरकार के बीच १९६० में जो व्यापार और पारगमन सन्धि हुई थी, उसमें, अन्यवस्तुषु, यह व्यवस्था की गई है कि सन्धि पर हस्ताक्षर वाले दोनों देशों में से किसी भी एक देश के राज्य-क्षेत्र में होकर दूसरे देश में किसी तीसरे किसी देश से वस्तुओं का आयात किया जा सकेगा अथवा दूसरे हस्ताक्षरकर्ता देश से किसी तीसरे देश को वस्तुओं का निर्यात किया जा सकेगा। १९६२ में किये गये नैपाल-पाकिस्तान व्यापार करार के अनुसरण में नैपाल सरकार ने भारत सरकार से यह प्रार्थना की कि वह पाकिस्तान के साथ उनके व्यापार के राधिकापुर के मार्ग से किये जाने के लिये सुविधायें दे। सन्धि में किये गये उपबन्धों को मानते हुए, भारत सरकार राधिकापुर होकर व्यापार गमन की सुविधायें देने के लिये सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई है परन्तु यह शर्त रखी गई है कि इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय को नैपाल सरकार वहन करेगी और सन्धि निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पारगमन प्रक्रिया तैयार की जा रही है। इसके ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ). जी, नहीं, क्योंकि भारत-नैपाल व्यापार तथा पारगमन सन्धि के उपबन्धों के अनुसार बातचीत नैपाल के साथ की गई है, पाकिस्तान के साथ नहीं। पाकिस्तान अपने राज्य-क्षेत्र में होकर भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार गमन की सुविधायें दे रहा है।

आसाम में सीमेंट की कमी

४८१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेन्ट की कमी के कारण आसाम में विकास कार्य रुक गया है ;

(ख) यदि हां, तो १९६३ की प्रत्येक तिमाही में और १९६४ की प्रथम तिमाही में आसाम में सीमेन्ट की मांग और सम्भरण की क्या स्थिति रही है ; और

(ग) सारी मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) इस समय समस्त देश में ही सीमेन्ट की कमी है। राज्य सरकारों और केन्द्रीय प्रायोजी प्राधिकारों को सीमेंट के तिमाही इकट्ठे आवंटन किये जाते हैं और वे लोग विकास कार्यों सम्बन्धी मांग को मिला कर प्रत्येक मांग की सापेक्षिक अनिवार्यता तथा प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए उस इकट्ठे अभ्यंश के सीमेंट का अलग अलग वितरण करते हैं। सीमेन्ट की कमी के कारण आसाम में विकास कार्यों के रुक जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

आसाम के लिये लोहे की नालीदार चादरें

४८२. **श्री प्र० चं०बरुआ** : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में लोहे की नालीदार चादरों की भारी कमी है जिसके कारण उस राज्य में विकास कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९६४ की प्रथम तिमाही और १९६३ की प्रत्येक तिमाही में उस राज्य में इन चादरों की मांग तथा सप्लाई की स्थिति क्या थी ; और

(ग) पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ग). जस्ती नालीदार चादरों की सामान्य कमी न केवल आसाम में ही है अपितु सारे देश भर में है। आपात की घोषणा के पश्चात् प्रतिरक्षा सम्बन्धी भारी मांगों के कारण गैर-प्रतिरक्षा मांगकर्त्ताओं के लिये अधिक कमी पैदा हो गई है। अप्रैल से इन चादरों की बड़ी मात्रा शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये रक्षित रखी गई है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिये कि सभी राज्यों को उपलब्ध चादरों का साम्यिक भाग मिले, एक कार्यक्रम बनाया गया है। तीसरी योजना के विस्तार के कार्यक्रम में रूरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा १६०,००० मीट्रिक टन जस्ती चादरों के उत्पादन के लिये व्यवस्था की गई है। इस बीच यथासम्भव मात्रा में चादरों के आयात के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) अप्रैल, १९६२ से किसी भी राज्य को नालीदार जस्ती चादरें नहीं दी गई हैं क्योंकि निर्माताओं को पहले ही बकाया क्रयादेशों पर बड़ी मात्रा में माल देना था। संभरण केवल बकाया क्रयादेशों पर ही किया जाता है। बकाया क्रयादेशों पर आसाम राज्य की नालीदार जस्ती चादरों की मांग तथा उनका संभरण निम्न प्रकार है :—

अवधि	मांग (मीट्रिक टनों में)	बकाया क्रयादेशों पर सम्भरण (मीट्रिक टनों में)
१९६२–६३ का उत्तरार्ध (अक्तूबर ६२ से मार्च ६३ तक)	१७,०३९	३,८२१
१९६३–६४ का पूर्वार्ध (अप्रैल ६३ से सितम्बर ६३ तक)	३०,४४९	७,३४७
१९६३–६४ का उत्तरार्ध (अक्तूबर ६३ से मार्च ६४ तक) . .	३०,६७३	५,८५६

एल्यूमिनियम के बर्तनों का निर्यात

४८३. **डा०श्रीनिवासन** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय** व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात किये जाने वाले एल्यूमीनियम के बर्तनों पर 'आई० एस० आई०' की छाप लगाई जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में काम में आने वाले एल्यूमीनियम के बर्तनों पर आई० एस० आई० की छाप नहीं लगाई जाती ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां । निर्यात किये जाने वाले एल्यूमिनियम के बर्तनों पर आई० एस० आई० की छाप होना अनिवार्य है ।

(ख) जी, हां । स्वदेशी मंडी के लिये आई० एस० आई० की छाप का होना अनिवार्य नहीं है ।

(ग) नीति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने यह स्वीकार किया है कि देश में उपभोग के लिये बनाये जाने वाले एल्यूमीनियम के बर्तनों पर भी किस्म नियंत्रण लागू होना चाहिये । अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रारुप आदेश तैयार किया गया है जिसे राज्य सरकारों को परिचालित किया जायेगा और उनकी टिप्पणियां प्राप्त की जायेंगी क्योंकि आदेश अपनी क्रियान्विति के लिये राज्य के स्तर पर उपयुक्त मशीनरी स्थापित करने से सम्बन्ध रखेगा । तथापि, यह कहा जा सकता है कि देश में अनुसूचित एककों द्वारा निर्मित एल्यूमीनियम के बर्तनों की किस्म संतोषजनक समझी जाती है और उचित किस्म नियंत्रण छोटे पमाने के एककों तक ही सीमित है जिसके लिये आवश्यक व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जायेगी ।

जंगली जीवों का निर्यात

४८५. **श्री राम सहाय पाण्डेय** :
श्री प्र चं० बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में भारतीय जंगली जीवों के विदेशों को निर्यात किये जाने की संभावनाओं की खोज की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) हम जंगली जीव उत्पादों का निर्यात साधारण मात्रा में करते रहे हैं । जंगली जीवों और उनकी वस्तुओं के निर्यात की संभावनायें इतनी सुज्ञात हैं कि उनपर खोज करने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, निर्यात को बढ़ाने के लिये देश में जंगली जीवों के परिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है । विकास के व्यवस्थित कार्यक्रमों द्वारा जंगली जीवों में वृद्धि करने की प्रगति भी बहुत धीमी है ।

चाय उद्योग के लिये उर्वरक

४८५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में चाय उद्योग को भिन्न-भिन्न प्रकार के उर्वरकों की कितनी मात्रा की आवश्यकता है और ये आवश्यकताएं वर्ष १९६४ की प्रथम तिमाही में तथा वर्ष १९६३ की प्रत्येक तिमाही में कहां तक पूरी की गई ;

(ख) क्या चाय उद्योग को उचित उर्वरकों की कमी के कारण नुकसान हो रहा है ;

(ग) उद्योग की पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) आसाम में चाय बागान में अमोनिया सल्फेट उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। १९६३–६४ में आसाम में चाय बागान की अमोनिया सल्फेट की आवश्यकता ७३,४७० मैट्रिक टन थी जिसे पूर्ण रूप से पूरा कर दिया गया था। वर्ष १९६४–६५ के प्रथम चतुर्थ भाग—अप्रैल से आरम्भ होता है—में अमोनिया सल्फेट की जो मात्रा दी गई उसके सम्बन्ध में जानकारी शीघ्र दे दी जायेगी। आशा है कि मांग को पूर्ण रूप से पूरा कर दिया जायेगा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

Galvanised Plain Sheets

486. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Steel, Mines and Heavy Engineering** be pleased to state :

(*a*) the production and consumption respectively of Galvanised Plain Sheets used for manufacturing trunks during 1963-64 ;

(*b*) whether it is a fact that the production is of less than the demand ;

(*c*) whether Government have issued quota certificates for the supply of these sheets to certain firms ;

(*d*) whether Government awre aqare that a number of firms are trading in this business without being in receipt of any quota; and

(*e*) if so, the steps taken by Government to check the blackmarketing in galvanised plain sheets.

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri P.C. Sethi) : (*a*) and (*b*) : During 1963-64 the total indigenous production of Galvanised plain sheets was 30,200 tonnes, and 24,918 tonnes were imported. The total availability of Galvanised plain sheets was short of the demand.

(*c*) Fresh allocation of G.P. Sheets has not been made since April, 1962, because of the lar outstanding with the Producers and the need for meeting emergency demands. Supplies to the extent possible have, however, been made against outstanding orders

(*d*) & (*e*). Under the Iron & Steel Control Order, only controlled and registered stockists can deal in Galvanised plain sheets and these are sold to consumers only against quota certificates and permits. Contravention of these provisions of the Order is punishable under the Essential Commodities Act 1955 (X of 1955). The State Governments are responsible for enforcing the provisions of the Order and the Police are empowered to investigate and prosecute infringements of the provisions. Whenever complaints are received; suitable action is taken to investigate and prosecute if evidence is forthcoming.

ईरान को चाय का निर्यात

४८७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से ईरान सरकार ने सभी देशों से चाय के आयात करने की स्वतंत्रता दी है ईरान की मंडी में भारतीय चाय की खपत लगभग १३ प्रतिशत कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो १९६३–६४ में भारत और ईरान के बीच व्यापार सन्तुलन पर इसका क्या असर पड़ा; और

(ग) खोई हुई मन्डी को फिर से प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ईरान सरकार का नया आदेश, जिसके द्वारा सभी देशों से चाय आयात करने की स्वतन्त्रता दी गयी और कोटे के प्रतिबन्ध हटाये गये, २ अक्तूबर, १९६३ से लागू हुआ । अक्तूबर, १९६३ से अप्रैल, १९६४ के बीच की अवधि में भारत से ईरान को १ . ६ मीट्रिक किलोग्राम चाय निर्यात की गई जबकि इसके मुकाबिले में गत वर्ष की उसी अवधि में ३ . ९ मीट्रिक किलोग्राम चाय का निर्यात किया गया ।

(ख) १९६३–६४ (अप्रैल से फरवरी) में १९६२–६३ की तुलना में ईरान के साथ भारतीय व्यापार की स्थिति नीचे दी गई है :—

(लाख रु० में)

	भारत से निर्यात	भारत में आयात	व्यापार संतुलन
१९६२–६३ .	६३७	४५८८	(–) ३९५१
१९६३–६४ .	४१६	४३५०	(–) ३९३४
(अप्रैल-फरवरी)			

(ग) मार्च, १९६४ में भारत ने ईरान के साथ एक नया व्यापार करार किया है । गत अप्रैल में ईरान से आये प्रतिनिधिमंडल के साथ ईरान को भारतीय चाय के अधिक मात्रा में निर्यात करने के प्रश्न पर भी बातचीत की गई थी । आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष में भारत से चाय का निर्यात पर्याप्त मात्रा में बढ़ जायेगा ।

अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार

४८८. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई, १९६४ के पहिले सप्ताह में हुई व्यापार बोर्ड की बैठक में उस बोर्ड के द्वारा की गई इस सिफारिश पर, कि अफ्रीका के विकासशील देशों तथा अन्य कम विकसित देशों में भारतीय वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए यह निश्चय

करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जाने चाहिएं कि उन देशों से किन वस्तुओं का आयात किया जा सकता है, क्या कायवाही की गई है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : व्यापार बोर्ड की सिफारिश की क्रियान्विति के लिए, उन देशों की आवश्यकताओं तथा उन देशों में निर्यात के लिए जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उनको ध्यान रखते हुए पारस्परिकता और आपसी फायदे के आधार पर, कम विकसित देशों के साथ हमारे व्यापार की समीक्षा करने के लिए और भारत और उन देशों के बीच व्यापार की नीति बनाने के लिए एक समिति का गठन करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

पंजाब में भूमिगत जल के संसाधनों का सर्वेक्षण

४८९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में भूमिगत जल के संसाधनों का कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विशिष्ट विवरण क्या है ?

इस्पात, खान, और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) पंजाब में १९५७–१९५९ में की गई समन्वषी खुदाई के आधार पर भूमिगत जल विकास के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए सिफारिश की गई थी :

गुड़गांव में डहिना–जैनाबाद-दरौली; अम्बाला में अम्बाला नारायणगढ़; होशियारपुर में नरेला; गुड़गांव में गुड़गांव––शमसपुर; रोहतक में बाहू; और महिन्द्रगढ़ में सेसोट । अम्बला, होशियारपुर, करनाल, महिन्द्रगढ़, फिरोजपुर, गुरदासपुर, संगरूर, गुड़गांव, कांगड़ा, रोहतक और चंडीगढ़ के जिलों में सुव्यवस्थित भू-जल-विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन भी किये गये थे । अध्यनयनो से भूमिगत जल के स्थानों, वितरण और जल की किस्म को नियंत्रण करने वाली दशाओ का पता चला है।

वष १९५७–५९ के दौरान में टी० सी० एम० संचालन-करार १२ के अन्तर्गत पंजाब में कुल ३६ बरमा-छेदों (बोर होल्स) की खुदाई की गई थी, जिनमें से १४ गुड़गांव, ४-४ हिसार और होशियारपुर, ६ अम्बाला, ३ रोहतक और ५ महिन्द्रगढ़ के जिलों में थे।

हिमाचल प्रदेश और पंजाब में खनिज सर्वेक्षण

४९०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में खनिज सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विशिष्ट विवरण क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) नमक, स्लेट, शीशे के रेत और चूने के पत्थर के इतनी मात्रा के निक्षेप, कि जिन से काम चलाया जा सके, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पाये जाते हैं । [भारत के भूतत्वीय

सर्वेक्षण विभाग के अनुसार मंडी के नमक के निक्षेप ६७,००० मीट्रिक टन साफ किये गये नमक के प्रति वर्ष उत्पादन की दर से, १० वर्ष तक के लिए काफी हो सकते हैं। सिरमौर जिले में सीमेन्ट उद्योग के लिए उपयुक्त उच्च श्रेणी के चूने के पत्थर के निक्षेपों का बड़ी मात्रा में पता चला है। नोरा में इसके निक्षेपों की मात्रा १७० लाख मीट्रिक टन से अधिक है और साटोन, भटरोग और क्यारी क्षेत्रों में इसकी मात्रा का अनुमान १४३० लाख मीट्रिक टन लगाया जाता है।

कोयला और 'लिग्नाइट', 'स्टीटाइट', 'जिप्सम', लौह अयस्क, 'पाईराइट', सीसा-जस्त-चाँदी के अयस्क, 'बैराइट', 'कोपर-कोबाल्ट-निकल ओर्स', 'चाईना क्ले', 'डोलोमाइट', स्वर्ण, 'एन्टीमनी' और बिस्मथ के अयस्क, 'काल्क-टूफा', गन्धक, 'क्रोमाईट' और 'यलो ओचरे' के निक्षेपों का पता भी लगा है। लौह अयस्क के निक्षेप कम हैं और घटिया श्रेणी के हैं। तथापि, खड़िया और चीनी मिट्टी के निक्षेप बड़ी मात्रा में हैं। जिन अन्य खनिजों के निक्षेपों का पता चला है उन्हें आर्थिक दृष्टि से निकालना लाभप्रद नहीं है।

कोयले का श्रेणीकरण

४९१. **श्री रामचन्द्र उलाका:**
श्री धुलेश्वर मीना:

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री ६ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने कोयले के नमूने लेने और श्रेणीकरण के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

लौह अयस्क का निर्यात

४९२. **श्री रामचन्द्र उलाका:**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री १ मई, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क के निर्यात के लिए मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन ने जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ कोई करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ने जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य की एक फर्म मैसर्स बेरगब्यू हैन्डेल के साथ एक करार किया है जिसके अन्तर्गत २०,००० टन लौह अयस्क निश्चित रूप से आयात किया जायेगा। और ६०,००० टन का आयात भारतीय फर्म की इच्छा पर किया जा सकता है और इसकी अदायगी अपरिवर्तीय भारतीय रुपयों में की जायेगी।

नरम इमारती लकड़ी की कमी

४९३. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना:

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माचिसों के बनाने के लिए अपेक्षित नरम इमारती लकड़ी की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). २३ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २४३ के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है । उस समय जो जानकारी दी गई थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है ।

ईंधन क्षमता संबंधी समिति

४९४. श्री रामचन्द्र उलाका:
श्री धुलेश्वर मीना:

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री ३ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग द्वारा भेजे गये अभ्यावेदनों की ईंधन क्षमता सम्बन्धी समिति द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम के आधार पर जांच की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). कोयला उद्योग के अभ्यावेदनों के आधार पर ईंधन क्षमता सम्बन्धी समिति ने श्रेणीवार कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया है । इस परिवर्तन का उद्देश्य यह है कि जहां सम्भव हो, घटिया किस्म के कोयले को बढ़िया किस्म के कोयले के स्थान पर प्रयोग किया जाये । इन सुझावों पर इस समय विचार किया जा रहा है ।

कृषि संबंधी औजारों का निर्माण

४९५. श्री रामचन्द्र उलाका:
श्री धुलेश्वर मीना:

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री २८ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि सम्बन्धी औजारों के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करने के बारे में इस बीच जापानी फर्म से अन्तिम समझौता हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चावल के चोकर का तल

४९६. श्री दे० जी० नायक : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल के चोकर से तेल निकालने के लिए चावल उत्पादक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन सहकारी समितियों को क्या-क्या सुविधायें दी जायेंगी ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य वित्त निगम/स्टेट बैंक आफ इण्डिया से कुल आवश्यक ब्लाक पूंजी के ६० प्रतिशत तक ऋण सहायता दी जाती है। राज्य सरकार प्रबंधकीय सहायता जो ३ वर्ष के लिए दी जाती है जिसकी राशि प्रतिवर्ष कम होती जाती है, के अतिरिक्त कुल ब्लाक पूंजी के कुछ भाग की पूर्ति करने लिए अंश पूंजी भी देती है । समितियों को गोदाम बनाने के लिए ऋण और सहायता भी दी जाती है ।

तेल प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान संस्था, अनन्तपुर द्वारा तैयार की गई ५ टन से लेकर २५ टन प्रति दिन तक चावल के चोकर की क्षमता वाली चावल के चोकर के तेल की मिलें स्थापित करने के लिए आदर्श योजनायें आंध्र प्रदेश, आसाम, मद्रास, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं । इन राज्य सरकारों से ऐसे क्षेत्रों में जिनमें बहुत सहकारी चावल मिलें चल रही हों सहकारी समितियों द्वारा चावल के चोकर के तेल की मिलों की स्थापना की संभावना पर विचार करने के लिये कहा गया है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(१) प्रीमियम इनामी बांडों के इनामों में कथित हेर-फेर

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें, अर्थात् :—

> "मई, १९६४ में बम्बई में निकाले गये प्रीमियम इनामी बांडों के इनामों में कथित हेर फेर ।"

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : निकाले गये प्रीमियम इनामी बांडों के सिलसिले में इस कारण सन्देह प्रकट किया गया चूंकि जिन बांडों पर इनाम दिये गये उनकी संख्यायें क्रमवार हैं । इस मामले की छानबीन की गई है । जो नई प्रीमियम इनामी बांड योजना तैयार की गयी थी उसके अनुसार केवल उन्हीं बांडों पर इनाम दिये जाते हैं जो बिके हुए होते हैं। परन्तु जनता

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए एक ऐसी पद्धति लागू की गई जिसके अनुसार कई ड्रमों में से प्रत्येक ड्रम से यों ही डिजिट्स निकाल लिये जाते थे। रिजर्व बैंक से मंत्रणा लेकर यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई ऐसा डिजिट इनाम के लिये निकल आये जो बिका हुआ न हो तो उससे तुरन्त निचला नम्बर लेकर उसे इनाम दे दिया जाय। इस सम्बन्ध में सरकारी अधिसूचना में उपबन्ध कर दिया गया था।

प्रीमियम इनामी बांड १९६३, १००, १०० रुपये और ५, ५ रुपये के जारी किये गये, जो देश भर में १ जनवरी, १९६३ से ३१ दिसम्बर, १९६३ तक बेचे गये। १००, १०० रुपये के कुल ६,५०,००० बांडों में से ३,४७,१५५ बिके और ५, ५ रुपये के कुल ९१,००,००० बांडों में से ४७,३५,०१६ बिके। जो बांड नहीं बिके वह इस प्रकार थे :—

बांड संख्या	न बिके हुए बांडों की संख्या
१०० रुपये वाले बांड	
०१३६५०९ से ०१४८००० तक	११,४९२ बांड
०६१७०३३ से ०६५०००० तक	३२,९६८ बांड
५ रुपये वाले बांड	
०२१७२६५० से ०२७००००० तक	५,२७,३५१ बांड
०३०४६१२८ से ०३५००००० तक	४,५३,८७३ बांड
०५४१६६६१ से ०५९००००० तक	४,८३,३४० बांड
०८६४५७२६ से ०९१००००० तक	४,५४,२७५ बांड

उपर्युक्त न बिके हुए बांडों में से यदि किसी बांड की संख्या इनाम के लिये निकली तो सरकारी अधिसूचना के अनुसार उससे तुरन्त निचली संख्या वाले बांड को उस सूरत में इनाम दिया गया यदि उसे पहले इनाम न दिया जा चुका हो। इस पद्धति के अनुसार जिन बांडों पर इनाम दिये गये उनकी संख्यायें निम्न प्रकार थीं :—

बांड नम्बर्स

१०० रुपये क बांड	बांडों की संख्या
०१३६५०१ से ०१३६५०८ तक	८
०६१७००१ से ०६१७०३२ तक	३२
५ रुपय के बांड	
०२१७२५७३ से ०२१७२६४९ तक	७७
०३०४६०६८ से ०३०४६१२७ तक	६०
०५४१६५८२ से ०५४१६६६० तक	७९
०८६४५६६६ से ०८६४५७२५ तक	६०

यह बांड बम्बई में ११ मई, १९६४ से १५ मई, १९६४ तक जनता के सामने निकाले गये। इनाम क्रमवार संख्याओं में इस कारण निकाले कि इन संख्याओं से तुरन्त ऊपर न बिके हुए बांडों की बहुत बड़ी संख्या थी। न बिके बांडों की तुरन्त नीचे के नम्बर वाले बांड को इनामी बांड घोषित करने की पद्धति का उपबन्ध केवल प्रीमियम इनामी बांड १९६३ में ही था इसलिये उसमें यह कठिनाई हुई। अब जो प्रीमियम इनामी बांड १९६४ बेचा जा रहा है उसमें यह उपबन्ध रखा गया है कि कि जब तक बिका हुआ इनामी बांड न निकल आये तब तक निरन्तर बांड निकाले जाते रहें।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि जिन बांडों के इनाम निकले हैं उनकी क्रमिक संख्यायें लगभग २० से लेकर ६० तक हैं, और क्या उनके विचार में यह एक असंभाव्य बात प्रतीत नहीं होती, यदि हां, तो क्या इसे रद्द घोषित करके इनामी बांड फिर से निकाले जायेंगे ? इसके अतिरिक्त क्या सरकार का विचार इस योजना को समाप्त करने का है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक निकाले गये इनामी बांडों को रद्द करने का प्रश्न है ऐसा नहीं किया जा सकता, चूंकि उपबन्ध के अनुसार जब बांड बिकते नहीं हैं तब हल यही होता है कि उनसे अगली निम्नतम संख्या को ही लिया जाय। योजना के गुणावगुणों के बारे में माननीय सदस्य जो भी सुझाव देंगे उग पर समुचित विचार किया जायगा।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बार में (प्रश्न)
RE: CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : मैं जानना चाहता हूं कि जिस ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना मैंने दी थी उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में यहां पर चर्चा नहीं कर सकता। यदि मैं उचित समझूंगा तो मंत्री महोदय से ५ बजे उत्तर देने के लिए कह दूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, आदि के अन्तर्गत अधिसूचना

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं निम्नलिखित बातों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) खान तथा खनिज पदार्थ (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक ९ मई, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७३० जिसमें दिनांक १० नवम्बर, १९६२ के जी० एस० आर० १४८६ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२९३८/६४]

(२) कोयला बोर्ड का वर्ष १९६२–६३ का वार्षिक प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२९३९/६४]

कहवा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं कहवा बोर्ड के वर्ष १९६२–६३ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९४०/६४]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, आदि के अन्तर्गत अधिसूचना

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(४) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ९ मई, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७२२ में प्रकाशित केन्द्रीय रेशम बोर्ड (भर्ती) संशोधन नियम, १९६४ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९४१/६४ ।]

(५) (क) पटसन समिति का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९४२/६४ ।]

(ख) उक्त समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही बताने वाला विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९४३/६४ ।]

वणिक नौवहन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं वणिक नौवहन अधिनियम, १९४८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ११ अप्रैल, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५८९ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (पैसेंजर जहाज के सर्वेक्षण प्रमाण-पत्रों का रूप) नियम, १९६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–२९४४/६४]

अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में ज्ञापनों के उत्तर बताने वाले विवरण

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : मैं १९६४–६५ की अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में सदस्यों से प्राप्त ज्ञापनों के उत्तर बताने वाले पांच विवरणों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९४५/६४]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : मैं श्री चे० रा० पट्टाभिरामन की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५१ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २ मई, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८८ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (नवां संशोधन) योजना १९६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९४६/६४]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

कार्यवाही सारांश

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र में हुई दो बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे सचिव, राज्य सभा से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा अपनी ३ जून, १९६४ की बैठक में लोक-सभा द्वारा ४ मई, १९६४ को पास किये गये दिल्ली (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, १९६४ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

सदस्य द्वारा वक्तव्य के बारे में

RE : STATEMENT BY MEMBER

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैंने आपको लिखा था कि मुझे एक वक्तव्य देने की अनुमति दी जाय । या तो आप मुझे बोलने की अनुमति दें या औचित्य प्रश्न उठाने दें ताकि इस मामले में या तो आपका उल्लिखित निदेश प्राप्त हो सके या आप भविष्य में निदेश दें ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में स्पष्ट निदेश है कि यदि वक्तव्य छोटा सा हो तो उसे पढ़ने की अनुमति दी जायगी अन्यथा नहीं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं अपने वक्तव्य को और संक्षिप्त कर दूंगा और अगले सत्र में पढ़ूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप उसे और संक्षिप्त कर दें ।

खादी की वस्तुओं के निर्यात सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या ६९४ के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 694 RE : EXPORT OF KHADI GOODS

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): खादी के माल के निर्यात सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या ६९४, जिसका उत्तर २० दिसम्बर, १९६३ को दिया गया था के भाग (ग) के उत्तर में कहा गया था कि रेशमी खादी के विक्रय पर १० प्रतिशत की छुट दी जायगी । परन्तु इस प्रकार की कोई छुट इस माल पर नहीं दी गयी । इस बारे में जो वस्तुस्थिति है उसकी दृष्टि से प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर इस प्रकार होगा :

"(ग) केवल सूती खादी के विक्रय पर ही २० प्रतिशत की छूट दी जायगी, जो कि देश में फुटकर उपभोक्ता को दी जा रही छूट के समान है ।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : शुद्धि का कारण क्या है ?

श्री कानूनगो : यह एक गलती थी जिसे अब शुद्ध किया गया है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी (जोधपुर) : रेशमी खादी पर छुट दिये जाने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री कानूनगो : रेशम एक कीमती वस्तु है और उसेप्खरीदने वाले लोग अधिक मुल्य भी दे सकते हैं। निर्यात करने में भी कोई अड़चन नहीं आयेगी।

भारतीय वायु सेना के लापता इलयुसिन विमान के बार में वक्तव्य
STATEMENT RE : MISSING OF I.A.F. ILYUSHIN

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): लापता इल्युशिन के बारे में मुझे अग्रेतर यह जानकारी देनी है कि एक सैनिक गस्ती दस्त ने त्रागम के पश्चिम की ओर दो मील के फासले पर टुटा हुआ विमान पाया है। स्वर्गीय मेजर जनरल आर० एस० गरेवाल, जो उस विमान द्वारा यात्रा कर रहेथे, उनका शव भी दुर्घटना-स्थल से पाया गया है। अन्य यात्रियों के शवों के भाग भी मिले हैं। इनके साथ डाक के थैले आदि वस्तुएं भी प्राप्त हो गयी हैं। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि स्वर्गीय मेजर जनरल का शव आज वहां से आ जाये। परन्तु यह मौसम पर निर्भर करता है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस दुर्घटना के बारे में जो जांच हो रही थी क्या वह पूरी हो गयी है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : उस जांच बोर्ड ने सिफारिशें प्रस्तुत की थीं परन्तु उन में से कुछ त्रुटियां होने के कारण बोर्ड को लौटा दी गयी थीं। अब नये साक्ष्य के आधार पर वह फिर विचार करेगा।

श्री रामनाथन् चेट्टियार (करूर) : एक औचित्य प्रश्न है। माननीय उपमंत्री ने वक्तव्य द्वारा जो जानकारी दी वह तो समाचार पत्रों से पहले ही मिल चुकी है। फिर इसका क्या लाभ है ?

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ सभा में कहा जाता है प्रमाणीकृत वही होता है न कि समाचार-पत्रों की सूचनायें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह देखने के लिये कि कहीं यह दुर्घटना पाकिस्तान द्वारा गोली चलाये जाने पर तो नहीं हुई, क्या कोई विशेष पदाधिकारी जांच के लिये नियुक्त किये गये हैं ?

श्री दा० रा० चह्वाण : मैंने पहले ही बताया है कि एक जांच न्यायालय गठित किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम) : क्या इस कथन में सचाई है कि पाकिस्तान द्वारा जान बूझ कर गलत वायरलैस संकेत देने पर ही यह दुर्घटना हुई ?

श्री दा० रा० चह्वाण : जब तक जांच पूरी न हो जाय इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : २ १/२, ३ मास से इस विमान की खोज हो रही थी । इस बीच में इसको खोज निकालने में सफलता न मिलने के क्या कारण थे ?

श्री दा० रा० चह्वाण : विमान इस कारण नहीं खोजा जा सका चूंकि यह बर्फ के नीचे दबा हुआ था ।

श्री नाथपाई (राजापुर) : चूंकि इस प्रकार की दुर्घटनायें बराबर हो रही हैं, इसलिये इस मामले की जांच के लिये एक आयोग नियुक्त किया गया था । उस आयोग द्वारा अपने कार्य में क्या प्रगति की गयी ?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह समिति मंत्रि-मंडल सचिव, श्री खेरा की अध्यक्षता में नियुक्त की गई है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : क्या यह दुर्घटना बर्फ ही के कारण हुई या दुर्घटना के तुरन्त पश्चात् बर्फ पड़ गई थी ; और क्या इस दुर्घटना की जांच के लिये न्यायालय नियुक्त किया जा चुका है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : मैंने बताया है कि जांच के लिये न्यायालय नियुक्त किया गया है ।

अन्य देशों की संसदों से शोक संदेश

CONDOLENCE MESSAGES FROM FOREIGN PARLIAMENTS

अध्यक्ष महोदय: मुझे अनेक देशों की संसदों, अर्थात्, संयुक्त राज्य अमरीका के हाउस आफ रिप्रैजेंटेटिव्स; हाउस आफ रिप्रैजेंटेटिव्स टोक्यो; मजलिस, तेहरान ; हाउस आफ रिप्रैजेंटेटिव्स, लंका ; पीपुल्स एसेम्बली, इन्डोनेशिया ; संयुक्त अरब गणराज्य की नेशनल एसेम्बली ; हाउस आफ रिप्रैजेंटेटिव्स, आस्ट्रेलिया ; जर्मन बुंडस्टग के प्रेजीडेंट ; नेशनल एसेम्बली, कुवैत ; सीनेट, मलागासी, गणतंत्र ; लिबिया के हाउस आफ रिप्रैजेंटेटिव्स ; नेशनल एसेम्बली, ट्यूनीशिया ; नैशनल एसेम्बली, चैकोस्लोवाकिया ; सेकण्ड चैम्बर, नीदरलैंड्स; नेशनल एसेम्बली, हंगरी ; फैडरल एसेम्बली, यूगोस्लेविया ; चेम्बर अफ डिपुटीज़, लेबनान गणतंत्र और लिबिया की सीनेट से, शोक सन्देश प्राप्त हुए हैं । अन्य कई लोगों से भी व्यक्तिगत सन्देश प्राप्त हुए हैं । मैं उन्हें सभापटल पर रख रहा हूं । जो सदस्य इन्हें देखने के इच्छुक हैं देख सकते हैं ।

स्वर्ण (नियंत्रेण विधेयक--जारी

GOLD (CONTROL) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री बलीराम भगत द्वारा ४ जून, १९६४ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी, अर्थात्

> "कि समुदाय के आर्थिक तथा वित्तीय हित में सोने और सोने के आभूषणों तथा अन्य चीजों को उत्पादन, संभरण, वितरण, प्रयोग और रखने तथा उन के व्यापार पर

नियंत्रण तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबंध करने वाले बिल को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाय, जिसमें इस सभा के ३० सदस्य, अर्थात् :—

श्री कृष्णमूर्ति राव, श्री द० ब० राजू, श्रीमती रेणुका बड़कटकी, श्री ब० रा० भगत, श्री लक्ष्मी नारायण भंजदेव, श्री चांडक, श्री त्रिदिब कुमार चौधरी, श्री युद्धवीर सिंह चौधरी, श्री दाजी, श्री मु० मो० हक, श्री प्रभात कार, श्री करुथिरमण, श्री किन्दर लाल, श्री हे० वी० कौजलगी, श्रीमती लक्ष्मीबाई, श्री मढ़ियंगाडन, श्री मी० रु० मसानी, श्री जसवन्त मेहता, सरदार गुरमुख सिंह मुसाफिर, श्री छोटूभाई पटेल, श्री तु० राम, श्री शिवराम रंगो राने, श्री स० चं० सामन्त, श्री सेझियान, श्री शिवनारायण, डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, श्री रामेश्वर टांटिया, श्री बालगोविन्द वर्मा, श्री भीष्म प्रसाद यादव और श्री ति० त० कृष्णमाचारी।

और राज्य सभा के १५ सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि संयुक्त समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक रिपोर्ट देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले १५ सदस्यों के नाम इस सभा को बताए।"

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): मैंने कल माननीय सदस्यों के भाषण ध्यानपूर्वक सुने हैं। मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि महिला सदस्यों ने विधेयक का जोरदार शब्दों में समर्थन किया है। उनके भाषणों से ऐसा लगता है देश का नारी वर्ग इस विधेयक का समर्थक है।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सोना विपत्ति के समय लोगों के काम आता है। इसलिए लोग इसे अपने पास रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इस का उचित उपयोग कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि भूतकाल में लोग सोने को महत्व देते थे क्योंकि उस समय लोगों के पास अपनी बचत के विनियोजन के कोई साधन नहीं थे, किन्तु आज के युग में बहुत से ऐसे साधन हैं जिन में बचत की राशि का विनियोजन किया जा सकता है। बीमा पालिसी, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा बौंडों जैसे अनेक सामाजिक सुरक्षा के उपायों ने आज सोने का स्थान ले लिया है और इन साधनों में धन सोने की अपेक्षा अधिक सुरक्षित तथा लाभप्रद ढंग से रखा जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर बोलते हुए कहा है कि लोग शेयरों, प्रतिभूतियों तथा बांडों की अपेक्षा सोने के रूप में इसलिए धन रखना चाहते हैं कि सोने के मूल्य में अन्य चीजों की तुलना में अधिक वृद्धि होती है। मैं उन को जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यदि सोने

के आभूषणों में रुपया लगाया जाता है तो उसमें सीधे २५ प्रतिशत की कटौती हो जाती है क्योंकि वह सोना उतने शुद्ध स्तर का कभी नहीं होता है जितना कि स्वर्णकार उसे आभूषण बनाते समय बताते हैं। राष्ट्रीय रक्षा कोष में दिये गये आभुषणों के परीक्षण से यह बात सिद्ध हो गई है कि तथाकथित २२ कैरेट वाले सोने की वस्तुओं में प्रायः १६ से २० कैरट तक सोना होता है। यदि इन सब बातों को ध्यान में रखा जाये तो कोई भी व्यक्ति सोने के स्थान पर अन्य विनियोजन के साधनों में धन लगाना अधिक लाभप्रद समझेगा। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि सोना कम आय वालों के लिए बचत का एक सुलभ साधन है। मैं उन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि बीमा की पालिसी भी बहुत कम राशि की होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के धन लगा सकता है।

कुछ माननीय सदस्यों का यह आरोप गलत है कि इस विधेयक द्वारा संविधान के अनुच्छेद १४ और १९ का उल्लंघन होता है। इस पर हम ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि इससे संविधान के अनुच्छेदों का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं होता है। इस विधेयक द्वारा जो प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं वे न्यायसंगत हैं तथा आम जनता के हित में हैं।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश जिन उद्देश्यों, अर्थात् सोने की तस्करी रोकना, लोगों द्वारा छिपाया गया सोना प्राप्त करना तथा सोने के मूल्य को कम करना, की पूर्ति नहीं हो पाई है। यह सच है कि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा सोने का तस्कर व्यापार अधिक होता है क्योंकि सोने के प्रति लोगों का अधिक आकर्षण अधिक होने के कारण बाजार में इसकी मांग अधिक है। सरकार सोने के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही कर रही है, किन्तु इस विधेयक का उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से तस्कर व्यापार को रोकना नहीं है। हम इस विधेयक द्वारा ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं जिस से देश में लोगों का सोने के प्रति आकर्षण कम हो और इसके साथ साथ सोने की मांग भी घट जाये। इस प्रकार सोने का तस्कर व्यापार धीरे धीरे स्वयं रुक जायेगा।

जहां तक सोने के मूल्य कम होने का प्रश्न है, इस दिशा में हमें सफलता मिली है। स्वर्ण नियंत्रण आदेश जारी करने से पहिले सोना लगभग १३० रुपये प्रति दस ग्राम के हिसाब से बिक रहा था और इसके बाद ११८ या ११९ रुपये प्रति दस ग्राम बिकने लगा। इसके अतिरिक्त सोने के मूल्य में ५ या ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि होने की प्रवृत्ति थी वह रोक दी गई है। स्वर्ण नियंत्रण आदेश के बाद सोने के मूल्य में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है।

स्वर्ण नियंत्रण सम्बन्धी नीति का उद्देश्य छिपे सोने अथवा धन को निकालना नहीं है। यह कहना भी गलत है कि देश में कुल जितना सोना होने का अनुमान लगाया गया है उसके केवल एक प्रतिशत की घोषणा की गई है। कुछ माननीय सदस्यों ने देश में ४००० करोड़ रुपये के मूल्य का सोना होने का अनुमान लगाया है। देश में बहुत सा सोना आभूषणों के रूप में है जिसको अभी तक घोषित करने के लिए नहीं कहा गया है। इसके अतिरिक्त लोग ५० ग्राम तक सोना अपने पास रख सकते हैं और उन्हें इसकी घोषणा नहीं करनी होगी। इस विधेयक के अन्तर्गत वे शक्तियां ली जा रही हैं जिनके अधीन लोगों से आभूषणों के रूप में भी सोने को घोषित करने के लिए कहा जायेगा। इसका मुख्य उद्देश्य तस्कर व्यापार के सोने का पता लगाना है। फिर, हम नहीं चाहते कि जन-साधारण पर इस का बुरा प्रभाव पड़े। इस का मुख्य उद्देश्य छड़ों या आभूषणों के रूप में चोरी-छिपे लाये गये सोने का पता लगाना है। हम तो केवल यह चाहते हैं कि यह बता दिया जाय कि सोना कितना

[श्री व० रा० भगत]

है। यदि इस की मात्रा अधिक है और प्राप्ति के साधन का पता नहीं है, तो इस के बारे में हमें कार्रवाही करनी होगी। बस, इस का उद्देश्य इतना ही है।

यहां यह बात कही गयी है कि गांवों में बैंक और बीमा की सुविधायें नहीं हैं। इसलिए सोना खरीदने में धन लगाना धन बचाने का एक अच्छा तरीका है। मैं समझता हूं यह बात तथ्ययुक्त नहीं है क्योंकि डाकखाने की ४०,००० शाखायें हैं और कोई भी व्यक्ति उनमें धन आसानी से जमा कर सकता है। फिर, धन लगाने के लिए प्रतिरक्षा बाण्ड जैसी अन्य सुविधायें भी हैं जो अत्यधिक लाभकारी हैं। अब लोग इनसे लाभ उठाने लगे हैं। इस विधेयक का उद्देश्य ये प्रवृत्तियां ही उत्पन्न करना है। उदाहरणार्थ, प्रतिरक्षा बाण्डों में काफी धन लगाया गया है। जीवन बीमा पालिसियां भी बहुत बढ़ गयी हैं। सात वर्षों में बैंकों में जमा रकम दुगनी हो गई है। इन से देश में सामाजिक सुरक्षा ही नहीं आयेगी, बल्कि ये प्रवृत्तियां देश को अन्य आधुनिक उन्नत देशों के समान बना देंगी। हमें इसी आधार पर आगे बढ़ना है।

यह कहना ठीक नहीं कि उद्देश्य असफल रहा है क्योंकि इससे भरा गया सोना बाहर नहीं निकला है या चोरी छिपे सोने का आना बन्द नहीं हुआ है या यह कि कीमतें कम नहीं हुई हैं। हम दृढ़ आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। सोने के बाण्डों में धन लगाना स्वेच्छा पर निर्भर है; यह अनिवार्य नहीं है। ऐसा करने पर हम अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य देते हैं जो कि यहां प्रचलित मूल्य का ठीक आधा है। चूंकि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्य है इसलिए उसके प्रति कुछ दायित्व हैं। सरकार ऐसा कोई सौदा नहीं कर सकती जिसमें उसे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक देना पड़े। यह कहना ठीक नहीं है कि हमने सोने की कीमत कम करके आधी कर दी है। बल्कि सचाई यह है कि सोना बाण्डों पर ऊंची दर पर ब्याज देकर, उसे कहीं अधिक आकर्षक बना दिया है। यही नहीं बल्कि हमने और भी रियायत दी हैं।

जब भी हम कोई नई विनियोजन योजना, नई सामाजिक और आर्थिक पद्धति, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण लागू करते हैं, तो निश्चय ही अनेक लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और हमें योजना अधिक लचीली बनानी पड़ती है क्योंकि इसका बड़ी संख्या में सुनारों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। हमें देखना पड़ता है कि उनकी सभी वास्तविक कठिनाइयां दूर हो जायें। लेकिन लोग इस बारे में भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हैं। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है। जहां तक सरकारी आंकड़ों का सम्बन्ध है, हमारा अनुमान यह है कि देश में लगभग ३ लाख सुनार हैं और उनमें से ४०,००० को फिर से काम में लगाया जा चुका है। फिर, वैकल्पिक उत्पादक उपक्रम खोलने के लिए २६,००० ऋण प्रार्थनापत्र मंजूर किये गये हैं और २२,००० व्यक्तियों को धन दिया भी जा चुका है। लगभग ६००० व्यक्तियों को अन्यथा वैकल्पिक काम मिल गया है। १०,००० लोगों को सस्ते मूल्य की दुकानों, भूमि, आदि के रूप में सहायता दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त राज्यों ने व्यक्तियों को व्यक्तिगत बाण्डों पर १००० से १५०० रुपये तक की वित्तीय सहायता दी है।

फिर, नई प्रमाणपत्र योजना के अन्तर्गत २ लाख सुनारों ने नाम लिखाये हैं। नीति यह है कि केवल वास्तविक सुनारों को ही अपना काम करने की अनुमति होनी चाहिये। स्थिति को ध्यान में रख कर यह बुद्धिमानी नहीं है कि सुनारों के बच्चों आदि को भी वही काम करने दिया

जाय । हमें उन्हें समझाना चाहिये कि वे अन्य पेशे अपना लें और वित्त मंत्री ने इस सम्बन्ध में मुझे लिखा था कि वह इन लोगों को बड़ी उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता देने को तैयार हैं। इन लोगों को पुनर्वास पर पिछले वर्ष ३½ करोड़ रु० और इस वर्ष ५ करोड़ रु० या इससे भी अधिक व्यय किया जायेगा । अतः स्पष्ट है कि सुनारों की कठिनाइयों का पूरा ध्यान रखा गया है ।

सोना नियंत्रण प्रशासक के अधिकारों के बारे में भी कहा गया है। मुझे विश्वास है कि संयुक्त समिति सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं को दी जाने वाली सुविधाओं का ध्यान रखेगी । यहां, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि प्रशासक के अधिकार पूर्ण नहीं हैं । वह अपीलीय प्राधिकारी हैं और व्यक्ति अपील के पुनरीक्षण के लिए सरकार के पास जा सकता है ।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि सोना नियंत्रण के उद्देश्य ऐसे नहीं हैं जो शीघ्र प्राप्त हो जायें । यह माननीय सदस्यों के सहयोग और व्यक्तियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने पर निर्भर है । अब तक हमें १½ वर्ष का समय मिला है और इससे पता लगता है कि यह विधान असफल नहीं रहा है । मैं समझता हूं कि इस विधान पर संयुक्त समिति की कार्रवाई काफी सहायक सिद्ध होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे संयुक्त समिति को सौंप दिया जाय ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : मैं जानना चाहता हूं कि इस विधान से हम सोने का चोरी-छिपे आना रोक सकेंगे?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : हमारे देश में सोने का उत्पादन बहुत ही कम है । यदि हम सोने का आयात होने दें, तो ऊंचे दाम और तस्कर व्यापार समाप्त हो जायेगा । परन्तु हमारे पास सोने का आयात करने के साधन नहीं हैं । अतः तस्कर व्यापार को समाप्त करना होगा ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I want a clarification. Shri Bhagat has given figures of Gold-smith as 3 lakhs and taking their family, as of five members each, this figures comes to 15 lakhs. You are giving Rs. 5 crores for their assistance which could have been otherwise utilised for defence purposes. Under these circumstances, did you take this hour to be an opportune time for this?

Shri B.R. Bhagat: Under new Certificate Scheme, 2 lakhs of gold-smiths have got registered and they have got work. Out of the rest 40,000 persons have been rehabilitated or being rehabilitated. Thus his saying that 15 lakhs of persons are un-employed is not correct.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पर राय जानने के लिए उसे ३१ अगस्त, १९६४ तक परिचालित किया जाय ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में ३०; विपक्ष में १३४ ;

Ayes 30; Noes 134

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मुख्य प्रस्ताव को मतदान के लिए रखूंगा ।

[अध्यक्ष महोदय]

प्रश्न यह है कि :

"कि समुदाय के आर्थिक तथा वित्तीय हित में सोने और सोने के आभूषणों तथा अन्य चीजों को उत्पादन, संभरण, वितरण, प्रयोग और रखने तथा उनके व्यापार पर नियंत्रण तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले बिल को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के ३० सदस्य अर्थात् :— कृष्णमूर्ति राव, श्री द० ब० राजू, श्रीमती रेणुका बड़कटकी, श्री ब० रा० भगत, श्री लक्ष्मी नारायण भंजदेव, श्री चाण्डक, श्री त्रिदिब कुमार चौधरी, श्री युद्धवीर सिंह चौधरी, श्री दाजी, श्री मु० मो० हक, श्री प्रभात कार, श्री करुथिरमण, श्री किन्दर लाल, श्री हे० वी० कौजलगी, श्रीमती लक्ष्मीबाई, श्री मणियंगाडन, श्री मी० रु० मसानी, श्री जसवन्त मेहता, सरदार गुरमुख सिंह मुसाफिर, श्री छोटूभाई पटेल, श्री तु० राम, श्री शिवराम रंगो राने, श्री स० चं० सामन्त, श्री सेझियान, श्री शिव नारायण, डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, श्री रामेश्वर टांटिया, श्री बालगोविन्द वर्मा, श्री भीष्म प्रसाद यादव; और श्री ति० त० कृष्णमाचारी;

और राज्य-सभा के १५ सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि संयुक्त समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक रिपोर्ट देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले १५ सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक

STATE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि भारत का राज्य बैंक अधिनियम, १९५५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

इस विधेयक का प्रयोजन पिछले ९ वर्ष में हुए अनुभव के आधार पर भारत के राज्य बैंक के केन्द्रीय तथा स्थानीय बोर्डों के पुनर्गठन के काम को सुविधापूर्ण बनाना है । इस अवधि में उपरोक्त बैंक के काम तथा कार्य-क्षेत्र में बहुत विस्तार हुआ है ।

जून, १९५५ के अन्त में इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था । इस समय इसके लगभग ४६६ और अन्य राज्य सहयोजित बैंकों के लगभग ३०० कार्यालयों में एवं इन सब में कुल २७५ करोड़ रु० जमा था । अब इसके लगभग १६७० दफ्तर हैं और उनमें लगभग ७०० करोड़ रु० जमा है । इस राशि में पी० एल० ४८० और पी० एल० ६६५ की राशियां शामिल नहीं हैं ।

आशा है कि राज्य बैंक और इसकी सहायक संस्थायें उन क्षेत्रों में भी अपने दफ्तर खोलेंगी जहां अन्य वाणिज्यिक बैंकों ने शाखायें खोलना आवश्यक नहीं समझा है ।

मार्च, १९६२ के अन्त तक लगभग १००० नगर ऐसे थे जहां १९६१ की जनगणना के अनुसार अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक की कोई शाखा नहीं थी । अब भी इनमें बहुत से ऐसे नगर हैं जहां बैंक सुविधायें नहीं हैं । हम ने राज्य बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं को इनमें से कुछ स्थानों पर ३९० और शाखायें खोलने पर सहमत कर लिया है । यह काम १९६८ के अन्त से पहले हो जायेगा ।

मैंने राज्य बैंक के डाइरेक्टरों से इस बात पर भी विचार विमर्श किया है कि वे बड़े बड़े गांवों में भी, सरकारी समितियों से होड़ लगने पर भी, अपनी शाखायें खोलें और वहां थोड़े से कर्मचारी रखें, ताकि उसका गांव के लोगों से सम्पर्क बना रहे ।

जहां कहीं भी राज्य बैंक या उसकी सहायक संस्था का कार्यालय है, वहां उससे आशा की जाती है कि वह जनसाधारण को रुपया जमा करने और निकालने, रियायती दर पर रुपया भेजने, छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता और सलाह देने आदि की सुविधायें दे ।

मैं यह नहीं कहता कि स्टेट बैंक द्वारा जनता की सेवाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं थी किन्तु इसके लिए बैंक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । क्योंकि एक ऐसी संस्था जो तीव्र गति से विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रही हो, उसे स्वभावतः अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसमें कुछ कमियां भी रह जाती हैं । हाल में इन कठिनाइयों की जांच करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बैंक के प्रबन्ध में विभिन्न स्तरों पर कुछ मूलभूत परिवर्तन करना आवश्यक है ।

हाल की कुछ घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए यह बात साबित हो गई है कि बैंक के कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का काफी सीमा तक विकेन्द्रीयकरण होगा । इसलिए हम बड़ी संख्या में स्थानीय मुख्य कार्यालय खोलने पर विचार कर रहे हैं । इस समय ६ से अधिक स्थानीय कार्यालयों की स्थापना पर प्रतिबन्ध अन्तर्निहित है क्योंकि वर्तमान कानून के अनुसार बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में स्थानीय क्षेत्रों से केवल ६ प्रतिनिधियों के लिये जाने की व्यवस्था है । हम इस अन्तर्निहित प्रतिबन्ध को हटाना चाहते हैं और केन्द्रीय बोर्ड का पुनगर्ठन करके यह व्यवस्था कर रहे हैं कि इसमें स्थानीय मुख्य कार्यालयों के प्रतिनिधि लिये जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होगा ।

इस समय स्थानीय बोर्डों की शक्तियां बहुत सीमित हैं । इन बोर्डों को ५ लाख रुपये से अधिक ऋण और पेशगियां देने के लिये केन्द्रीय बोर्ड को सूचित करना पड़ता है अथवा पूर्वानुमति लेनी

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

पड़ती है। स्थानीय बोर्डों को नियुक्ति तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में अन्तिम निर्णय करने के अधिकार नहीं दिये गये हैं। हम भविष्य के लिये यह व्यवस्था कर रहे हैं कि कुछ मामलों के अतिरिक्त जिन के बारे में केवल केन्द्रीय बोर्ड द्वारा ही निर्णय करना आवश्यक हो, बैंक के सामान्य कार्यों को स्थानीय कार्यालयों में निपटा दिया जाये। इससे बैंक की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और कार्यों को निपटाने में विलम्ब नहीं होगा ।

इस समय स्थानीय मुख्य कार्यालयों से सम्बद्ध बोर्डों में चार सदस्य होते हैं। स्थानीय बोर्डों को और अधिक उत्तरदायित्व सौंपने की दृष्टि से सदस्यों की संख्या चार से बढ़ाकर आठ करने का प्रस्ताव है । मुझे आशा है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले गैर-सरकारी लोग सदस्यों के रूप में बोर्डों के पुनर्गठन में काफी सहायक सिद्ध होंगे । विधेयक के खंड ११ में हम यह उपबन्ध कर रहे हैं कि ये बैंक व्यापारिक तथा वाणिज्यिक संस्थाओं को ७ वर्ष से बढ़ाकर १० वर्ष की अवधि तक के लिए ऋण दे सकेंगे । स्टेट बैंक "बैंकिंग" कारोबार के ठोस सिद्धान्तों का अनुसरण करने के साथ साथ विभिन्न विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में काफी सहायक सिद्ध हुआ है । इस बैंक ने पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग को लोकप्रिय बनाने में अभूतपूर्व कार्य किया है । बैंक ने औद्योगिक विकास के लिए ऋण देकर देश की अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण योग दिया है ।

राज्य सरकारों द्वारा रक्षित भंडार बनाने, खाद्यानों को खरीदने तथा इसके वितरण के कार्य में बैंक निरन्तर सराहनीय कार्य कर रहे है । इस बैंक द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में छोटे तथा मध्यम आकार के उपक्रमों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । इस दिशा में बैंक के कार्य क्षेत्र को और अधिक आवश्यकता है ।

इस विधेयक द्वारा हम जो परिवर्तन करना चाहते हैं उन से कुछ सीमा तक इसके कार्यों का विकेन्द्रीकरण हो जायेगा । तब बैंक के कारोबार को अधिक कार्य कुशलता से किया जा सकेगा ।

इन परिवर्तनों से बैंक देश के विकास में काफी तथा अधिक प्रभावशाली योग दान दे सकेगा ।

इन शब्दों के साथ में प्रस्ताव करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): इस विधेयक के लिये कितना समय निर्धारित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह विधेयक लगभग २—३० म० प० बजे तक चलेगा । उसके बाद गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा, क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा स्थगित कर दीज ायेगी अथवा कल भी सभा की बैठक होगी ?

अध्यक्ष महोदय : कल सभा की बैठक नहीं होगी ।

श्री प्रभात कार (हुगली): यद्यपि विधेयक को लाने में विलम्ब हुआ है तथापि बैंकों की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए विधेयक का स्वागत है । बैंक की शाखाओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए विधेयक में प्रस्तावित संशोधन पहले ही किये जाने चाहिये थे। यह सच है कि गत वर्षों में बैंक ने अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है । जिन क्षेत्रों में अभी तक

किसी प्रकार की बैंकिंग सुविधायें नहीं हैं, वहां स्टेट बैंक ने अपनी नयी शाखायें खोल कर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक देश में बैंकिंग कारबार के विकास में किसी प्रकार की रुचि नहीं रखते हैं यही कारण है कि देश के जिन क्षेत्रों में बैंकिंग संबंधी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं वहां अब तक इन बैंकों ने अपनी कोई शाखायें नहीं खोली हैं। मंत्री महोदय ने स्वयं बताया है कि देश के लगभग १,००० नगरों में किसी प्रकार की बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। इतने बड़े देश में अब तक बैंकों की केवल ५,११७ शाखायें कार्य कर रही हैं। आज हम जब सोने के नियंत्रण की बात कर रहे हैं, आवश्यकता इस बात की है कि बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाये। यह तभी सम्भव हो सकता है जब सरकारी क्षेत्र में बैंकिंग का विस्तार किया जाये। गत नौ वर्षों में स्टेट बैंक द्वारा अत्यन्त सराहनीय कार्य किये जाने के बावजूद भी जनता को बैंकिंग संबंधी सुविधायें प्राप्त नहीं हो पाई हैं और इस दिशा में और अधिक सुविधायें उपलब्ध करने की आवश्यकता है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

अतः बैंकिंग उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए तभी अपेक्षित सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं। मंत्री महोदय को लोगों की उन कठिनाइयों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए जो उन्हें स्टेट बैंक द्वारा अपनी अपनायी जाने वाली वर्तमान प्रक्रिया के कारण उठानी पड़ती है । इस प्रक्रिया में संशोधन करके इसे उदार बनाया जाना चाहिए जिस से लोगों को बैंक की सेवाओं से लाभ उठाने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

जहां तक स्टेट बैंक द्वारा छोटे व्यापारियों तथा उद्योगों को ऋण देने का संबंध है, बैंक इस कार्य में पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाया है । यह खुशी की बात है कि बैंक देश के अनेक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अपनी नयी शाखायें खोल रहा है । इसके साथ साथ वित्त मंत्री महोदय को यह भी देखना चाहिए कि स्टेट बैंक अपना कार्य सुचारू रूप से करे, विशेष रूप से जिन क्षेत्रों में नयी शाखायें खोली जा रही हैं उन क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों तथा उद्योगों की सहायता करे अन्यथा नयी शाखायें खोलना निरर्थक सिद्ध होगा ।

वित्त मंत्री महोदय को स्टेट बैंक तथा स्टेट सहायक बैंक, जारी रखने के औचित्य पर विचार करना चाहिए। ये दोनों बैंक एक ही नीति का अनुसरण करते हैं। इसलिए एक क्षेत्र में दोनों बैंक होने से ये आपस में स्पर्धा करते हैं। बहुत से स्थानों में ऐसा पाया गया है कि स्टेट बैंक की अपेक्षा स्टेट सहायक बैंक अधिक लोक प्रिय हैं। इन क्षेत्रों में स्टेट बैंक की शाखाओं को स्टेट सहायक बैंकों में मिलाया जाना चाहिये। इस से कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा और स्टेट बैंक उन पर नियंत्रण भी रख सकेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri Raghunath Singh : Shri Prabhat Kar pleaded for the nationalisation of banks. But we have to keep in view the fact that we have accepted mixed economy in which both the public sector and the private sector have to grow side by side. The private sector cannot function unless there are private sector banks in the country. Moreover, the major part of the transactions are conduct-

[Shri Raghunath Singh]

ed through the private banks. It is because they give more facilities. Because the private banks have to make profits and to maintain their goodwill so they are inclined to give more and more facilities to their clients. Therefore, so far as we accept the principle of mixed economy, the private banks should not be nationalised.

Secondly, I have to submit that a banking enqiury committee was appointed as far back as in 1930. Since that time the pattern of our economy has undergone a great change. New situations have arisen now, therefore, a Banking Enquiry Commission should be appointed now which may go into the various aspects of our banking system and make useful suggestions in regard thereto.

With these two suggestions, I have to emphasise once again that private banks should be allowed to continue since we have accepted the principle of mixed economy. Private banks are essential from the point of view of competition, also. It is, because of the competition that a person is able to get maximum facilities.

श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर–मध्य दक्षिण): मैं विधेयक के खंड १३ को छोड़ कर शेष विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं ।

स्टेट बैंक ने गत वर्षों में सराहनीय कार्य किया है । सरकार देश के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बैंक की नयी शाखायें खोलकर अत्यन्त सराहनीय कार्य कर रही है । स्थानीय बोर्डों के गठन में परिवर्तन कर के स्टेट बैंक का कार्य अधिक सुचारू रूप से चल सकेगा ।

हमें विधेयक के खंड १३ में, जिसके अनुसार स्टेट बैंक को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करनी पड़ती है, " सही और सच्चा दृष्टिकोण " शब्दों के स्थान पर " सच्चा और उचित दृष्टिकोण " शब्द रखने सम्बन्धी संशोधन पर ध्यान पूर्वक विचार करना चाहिए। स्टेट बैंक एक बैंकिंग और साख की सरकारी संस्था है और हमें इसकी ख्याति बनाये रखनी चाहिए। अतः इसे लेखा परीक्षा के मामलों में किसी प्रकार की ढील देना हानिकर होगा क्योंकि जब तक लेखा परीक्षा के बारे में हम सख्ती से काम नहीं लेंगे इस में अनेक प्रकार की अनियमिततायें आ सकती हैं जो एक बैंक जैसी संस्था के लिए बहुत खतरनाक बात है ।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर): यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा तहसील मुख्यालयों में स्टट बैंक द्वारा खोली गई शाखाओं का कार्य अभी तक ग्रामीण जनता में लोकप्रिय नहीं हो पाया है क्योंकि ये शाखायें ग्रामीण जनता को बैंकिंग संबंधी अपेक्षित सुविधायें देने में असफल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंक लोगों को पर्याप्त सुविधायें तथा बैंकिंग की जानकारी देकर अत्यन्त सराहनीय कार्य कर रहे हैं तथा इन बैंकों का अन्य ऋण संस्थाओं से भी संबन्ध रहता है जिस से इनका कार्य सरल और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है । किन्तु दूसरी ओर स्टेट बैंक अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को बैंक के लाभ अथवा हानि से किसी प्रकार का सरोकार नहीं होता है अतः वे ग्रामीण जनता के साथ समुचित कारबार करने तथा उन्हें बैंकिंग की सुविधायें देने की परवाह नहीं करते हैं।

स्टेट बैंक की शाखाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में साधारण जमा करने वालों को सुविधायें नहीं दी जाती हैं। चैकों की राशि लेते समय शनाख्त के मामले में बहुत सख्ती से काम लिया जाता है जिस से लोगों को बड़ी कठिनाई होती है । इसके अतिरिक्त ये शाखायें छोटे उद्योगों को ऋण

नहीं देती हैं। इन छोटे उद्योगों के लिए इनकी शर्तों को पूरा करना बहुत कठिन होता है। स्टेट बैंक की शाखायें इन्हीं कमियों के कारण प्रतिवर्ष हानि उठा रही हैं।

अतः मेरा अनुरोध है कि स्टट बैंक को ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिएं, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को सहकारी बैंक पूरा कर रहे है। अतः स्टेट बैंकों की शाखाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंक तथा अन्य ऋण संस्थाओं के साथ सम्पक स्थापित करना चाहिए।

सरकार के लिये यह उचित समय है जबकि उसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में विचार करना चाहिए।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : यह सराहनीय बात है कि वित्त मंत्री महोदय इस विधेयक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की बैंकिंग को अधिक सुविधायें देने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु जब तक बैंकिंग प्रणाली में मानवीय आधार पर सुधार नहीं किये जाते हैं तब तक इस दिशा में उठाया गया कोई भी कदम अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि आज देश के बैंकों द्वारा उपलब्ध सुविधाओं से केवल कुछ प्रभावशाली लोगों को ही लाभ पहुंचता है और अधिकांश निर्धन जनता इनकी सेवाओं से लाभ नहीं उठा पाती है। स्वयं मेरे साथ कई बार बैंकों द्वारा अनुचित व्यवहार किया गया जिसके परिणामस्वरूप मुझे उन बैंकों में अपना खाता बन्द करना पड़ा।

ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या मे स्टेट बैंक की शाखायें तो खोली जा रही हैं किन्तु इनसे गरीब जनता ऋण लेने में सफल नहीं हो सकती है क्योंकि बैंक की ऋण संबंधी शर्तें इतनी सख्त हैं कि लोगों के लिए उन्हें पूरा करना कठिन है। उदाहरणार्थ, ग्रामीणों से धान पर ऋण प्राप्त करने के लिए तीन प्रकार की गारटियां पेश करने को कहा जाता है।

अतः मेरा अनु ोध है कि बैंकों में मानवीय आधार पर सुधार करके निर्धन तथा जरूरतमन्द लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री वारियर (त्रिचूर) : यह अनुचित बात है कि आज देश में छोटे बैंकों को बड़े बकों में मिलाया जा रहा है जिससे वे और अधिक बड़े होते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन बड़े बैंकों के कारण छोटे बैंकों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है जिससे इन क्षेत्रों मे ऋण संबंधी सुविधायें निरन्तर कम होती जा रही हैं जब कि वास्तविकता यह है कि इन क्षेत्रों में ऋण संबंधी आवश्यकतायें बढ़ रही हैं।

स्टेट बैंक को उन छोटे छोटे बैंकों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए जिनकी वित्तीय दशा ठीक नहीं है और वे अपने पांवों पर खड़े नहीं रह सकते हैं ताकि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपना अनुचित प्रभाव न डाल सकें। यदि देश में मिश्रित अर्थ व्यवस्था लानी है तो हमें देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना ही होगा।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : प्रायः सदस्यों ने विधेयक का स्वागत किया है जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने विधेयक की आलोचना की है। मैं समय के अभाव के कारण विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने सहायक बैंकों को स्टेट बैंक में मिलाने का सुझाव दिया। इस समय हम सहायक बैंकों द्वारा स्वतंत्र रूप से काम करने के पक्ष में हैं।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

जहां तक छोटे बैंकों को स्टेट बैंक में मिलाने का प्रश्न है, हम इस बारे में विचार करेंगे। किसी बैंक को दूसरे बैंक में मिलाते समय रिजर्व बैंक द्वारा मामला स्टेट बैंक को सौंपा जाता है। स्टेट बैंक इसके लाभप्रद पहलू की दृष्टि से इस पर विचार करता है। और यदि वह उचित समझे तो दूसरे बैंकों से उसे अपने में विलय करने के लिए कहता है। रिजर्व बैंक इस बात का मुख्य रूप से इस बात का ध्यान रखता है कि बैंक में जमा करने वाले लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक होने पर अन्य बैंकों से परिसमापन होने वाले बैंकों को अपने हाथ में लेने के लिये कहा जाता है।

इस प्रश्न पर निरन्तर विचार किया जाता है कि क्या किसी क्षेत्र में सहायक बैंक का होना जरूरी है अथवा नहीं या क्या उसका विलय किया जाना चाहिये अथवा नहीं। निश्चय ही नये सर्किल खोले जाने से स्थिति बदल जायेगी। ऐसा हो सकता है कि एक सर्किल के कार्य क्षेत्र में वह सहायक बैंक भी आ जाये। काफी लोगों ने मुझे बताया है कि सहायक बैंक उन्हें राज्य बैंक से भी अच्छी सुविधायें प्रदान करते हैं।

सरकारी सेवा में लिये जाने वाले नये आई० ए० एस० तथा अन्य युवक अधिकारियों में सामान्य जनता के प्रति अधिक सहानुभूति पाई जाती है। परन्तु यह दुर्भाग्य का विषय है कि सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों में वह भावना अभी जागत नहीं हुई है। राज्य बैंक में भी प्रक्रिया काफी जटिल है और धनादेश आदि प्राप्त करने में काफी समय लगता है। यह लालफीताशाही कम होनी चाहिये। राज्य बैंक यह कोशिश कर रहा है कि नये भरती किये जाने वाले अधिकारी अच्छे व्यक्ति हों। उनको ग्रामों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि गांवों में ऐसे एक ही अधिकारी से बैंक खोले जाने चाहियें ताकि ये अधिकारी दो वर्षों तक गांवों में काम करके लोगों से कंधे से कंधा मिला सकें और उनमें भी गांवों में काम करने वाले अन्य आई० ए० एस० अधिकारियों जैसी भावना जागृत हो जाये।

मैं श्री वारियर के इस सुझाव से सहमत हूं कि बैंकों के विलय के प्रश्न के बारे में हमें सावधानी से काम लेना चाहिये ताकि लोगों के ऋण प्राप्त करने के साधन समाप्त न हो जायें। परन्तु यह प्रश्न मुख्य रूप से बैंक की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है। यदि उसमे पैसा जमा करने वाले व्यक्तियों के पैसे को कोई खतरा उत्पन्न हो जाता है तो उस हालत मे और कोई चारा नहीं है। इसीलिये राष्ट्र बैंक और उसके सहायक बैंकों का खोला जाना बड़ा आवश्यक है ताकि वे अनुभव प्राप्त कर सकें और छोटे बैंकों के बन्द हो जाने की अवस्था में लोगों को ऋण सुविधायें उपलब्ध कर सकें।

खंड १३ में "ठीक" (Correct) शब्द के स्थान पर "उचित" (Fair) शब्द रखा जा रहा है। ऐसा करना इसलिये आवश्यक हो गया है क्योंकि समवाय अधिनियम की धारा २२७ (२) में भी यह परिवर्तन किया जा चुका है। लेखापरीक्षकों की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये ही समवाय अधिनियम में यह संशोधन किया गया था। बैंकिंग समवाय अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य अधिनियमों में भी यह संशोधन किया गया है। अतः व्यावहारिक कठिनाइयों तथा एक रूपता लाने की दृष्टि से यह संशोधन करना जरूरी हो गया है। इसलिये मैं श्री प्रभात कार के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

मैं यह महसूस करता हूं कि हमें राज्य बैंक तथा नये बोर्ड को लोकप्रिय बनाना होगा। हम इस बोर्ड का आकार व्यापक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ताकि उसमे उन व्यक्तियों को स्थान दिया जा

सके जो वास्तव में जनता के हितैषी हैं। इसमें अभी कुछ समय लगेगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना उचित नहीं है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि सार्वजनिक संस्थाओं के उच्च अधिकारियों को नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और जन साधारण को विश्वास प्राप्त करना चाहिये। इन संस्थाओं का ध्येय जनता की सेवा होना चाहिये और उन्हें अपने अधिकारियों की सुविधाओं के बारे में ही नहीं सोचना चाहिये। हमें बकों के उच्च अधिकारियों मे मानवीय भावना पैदा करने की अधिक आवश्यकता है ताकि वे जनता की अधिक लगन से सेवा कर सकें। मुझे आशा है कि भविष्य में ऐसे महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रम अधिक अच्छा कार्य करके दिखायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि भारत का राज्य बैंक अधिनियम, १९५५ मे अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ और ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

खण्ड ४—(धारा २० का संशोधन)

संशोधन किया गया

Amendment made.

पृष्ठ ३, पंक्ति ७,—

(३) "1963" ["१९६३"] के स्थान पर "1964" ["१९६४"] रखा जाये।

—[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4, as amended was added to the Bill.

खण्ड ५—(धारा ११ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

संशोधन किया गया।

Amendment made.

पृष्ठ ५, पंक्ति ५,—

"1963" ["१९६३"] के स्थान पर "1964" [१९६४"] रखा जाये। (४)

—[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड ५, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

खण्ड ६—(नई धारा २१क, २१ख और २१ग का रखा जाना)

संशोधन किया गया:

Amendment made.

पृष्ठ ५, पंक्ति ३६,—

"1963" [१९६३"] के स्थान पर "1964" ["१९६४"] रखा जाये। (५)

—[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

खण्ड ७ से १२ विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 7 to 12 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री व० बा० गांधी खण्ड १३ पर अपना संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत नहीं कर रहेहैं।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड, १३ से १८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड १३ से १८ विधेयक में जोड़ दिये ग ।

Clauses 13 to 18 were added to the Bill.

खण्ड १--(संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ)

संशोधन किया गया:

Amendment made.

पृष्ठ १, पंक्ति ४--

"1963" ["१९६३"] के स्थान पर "1964" ["१९६४"] रखा जाये। (२)

--[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

Amendment made.

पृष्ठ १, पंक्ति १,--

"Fourteenth" ["चौदहवां"] के स्थान पर "Fifteenth" ["पंद्रहवां"] रखा जाये। (१)

--[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The title was added to the Bill.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार: मैं राज्य बैंक के कार्य का विस्तार करने वाले विधेयक का स्वागत करता हूं। राज्य बैंक के सहायक बैंकों का उद्देश्य एकाधिकारों की सहायता करने की बजाय जनसाधारण, छोटे व्यापारियों तथा छोटे उद्योगों की सहायता करना होना चाहिये। मैं श्री रघुनाथ सिंह के इस बेतुके तर्क से सहमत नहीं हूं कि बैंकिंग उद्योग में भी गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र होने चाहियें। वास्तव में, कांग्रेस ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को पहले से ही स्वीकार किया हुआ है परन्तु कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है। इसीलिये गैर-सरकारी बैंकिंग उद्योग पर अधिकाधिक नियंत्रण रखने के लिये रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार दिये गये हैं। आर्थिक संतुलन बनाये रखने के लिये बैंकिंग उद्योग पर सरकार का समुचित नियंत्रण होना चाहिये, क्योंकि बैंकों का देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा हाथ है। अनुसूचित बैंकों को वायदा बाजार तथा सट्टेबाजी को प्रोत्साहन देने के लिये ऋण देने की अनुमति नहीं होनी चाहियें। इन चीजों को रोकने के लिये उन पर उचित नियंत्रण रखा जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

माना शिविर में शरणार्थियों की दुर्दशा

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४.

श्री स० मो० बनर्जी:
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार :
श्री दीनेन भट्टाचार्य:
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री ज० ब० सिंह:

क्या पुनर्वास मंत्री ४ जून, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १००० से अधिक शरणार्थी माना शिविर से चले गये हैं ;

(ख) क्या अनेक छोटे बच्चों की मृत्यु हुई और शिविर में महामारी फैल गयी;

(ग) क्या वहां कोई उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(घ) क्या अब स्थिति सुधारने के लिये कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) क्या शरणार्थियों को शिविर में फिर जाने के लिये कहा गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, माना शिविर से चले जाने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग २०० है।

(ख) अत्यधिक गर्मी के कारण कुछ बच्चों की मृत्यु हुई है लेकिन इन अस्थायी केन्द्रों में कोई महामारी नहीं फैली ?

(ग) और (घ) चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध हैं लेकिन इन अस्थायी केन्द्रों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए आरम्भ में की गयी व्यवस्था को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता । तब से इसमें काफी सुधार हुआ है और वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक है।

(ङ) जब भी शरणार्थी शिविर से जाते हैं उन्हें शिविरों में वापस लौटने को कहा जाता है।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि कुछ बच्चे मरे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि हैजे और अन्य रोगों से २१ बच्चों की मृत्यु हुई और अन्य भी बीमार हुए ?

श्री त्यागी : ३–४–६४ तक की अवधि में आंत्र-शोथ के कारण ३१ बच्चों और १५ वयस्कों की मृत्यु हुई। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक द्वारा एक विशेष पड़ताल की गयी। निष्कर्ष यह निकला कि मृत्यु गर्मी, थकान और अपौष्टिक आहार के कारण हुई है और कोई महामारी नहीं है। चेचक से कोई मृत्यु नहीं हुई है।

श्री स० मो० बनर्जी: क्या यह सच है कि क्या सरकार इस शिविर में स्थिति देखने के लिये एक संसदीय शिष्टमंडल वहां भेजना चाहती है और क्या फिर वह शरणार्थियों को शिविर में वापस जाने को कहेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

श्री स० मो० बनर्जी: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का यह इरादा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपका कोई संसदीय शिष्टमंडल भेजने का कोई इरादा

श्री त्यागी : जी, नहीं। वास्तव में अब वहां स्थिति सुधर गयी है । सदस्यों के वहां जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मेरी कठिनाई यह है कि पिछले कुछ समय से, वहां पर शिविरों पर कोई नियंत्रण न होने से, हर प्रकार के लोग वहां जाते हैं और रोष पैदा करते हैं और इसलिये हम शिविरों में कुछ शिविर अनुशासन लागू कर रहे हैं और स्थिति ठीक होने पर मुझे वहां पर सदस्यों के जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री स० मो० बनर्जी : संसद्-सदस्यों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता। मंत्री महोदय के उत्तर का अर्थ यह है कि संसद्-सदस्य रोष पैदा नहीं कर सकते...

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय शिष्टमंडल भेजने का कोई इरादा नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जब कि लोग गर्मी से घुट रहे हैं, तो अनुशासन की बात करने से कोई लाभ नहीं है। मैं उन कई लोगों से मिल चुकी हूं जो कलकत्ता के आसपास वापस आये हैं और उनका कहना है कि उनके अपने भाइयों तथा बहनों की मृत्यु हो गयी है। सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है ? क्या वह इन शिविरों को उन स्थानों में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

भेजेगी जो ऐसे मौसम के अनुकूल सुविधाजनक हो अथवा उन्हें अनुशासनात्मक उपायों के बल से इन शिविरों में, जो कि गर्मी में भट्टी के समान तपते हैं, रहने को मजबूर किया जायेगा ?

श्री त्यागी : उनको गर्म भट्टी में रखने का कोई इरादा नहीं है। परन्तु दुर्भाग्य से ये गर्म हैं क्योंकि उन्हें तम्बुओं में रहना पड़ता है। लगभग १०,००० या ११,००० तम्बू लगाने पड़े थे। और स्थान न होने के कारण उन्हें तम्बुओं में रहना पड़ता है और तम्बू ग होते हैं। उनका कहना ठीक है और मैं भी यह महसूस करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उनका इरादा उन्हें स्थानान्तरित करने का है ?

श्री त्यागी : जी, नहीं। यह अस्थायी शिविर है। यह स्थायी निवास नहीं है। उन्हें स्थानान्तरित किया जाता है। उन्हें वहां पन्द्रह दिन या एक महीने तक के लिये रखा जाता है। अब भारत भर में ७० शिविर हैं और इसलिये वह कठिनाई इसमें नहीं होगी क्योंकि गाड़ियां हर रोज जाती है और माना शिविर से लगभग सभी राज्यों को एक या दो विशेष गाड़ियां हर रोज जाती हैं।

श्री प्रभात कार : मंत्री महोदय ने बताया कि आंत्र-शोथ के कारण ३१ बच्चों और १५ वयस्कों की मृत्यु हुई है। यह भी हैजे का दूसरा नाम है और उनका कहना है कि यह महामारी नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विशेष रोग के कारण, जो कि हैजे का ही एक रूप है, इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु होने को ध्यान में रखते हुए इस महामारी को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहेहैं ताकि यह फैल न सके क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है।

श्री त्यागी : माना में एक सौ शैया वाला अस्पताल है, एक २५ शैया वाला बच्चों का अस्पताल है और तीन औषधालय हैं। शीघ्र ही दो और औषधालय खोले जाने की आशा है। इसकी व्यवस्था की जा चुकी है। समीप ही दूसरे शिविर कुरुड में, एक अस्पताल, एक प्रसूति केन्द्र और चार औषधालय हैं। शीघ्र ही एक और औषधालय खोला जाने वाला है। सभी गंभीर रोगियों को रायपुर अस्पताल में भेज दिया जाता है। रायपुर में एक ३५ शैया वाले अस्पताल की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता मंजूर की गयी है। वहां पर कुल लगभग २० डक्टर और ६० नर्सें हैं और माना, कुरुड, नौगांव और भानपुरी में काफी रोगी आते हैं। सेना से सेवानिवृत्त डाक्टरों को पुर्ननियोजित करके चिकित्सा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने बताया है यह एक अस्थायी शिविर है, क्या मैं जान सकता हूं कि वहां पर अब तक कितने शरणार्थियों को रखा गया है और उनमें से कितनों को स्थायी रूप से बसाया गया है ?

श्री त्यागी: मुझे आंकड़े देखने पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल से दण्डकारण्य को १,२६,००० व्यक्ति भेजे गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह माना शिविर के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री त्यागी: पृथक् आंकड़ों की सूची बड़ी लम्बी है। लेकिन अब तक १३,५३८ परिवारों (४५,१२१ व्यक्ति) को बसाया गया है।

श्री मुहम्मद इलियास : अब तक कुछ शरणार्थियों को अस्थायी शिविरों से स्थायी पुनर्वास केन्द्रों में भेजा गया है । स्थायी पुनर्वास केन्द्रों से भी कई शरणार्थी वापस पश्चिम बंगाल चले गये हैं । मैं उनकी वास्तविक संख्या जानना चाहता हूं कि स्थायी पुनर्वास केन्द्रों से कितने व्यक्ति पश्चिम बंगाल चले गये हैं और इसके क्या कारण हैं । क्या यह वहां पर पीने के पानी और अन्य प्रबंध की कमी के कारण है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । यह प्रश्न माना शिविर के बारे में है ।

श्री मुहम्मद इलियास : मैं माना शिविर के बारे में पूछ रहा हूं । माना शिविर से इन शरणार्थियों को स्थायी पुनर्वास केन्द्रों में भेजा जाता है । लेकिन वहां से भी शरणार्थी भाग रहे हैं । इसके क्या कारण हैं ?

उपाध्क्ष महोदय : यह भिन्न बात है ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

चवालीसवां प्रतिवेदन

श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन से, जो ५ मई, १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन से, जो ५ मई, १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

पैंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री हेम राज : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति के पैंतालीसवें प्रतिवेदन से, जो ३ जून, १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति के पैंतालीसवें प्रतिवेदन से, जो ३ जून, १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: NATIONAL POLICY IN EDUCATION—Contd

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा १ मई, १९६४ को श्री सिद्धेश्वर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे विचार करेगी :—

"कि इस सभा की यह राय है कि शिक्षा सम्बंधी राष्ट्रीय नीति के सभी पहलुओं पर विचार करने और आगामी तीन योजना अवधियों के लिये तदनुसार कार्यक्रम तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिये समुचित शासनतंत्र का सुझाव भी देने के लिये संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये ।"

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद अपना भाषण जारी रखें ।

Shri Sidheshwar Prasad (Nalanda) : While formulating a national policy on Education, the question of medium of instruction is very important. Real education cannot come through a foreign language. Education should be such which can develop the latent faculties of a man and this task cannot be achieved through instruction in a foreign language . These were the feelings of Mahatma Gandhi, the Father of the Nation. The present system of education in our country is based on foreign culture and is imported through the medium of foreign language.

If we really revere Mahatma Gandhi as the father of the nation, we should follow the ideals enunciated by him for the proper development and strengthening of the nation. We should introduce Indian languages from the primary stage right up to the University level. It would help to narrow down the wide gap between the educated and uneducated people in the country and also generate greater sense of national unity in the people and lead the country to greater prosperity in every sphere. Without any development of human resources, not much progress can be made in any field. For the success of democracy and to rouse the interest of the common man in our policies and the principles enunciated in our Constitution, and to secure their cooperation, it is necessary that a clear cut policy should be laid down so far as our educational programme is concerned. A resolution on educational policy should also be adopted as has been done in the Industrial and Scientific fields. There has been an announcement about the constitution of a Commission on education, but nothing is yet known about its functions and terms of reference. I hope that a clear cut policy will also be announced, in addition to the objective and programme of our education at the primary, middle and university level and also in the technical field.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं हालांकि मुझे यह विश्वास नहीं है कि संसद् सदस्यों की समिति इस कार्य को पूरा करने में अधिक सहायक सिद्ध हो सकेगी । परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि शिक्षा के सम्बंध में एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति अपनायी जानी चाहिये और उसको जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाना चाहिये । इस कार्य को करने के लिये सरकार के पास काफी अभिकरण हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे विशेषज्ञनिकाय की सेवायें भी हमें प्राप्त हैं । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य अभिकरणों की सहायता से उसके कार्य को समन्वित करने में सरकार की कोई रुचि नहीं है ।

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के मुख्य आधारों के संबंध में हमको यथासंभव शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। एक आयोग स्थापित करने की घोषणा की गयी है परन्तु उसके प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने और उस पर विचार किये जाने में कई वर्ष लग सकते हैं।

उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें तेजी से काम करना है जिन्हें हम अब तक स्थगित करते रहे हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, अर्थात् हम चाहते हैं कि सब को शिक्षा प्राप्त हो। जब तक कि शिक्षा की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, तब तक उसकी किस्म में भी परिवर्तन नहीं होगा। हमारे जन साधारण को शिक्षा नहीं दी जाती, अथवा यह कहा जाये कि उनके पास इतने भी साधन नहीं हैं कि वे सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से लाभ उठा सकें। अतः हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तेजी से काम करना होगा।

मेरे माननीय मित्र ने शिक्षा के माध्यम की बात कही है। उच्च स्तर पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम रख कर हम अपने अधिकांश लोगों को उच्च शिक्षा न दे कर उनकी अवहेलना कर रहे हैं। यदि हम अपनी भाषाओं में पढ़ लिख नहीं सकते, तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। यह हमारे भत का अंग है और इसे हमें जल्द से जल्द समाप्त करना है। यदि हम सभी को शिक्षित बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी भाषाओं में ही शिक्षा देनी होगी।

सरकार विदेशी प्रकाशकों से समझौते कर रही है कि हमें उनकी पुस्तकें कुछ और सस्ते मूल्यों पर मिल सकें। लेकिन ऐसा करने से तो हमें विदेशी भाषाओं में लिखी गयी पुस्तकों पर बहुत अधिक समय तक निर्भर रहना होगा। शिक्षा के माध्यम का प्रश्न बहुत जल्दी और साहसपूर्वक हल करना होगा।

यदि विज्ञान तथा मानवता का परस्पर सम्बंध स्थापित किया जा सके और उसे समन्वित किया जा सके एवं जल्दी ही कुछ कार्यक्रम तैयार किये जा सके तो हम समितियों और आयोगों को नियुक्त करने की तुलना में इस कार्यवाही से अधिक शीघ्रतापूर्वक प्रगति कर सकते हैं।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर): पिछले १६, १७ वर्षों में हमने शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के मामले में बहुत ही कम प्रगति की है। इस समय दी जाने वाली बेसिक शिक्षा एक ढोंग मात्र है। शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति की कठिनाइयां इस कारण है कि शिक्षा राज्यों के अधिकार क्षेत्र का विषय है।

अन्त में अन्तर लोगों के अपने गुण प्रकार से पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे उनका नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक उत्थान हो। हम पिछले १६ वर्षों में अपने राष्ट्रीय इतिहास की भी रचना नहीं कर सके हैं।

हमें अपनी अच्छी बातों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये और न ही यह रवैया रखना चाहिये कि विदेशी जो भी उसे अपना लो।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली): मैं श्री सिद्धेश्वर प्रसाद के संकल्प का समर्थन करता हूं।

शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति का होना इस समय अत्यधिक आवश्यक है। इसका कारण यह है कि राष्ट्र विरोधी तथा अलग करने वाले तत्व देश की एकता को छिन्न भिन्न करने पर तुले हुए

[श्री मुथिया]

हैं । अखिल भारतीय दृष्टिकोण का संवर्धन करने के लिए शिक्षा सभी उपायों में से सर्वाधिक महत्व-पूर्ण है । शिक्षा की एकसी राष्ट्रीय नीति हो, इस सम्बंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने बड़ा जोर दिया है । शिक्षा के सभी स्तरों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जानी चाहिए । हमें इस कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए ।

भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल का अध्ययन अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए । सभी राज्यों को चाहिए कि वे तीन भाषा सूत्र को निष्ठापूर्वक लागू करें । त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम तथा अन्य बातों के संबंध में कुछ एकरूपता लानी चाहिए ।

श्री नरसिम्हा रेड्डी (राजमपेट) : यद्यपि मैं यह नहीं समझ सका कि संकल्प पेश करने वाले मेरे माननीय मित्र ने क्या कहा, क्योंकि वह जिस भाषा में बोले थे, उसे हम नहीं समझते, फिर भी मैं इसका समर्थन करता हूं । स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का बहुत जोर दिया गया है । स्वाभाविक है कि हर आदमी अपनी मातृभाषा जानता है और उसे समझता है । इसलिए यह कहीं अच्छा होता कि यदि हमने काफी अच्छी तरह उन देशों की भाषाओं का अध्ययन किया होता जो औद्योगिक दृष्टि से उन्नतिशील है । इन देशों में जर्मनी, रूस, जापान, आदि देश आते हैं । हमारे देश की भाषाओं के प्रति लगाव रखने से हमें कोई लाभ नहीं हुआ है । बल्कि ऐसा करने का परिणाम यह हुआ है कि हम मध्य युग की ओर चले गये हैं । फिर इससे शिक्षा का भी स्तर गिरा है ।

शिक्षा के वर्तमान पाठ्यक्रम में हमें एक और अभाव खटकता है और वह इसमें धार्मिक शिक्षा का न होना । धार्मिक शिक्षा के परिणाम देश में महान व्यक्ति हुए हैं ।

श्री मानसिंह पु० पटेल (मेहसाना) : श्रीमान मैं इस संकल्प का किसी हद तक समर्थन करता हूं ।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई गयी है । संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि ६ वर्ष से लेकर १४ वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जायेगी । परन्तु वर्तमान स्थिति जो चल रही है उसके अनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति १९८१ से पहले संभव नहीं होगी । वर्तमान नीति को जनता के शैक्षणिक विकास में लगे हुए एक स्वतंत्र देश की राष्ट्रीय नीति नहीं कहा जा सकता ।

हमारी बेसिक शिक्षा जिस प्रकार की है वह किसी के भी लिए सहायक सिद्ध नहीं होगी । समूची नीति और ढांचे में मूलभूत परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है ।

फिर आवश्यकता इस बात की है कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का एक आम प्रतिरूप बनाया जाय । इस समय इसके बारे में विभिन्न राज्यों की विभिन्न धारणायें हैं । शिक्षा की एक एकीकृत पद्धति बनाने के लिए एक माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग स्थापित किया जाना चाहिए, जैसा कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए बनाया गया है । शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाने से कोई लाभ नहीं है ।

[श्री सोनावने पीठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the chair*]

सरकार को यह देखना चाहिए कि विभिन्न प्रकार की शिक्षा अर्थात्, प्रविधिक, माध्यमिक आदि के लिए अधिकाधिक धन की व्यवस्था की जाय। सरकार को चाहिए कि वह प्रविधिक शिक्षा पर अधिक जोर दे ।

Shri Bade (Khargone) : The mover of the Resolution has suggested in the resolution which has presented that one more committee should be appointed while our Hon. Minister is against the appointment of committees. This is an irony of fate. Yet I support his resolution.

It is regrettable that Government has not paid due attention to the subject of education and as such has failed to formulate a proper educational policy.

There is an urgent need to change the entire educational pattern so that we may be able to impart useful education to our boys and girls.

Character building is the most essential part of education which has hitherto been completely neglected. It would be better if the Gorvenment take steps to impart education on the gurkul system.

There is confusion in regard to the medium of instructions at the various levels. For examples, in Delhi schools Hindi is used for teaching purposes but the examination papers are all in English. Such a state of affairs should come to an end and a firm and definite policy should be adopted.

With these words I support this resolution.

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर): शिक्षा नीति को हमारी भावी उन्नति के ढांचे में समाने के लिए नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता है । शिक्षा को पर्याप्त महत्व मिलना चाहिए, जो कि अभी तक इसको नहीं दिया गया है ।

हमारी भाषा की नीति का स्वरूप द्विभाषा का है । हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को जनता, संसद् और सरकार प्रयोग करेगी । हिन्दी राष्ट्र भाषा है और अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है । हमें अपने भावी लाभ के लिए एवं अपने आत्मसम्मान के लिए दोनों भाषाओं का विकास करना है ।

राष्ट्रीय नीति के लिए पहले दर्जे से लेकर स्नातक स्तर तक पाठ्य पुस्तकों में समता लाने की आवश्यकता है। अखिल भारतीय प्रयोग के लिए हिन्दी में कुछ अच्छी पुस्तकें लिखी जानी चाहिएं। फिर प्रत्येक अन्य भाषा में उनका अनुवाद कराया जाना चाहिये। जातिवाद के आधार पर राष्ट्र के संगठन को रोकने की दृष्टि से, हमें राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तकें और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर पाठ्य पुस्तकें तैयार करवानी चाहिए ।

अनेक बार समाजवाद की यह परिभाषा दी जाती है कि सरकार, मंत्रियों, आदि को जितनी अधिक शक्ति दी जाती है, समाजवाद उतना ही दृढ़ होता है ।

समाजवाद में लोगों को निःशुल्क सुविधायें देना बहुत जरूरी है । यदि हमारा उद्देश्य देश में समाजवाद लाना है तो प्रत्येक छात्र को हर स्तर पर निश्शुल्क शिक्षा उपलब्ध की

[श्री हनुमन्तैया]

जानी चाहिए। हमें एक ऐसी योजना तैयार करनी चाहिये, विशेषकर जब कि हम लोगों से इतने अधिक कर वसूल कर रहे हैं, जिस से कि कुछ वर्षों में देश में कोई भी धनी व्यक्ति न रहे और देश वासियों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध की जा सके।

श्री बालगोविन्द वर्मा (खेरी): लोकतंत्र में शिक्षा को जो महत्व दिया जाना चाहिये वह हमारे यहां नहीं दिया जा रहा है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा के सम्बन्ध में कोई स्थायी नीति नहीं अपनाई गयी है। यदि हमारा उद्देश्य देश में समाजवाद लाना है तो सारे देश में एक ही शिक्षा प्रणाली लागू की जानी चाहिये। पब्लिक स्कूलों तथा अन्य स्कूलों के अन्तर को समाप्त किया जाना चाहिए। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा पर बहुत कम धन खर्च किया जाता है। शिक्षा संस्थाओं के पास धन का अभाव है और शिक्षकों को ठीक समय पर उनका वेतन भी नहीं दिया जाता है। ऐसी हालत में उन से यह आशा कैसे की जा सकती है कि वे बच्चों को पढ़ाने में रुचि लें। सरकार को शिक्षा को सब से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिये। और गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं को पैसा दिया जाना चाहिये। ताकि बच्चों को उचित शिक्षा दी जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय का भी अभाव है। छात्रों पर बहुत अधिक विषय लाद दिये गये हैं जिस से वे उनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सकते। हमारे संविधान में यह उपबन्ध है कि प्राथमिक शिक्षा निशुल्क तथा अनिवार्य होनी चाहिये। परन्तु हम सारे देश में अभी तक यह व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। कालेजों आदि को अनुदान इस शर्त पर दिये जाते हैं कि कालेज के प्रबन्धक उतनी ही राशि अपनी ओर से उपलब्ध करें। जबकि वास्तव में वे उसी अनुदान से ही काम चलाते हैं और अपनी ओर से कोई योगदान नहीं करते। जिस से शिक्षा संस्थाओं को पूरा लाभ नहीं पहुंच सकता है। शिक्षा की प्रगति के लिये समान अंशदान की प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिये। सरकार को श्री सिद्धेश्वर प्रसाद के संकल्प पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

Shri Sheo Narain (Bansi): In other countries education is the concern of the private sector and Government gives all encouragement to them. The public there takes keen interest in the promotion of education and the rich people contribute wholeheartedly to promote the educational institutions there. Very high salaries are paid to the primary teachers there as compared to our country. Our institutions cannot produce great men unless an honourable place is given to the teachers in society and their salaries are increased.

In our country we look to the Government, so far as promotion of education is concerned, and not much initiative is taken by the private sector. The managements of educational institutions depend entirely on Government grants and as soon as their institutions get recognition they do not take any interest in them. It is impossible for the Government to take upon itself the entire responsibility so far as imparting education to the masses is concerned.

Government has accepted socialistic pattern of society for this country. It is, therefore, in the fitness of things that equal amount should be disbursed to all the states for the promotion of education in those states. Government should ask for financial assistance from big capitalists and utilise that money judiciously. There should be proper coordination between the States Governments and Central Government and private agencies so far as promotionof education is concerned. For the creation of a University, a certain standard of education should be fixed.

The present system of education needs orientation so that our educational institutions may produce talented and disciplined citizens. Government should make education free for all people and it should not be restricted to Harijans only so that the allegation of discrimination may not be levelled against them. Government should set right its administrative machinery so that no discrimination is practised against the backward class students in the matter of recruitment to Government services. We should work with a do or die spirit. The Government is on trial. It should raise the standard of education and enforce it throughout the country. There should be one standard and one language—English—for the whole country. We do not want to lag behind the people of South India so far as teaching of English is concerned. It is gratifying to note that the U.P. Government has started the teaching of English from the third standard. For the complete integration of all parts of the country, Sanskrit, English and Hindi should be made compulsory. One should also be free to study anyother language of one's choice. The hon. Education Minister should introduce a uniform syllabus throughout the country to bring about unanimity in the educational field at least.

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): इस बारे में कोई भिन्न मत नहीं है कि शिक्षा के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये। परन्तु हमारे सामने कई कठिनाइयां हैं। सब से पहले प्रशासनिक कठिनाईयां हैं क्योंकि शिक्षा समवर्ती विषय नहीं है। यह खेद का विषय है कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय एकता बनाये रखने में शिक्षा के योगदान की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ब्रिटिश प्रणाली को अपने सामने रखा। परन्तु वहां की परिस्थिति भिन्न है और इसीलिये अंग्रेजों ने अपने यहां शिक्षा का विकेन्द्रीकरण किया और उसको सब से कम प्राथमिकता दी। दुर्भाग्यवश हम ने उनकी नकल की। परन्तु अब समय आ गया है जब कि शिक्षा को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिये। राष्ट्रीय एकता तथा लोगों की ज्ञान वृद्धि के लिये शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं; अतः इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये शिक्षा का स्वरूप राष्ट्रीय होना चाहिये। यह संतोष का विषय है कि राज्य सरकारें एक समन्वित नीति के बारे में, काफी सीमा तक सहमत हो गई है। हालांकि वे संविधान में परिवर्तन के लिये राजी नहीं हुए हैं। मेरी केवल संविधान में परिवर्तन करने में ही रुचि नहीं है अपितु मैं चाहता हूं कि सब राज्य शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति की मुख्य बातों से सहमत हो जायें। इस बारे में दो राय नहीं हैं कि शिक्षा के बारे में एक स्पष्ट नीति होनी चाहिये परन्तु प्रत्येक राज्य में एक प्रणाली लागू नहीं की जा सकती। क्योंकि प्रत्येक राज्य की अपनी प्रादेशिक, वित्तीय तथा अन्य समस्यायें हैं। इसलिये इस में कुछ लचीलापन अवश्य ही होना चाहिये।

यदि हम सब इस बात से सहमत हैं कि हमारा उद्देश्य एक सरल, अखण्ड, धर्मनिरपेक्ष और समानता में तथा गरीबी के निवारण में विश्वास करने वाले राष्ट्र का निर्माण करना है, तो शिक्षा के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति अपनाना कठिन नहीं है। मैं इस प्रस्ताव के प्रस्तावक का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को लाकर बहुत सी कमियों की ओर इस मंत्रालय का ध्यान दिलाया है। परन्तु मेरा उन से निवेदन है कि वे इस प्रस्ताव पर जोर न दें। जैसा कि आयव्ययक पर चर्चा के समय घोषणा की गई थी, एक राष्ट्रीय आयोग बनाने का निर्णय कर लिया गया है। यह राष्ट्रीय आयोग शिक्षा के मामले में सभी प्रकार से विचार करेगा। यद्यपि देश में इस समय बहुत सी समितियां और आयोग काम कर रहे हैं और यह आयोग उन में

[श्री मु० क० चागला]

एक की और वृद्धि कर देगा। परन्तु उसके महत्व को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। बात यह है कि अभी तक हम ने शिक्षा के प्रश्न को सामुदायिक रूप में लेकर उसके सारे पक्षों पर विचार नहीं किया। इस प्रकार के विचार के बिना हम शिक्षा की दिशा में किसी प्रकार की भी राष्ट्रीय नीति का निर्माण नहीं कर सकते। अतः हमें इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना होगा। इस आयोग में हम अपने देश के और विदेशों के भी शिक्षाशास्त्रियों को लेंगे ताकि व्यापक अनुभव का लाभ प्राप्त किया जाय। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी देश की अंधा-धुंध नकल न की जाय और जो कुछ भी हम बनायें उसका आधार हमारी अपनी संस्थायें ही हों। परन्तु विदेशों में कुछ जो हो रहा है उसके प्रति भी हम आंखें बंद नहीं करेंगे।

सब से महत्व पूर्ण बात विज्ञान और तकनीकी शिक्षा की है। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री नेहरू जी विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बहुत ही महत्व देते थे। उनका ख्याल था कि यदि हम निर्धनता को समाप्त करना चाहते हैं तो, हमें अपने देश में तकनीकी क्रान्ति लानी चाहिये और विज्ञान को सर्वाधिक महत्व देना चाहिये। इस के लिए हमें अपने दृष्टिकोण में क्रांति लानी होगी। गत १७ वर्षों में हम शिक्षा के सम्बन्ध में कोई निश्चित सरकारी नीति नहीं बना सके। यह बात ठोस सत्यता पर आधारित है। इसका ही परिणाम है कि आज देश भर में शिक्षा का स्तर नीचे गिर रहा है। राष्ट्रीय एकता का अभाव तथा भाषा प्रान्त और साम्प्रदायिकता के प्रश्न भी इसी के परिणाम स्वरूप हैं। हम यह महसूस नहीं करते रहे कि शिक्षा पर खर्च करना मानव निर्माण की दिशा में विनियोजन करना है।

यह सचमुच खेद का विषय है कि हमारा देश शिक्षा पर बहुत कम खर्च कर रहा है। हम अपनी राष्ट्रीय आय का २.६ प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करते हैं। जब कि विकसित हो रहे देशों को इस दिशा में राष्ट्रीय आय का ४ प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश है। वैसे कई राज्य अपने बजट का २०, २५ और ३० प्रतिशत तक भी शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार शिक्षा पर बहुत काफी राशि खर्च नहीं कर रही। अतः मेरा निवेदन है कि जब मैं वित्त मंत्री महोदय से शिक्षा के लिये अधिक से अधिक अनुदान की मांग करूं तो सभा को मेरा समर्थन करना चाहिये। मैं केवल यही आश्वासन दे सकता हूं कि शिक्षा में धन लगाने से अच्छी और लाभ प्रद बात किसी राष्ट्र और देश के लिए और नहीं हो सकती। प्रस्तावित आयोग को विभिन्न कठिनाइयों के बारे में कार्यवाही करनी होगी जैसा कि प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में जिनके संबंध में विभिन्न अभिकरणों में बहुत मतभेद है। हम ने यह निर्णय कर दिया है कि कुल मिला कर १५ वर्षों में सारा शिक्षा का कार्यक्रम समाप्त हो जाया करेगा १२ वर्ष में स्कूल की शिक्षा समाप्त होगी और ३ वर्ष में डिग्री लेने में लगेंगे। हम अध्यापकों के प्रशिक्षण के विषय में भरसक प्रयास कर रहे हैं।

देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिये शिक्षा का प्रबन्ध करना हमारा कर्तव्य है परन्तु इसके साथ ही साथ हमें शिक्षा की किस्म का भी ध्यान रखना होगा। यदि हम ने शिक्षा की किस्म का ध्यान न रखा तो शिक्षा का स्तर गिर जायेगा। केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में भी योजनायें बनाई जायेंगी उसके अन्तर्गत कुछ संस्थाओं को चुना जायेगा। उन संस्थाओं को सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा जिस से वह शिखर तक पहुंच सकेंगी। हमें इस बात की पूरी व्यवस्था करनी हो कि देश में ही उच्चतम शिक्षा के लिये सभी साधन उपलब्ध हो सकें और हमारे किसी

किसी भी विद्यार्थी को विदेश न जाना पड़े। महिलाओं की शिक्षा की ओर भी बहुत अधिक ध्यान दिया जायेगा।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*)

हम क्षेत्रीय कालेज भी स्थापित कर रहे हैं। हमें प्रशिक्षित शिक्षकों की बहुत आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग शिक्षा देने के व्यवसाय को अपनायें। हम शिक्षकों के वेतन भी बढ़ा रहे हैं।

इस बात को देखते हुए कि शिक्षा के सारे प्रश्न की जांच पड़ताल करने के लिये एक आयोग की स्थापना की जा रही है, अतः संसद् सदस्यों की समिति के बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि इस संकल्प को वापिस ले लिया जाये।

Shri Sidheshwar Prasad : I thank the members who have supported this proposal. The Education Minister should include the members of this House also in the proposed Commission. Since the advent of Freedom neglect has been shown to this aspect and that has adversely affected the country. So it is necessary that the policy of Education is framed and implemented. Changes in the administrative set up should also be made if those are necessary. Without deciding upon the policy of Education, we cannot create an atmosphere conducive to the welfare of the country. I welcome what has been stated by the Minister, that is he is looking to the problem in a wider perspective and he is trying to get the services of Educationists of U.S.A., U.S.S.R., England and France. I request the Government to set up the Commission at the earliest with the instructions that the Commission submit its report early. Government should ensure speedy implementation of that report.

I may further quote this book which states that :

विश्व में बढ़िया से बढ़िया योजनाएं हैं जो निष्क्रियता और राजनैतिक अनैतिकता के कारण कभी कार्यान्वित नहीं होती।

Recently the Kher Committee reported that the states and the Centre should spend on education 20% and 10% of their respective revenues. I deplore that the Central Government is lagging in this target, I might assure the Hon. Minister on behalf of the House that if he comes with budget demands for the education, the House would agree to support those.

Because the Hon. Minister has not only agreed to the principle of my resolution but also he is endeavouring to implement them, I would like to withdraw the resolution.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया।

The resolution was by leave, withdrawn.

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में संकल्प

SOLUTION RE: RISE IN PRICES OF ESSENTIAL COMMODITIES

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता के कारण जनता में बढ़ते हुए असन्तोष को देखते हुए यह सभा तुरन्त स्वीकृत तथा कार्यान्वित किये जाने के लिये सरकार से निम्नलिखित उपायों की सिफारिश करती है :—

(एक) खाद्यान्नों का राज्य व्यापार ;

(दो) खाद्यान्नों के सट्टे पर प्रतिबन्ध ;

(तीन) जमाखोरी और चोरबाजारी करने वालों को कठोर दण्ड ; और

(चार) मूल्य स्थिरीकरण समिति की स्थापना।"

मैं माननीय वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने साहसपूर्वक यह कहा है कि केवल मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड के अस्तित्व से कुछ नहीं होगा, बल्कि अनाज का राज्य व्यापार और परचून वितरण पर नियन्त्रण को सख्त करना होगा। जब तक अत्यावश्यक न हो हम नियन्त्रण नहीं चाहते। किन्तु वितरण व्यवस्था व्यर्थ में विफल रही है जैसा कि वित्त मन्त्री ने स्वयं कहा है। अतः मेरा सुझाव है अनाज का राज्य व्यापार तुरन्त आरम्भ कर देना चाहिए।

हाल में समाचार पत्रों में यह छपा है कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपने आर्थिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने पर जोर दिया। आशा है वह इस सम्बन्ध में दृढ़ता से काम लेंगे और मूल्यों को कम करने का प्रयत्न करेंगे। जब हम राज्य द्वारा व्यापार की बात करते हैं तो स्वतन्त्र पार्टी उसका विरोध करती है। मैं पूछता हूं कि राज्य व्यापार के अतिरिक्त और कौन सा हल हो सकता है ?

मैं अभी हाल में कलकत्ता गया था। वहां खाद्य पदार्थों के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं। चावल तो किसी भी मूल्य पर उपलब्ध नहीं है। वहां के मन्त्रिमण्डल ने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि उड़ीसा से ४००,००० टन चावल प्राप्त कर लिया जाये तो चावल के मूल्यों को स्थिर किया जा सकता है। यद्यपि वहां सरकार ने चावल के भाव नियत कर दिये हैं परन्तु फिर भी वहां के मुख्य मन्त्री पूर्ण नियन्त्रण करने के पक्ष में नहीं हैं जब तक कि समस्त राज्यों में राशनिंग लागू न कर दिया जाये।

मैं चाहता हूं कि श्री कृष्णमाचारी अपने प्रयत्न में सफल हो परन्तु इसमें सन्देह है कि वह सहमत राज्यों के मुख्य मन्त्रियों का समर्थन प्राप्त कर सकेंगे। वास्तव में बात यह है कि राज्य द्वारा व्यापार का विरोध इसलिये किया जाता है कि कुछ वामपंथी उसका समर्थन करते हैं ?

प्रायः सभी वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं। श्री भगत ने ८½ प्रतिशत वृद्धि स्वीकार की है। यदि हम विभिन्न वस्तुओं के देशनांक देखें तो ज्ञात होगा कि प्रति सप्ताह मूल्य बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिये अनाज का देशनांक ९ मई, १९६४ को १४७.७ हो गया जबकि २ मई, १९६४ को १४६ था और ११ अप्रैल, १९६४ को १४३ ही था। यही स्थिति दालों के सम्बन्ध में भी है। ऐसी स्थिति में हमारे २७ करोड़ देशवासियों का भविष्य बड़ा अंधकारमय मालूम होता है।

विभिन्न आयोगों ने अपनी रिपोर्टों में यह कहा है कि कर्मचारी वर्ष में से आधे लोगों का पेट मुश्किल से भर पाता है। फिर भी जब महंगाई के निराकरण के लिये भत्ते में वृद्धि की मांग की जाती है तो सरकार उनको क्या देती है ? केन्द्रीय सरकार के ७० रुपये से १०० रुपये तक पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में ३.५० रुपये की वृद्धि की गई है और ५०० रुपये तथा ६०० रुपये के बीच पाने वालों के वेतन में १० से २० रुपये तक की वृद्धि की गई है। यह कैसा समाजवाद है ?

यह बड़ी खुशी की बात है कि १४ वस्तुओं के वायदा व्यापार पर रोक लगा दी गई है। परन्तु यह निर्णय भी बहुत देर से किया गया। बैंक अभी भी पेशगी दे रही हैं। जब तक बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा तब तक यही स्थिति चलती रहेगी क्योंकि थोड़े से लोग हर वस्तु खरीद कर रख लेंगे और मूल्य कम नहीं हो सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि एक मूल्य स्थिरीकरण समिति का निर्माण किया जाना चाहिये।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सरकार को विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों, कार्मिक संघों एवं किसानों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन तुरन्त बुलाना चाहिये और उनके सुझाव लेकर इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करना चाहिये। मूल्य वृद्धि के कारण जनता में रोष बढ़ रहा है जो किसी भी समय उग्र रूप धारण कर सकता है।

देश में न केवल अनाज अपितु साबुन, सब्जी और हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं। मैं अपनी मासिक रसद कानपुर में खरीदता हूं। मैं करीब पांच आदमियों की रसद लेता हूं। पहले सारे महीने की रसद ५२ रुपये में आ जाती थी और अब मुझे उसके लिये ६६ या ६७ रुपये देने पड़ते हैं। कोई आम आदमी चाहे वह सरकारी कमचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी यह १३ या १४ रुपये और कहां से लायेगा। मुझे मालूम है कि संसद् सदस्यों का वेतन बढ़ जायेगा। लोगों ने इतनी जल्दी मचाई कि १ ½ घंटे में बिल को पास करके सदस्यों का वेतन ४० प्रतिशत बढ़ा दिया परन्तु सरकारी कर्मचारियों को दो साल की जद्दोजहद के बाद केवल तीन रुपये और पचास पैसे दिये गये। यह है समाजवाद की कहानी।

इसीलिये मैं यह चेतावनी दे रहा हूं कि यदि सरकार छै महीने के अन्दर भावों को गिरा नहीं सकी तो देश भर में आन्दोलन उठ खड़ा होगा, जो रोके नहीं रुकेगा। चोर बाजारी और जमाखोरी खत्म होनी चाहिये और वह सरकार कड़े कदम उठा कर ही कर सकती है आंकड़े तैयार करके नहीं।

मेरी केवल यही प्रार्थना है कि इस बात की खुली जांच की जानी चाहिये कि चीजों के भाव एक दम दुगने कैसे हो गये हैं। परन्तु आंकड़ों के अनुसार मूल्यों में केवल १२ ½ प्रतिशत वृद्धि हुई है। समाज-वाद को लाने का यह तरीका नहीं है। वित्त मन्त्री ने कहा है कि राज्य व्यापार करना पड़ेगा। इसलिये मुझे आशा है कि मेरा संकल्प स्वीकार कर लिया जायेगा। यदि नहीं स्वीकार किया जायेगा तो लोग कहेंगे कि वे कहते कुछ और हैं करते कुछ और। इन शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प सभा के सामने रखता हूं और आवश्यकता है कि मेरे माननीय मित्र इसका समर्थन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता के कारण जनता में बढ़ते हुए असन्तोष को देखते हुए यह सभा तुरन्त स्वीकृत तथा कार्यान्वित किये जाने के लिये सरकार से निम्नलिखित उपायों की सिफारिश करती है :—

(एक) खाद्यान्नों का राज्य व्यापार ;

[उपाध्यक्ष महोदय]

(दो) खाद्यान्नों के सट्टे पर प्रतिबन्ध ;

(तीन) जमाखोरी और चोरबाजारी करने वालों को कठोर दण्ड ; और

(चार) मूल्य स्थिरीकरण समिति की स्थापना ।"

श्री मलाईछामी (पेरियाकुलम्) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मलाईछामी: मुझे खुशी है कि प्रस्तावक महोदय मेरे संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं जिसमें यह मांग की गई है कि कृषिजन्य वस्तुओं के उत्पादकों को पर्याप्त और लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिये । इससे यह पता लगता है कि देश में मूल्यों के बारे में बड़ी विचित्र स्थिति है । एक ओर तो उपभोक्ताओं को कोई चीज उचित दाम पर नहीं मिलती, दूसरी ओर उत्पादकों को भी उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता । जब तक दोनों के लिये उचित कीमत की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती । सरकार की मूल्य नीति ऐसी होनी चाहिये जिससे उत्पादक को, जो राष्ट्र का एक बड़ा अंग है, उचित मूल्य मिल सके और उपभोक्ता को उचित मूल्य पर हर चीज मिल सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री कछवाय की ध्यान दिलाने वाली सूचना को लेंगे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(२) दिल्ली में उत्तर रेलवे के खोई सम्पत्ति कार्यालयों में कथित अग्निकांड

श्री हुक्म चन्द कछवाय (देवास) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर रेलवे मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"दिल्ली में ४ जून, १९६४ को उत्तर रेलवे के गोदाम में आग लगना ।"

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): ४ जून, १९६४ को सवेरे लगभग ४–३० बजे रेलवे सुरक्षा दल के रक्षक राजेन्द्र और मनमोहन सिंह ने, जो दिल्ली किशनगंज के गुमशुदा माल के कार्यालय में ड्यूटी पर थे, पार्सल गोदाम से कुछ धुआं निकलता हुआ देखा । रक्षकों ने तुरन्त श्री भीमसेन, ए० टी० एस० और श्री मेहर चन्द, सुपरिन्टेंडेंट गुमशुदा माल कार्यालय को सूचना दे दी और वे लगभग ४–४० बजे घटनास्थल पर पहुंच गये । दिल्ली फायर सर्विस को सवेरे लगभग ४–३६ बजे सूचित कर दिया गया और वे सवेरे ४–४५ बजे घटना स्थल पर पहुंच गये और उन्होंने लगभग सवेरे ५–०७ बजे आग बुझाने का काम शुरू कर दिया । रेलवे फायरब्रिगेड ने भी आग बुझाने में दिल्ली फायर सर्विस की मदद की । इन फायर ब्रिगेडों को आग बुझाने में लगभग दो घण्टे लग गये और भरसक कोशिश के बावजूद भी गोदाम लगभग सारा का सारा जल कर राख हो गया ।

रिकार्ड के अनुसार इस गोदाम में गुमशुदा माल के १४१९ पुलिंदे थे और ६७५५ ऐसे बण्डल थे जो भेजे गये थे, परन्तु छुड़ाये नहीं गये थे । इनमें से गुमशुदा माल के १५१ बण्डल जिन में कीमती

चीजों के १०३ बण्डल भी शामिल हैं और ४९८ ऐसे पार्सल, जिन का कोई मालिक नहीं था, बचा लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त ८७९ बोरे नमक को जो पार्सल गोदाम के पास प्लेट फार्म पर तिरपाल से ढका हुआ पड़ा था, भी आग से क्षति पहुंची है। वर्ष १९६१ के पुराने रिकार्ड, जो गोदाम में पड़े थे, भी जल गये हैं।

मकान गुमशुदा माल और न छुड़ाये गये पार्सलों के जल जाने से लगभग एक लाख रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

एक वरिष्ठ वाणिज्यिक पदाधिकारी और एक सहायक सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा जांच का आदेश दे दिया गया है।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya : Why there was this delay of two hours in calling the fire brigade to extinguish the fire? Whether any particular person involved in this particular case?

श्री सें० वें० रामस्वामी: इस मामले में कोई देरी नहीं हुई है। इस आग के पता लगने के दस मिनट के भीतर फायर ब्रिगेड वहां पहुंच गया था और उसे आग बुझाने में दो घण्टे लगे।

श्री बड़े: क्या यह सच है कि पहरेदारों को दो या तीन घण्टे के बाद ही इस आग का पता लगा। उनको आग का पता लगाने में इतनी देरी क्यों हुई?

श्री स० वें० राम स्वामी: आग का ४–३० बजे पता लगा और फायर ब्रिगेड वहां पर ४–४० बजे पहुंच गया।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned *sine die.*

GMGIPND—LS III—816 (Ai) ESD—20-7-64—600.